खण्ड-217, अंक-6
शनिवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(17 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 217 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५६५–५६९
प्रश्नोत्तर	५६९–५७६
टगों के क्रय तथा अनुरक्षण से सम्बद्ध लोक लेखा समिति का विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५७६
ग्राम नाहिल, जिला शाहजहांपुर में दो चमारों की हत्या से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	५७६–५७७
किछा मिल की मशीनरी उपलब्ध न होने तथा बाजपुर मिल की क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो सकने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५७७–५८०
भुवाली सेनेटोरियम की परामर्शदात्री समिति में श्री दीनदयालु शास्त्री के रिक्त स्थान पर श्री बुलाकीराम के निर्वाचन की सूचना	५८०
प्रदेश के कुछ जिलों में अतिवृष्टि तथा बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	५८०–५८३
उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की नियम समिति (१९६०–६१) के प्रथम प्रतिवेदन में संशोधन (विचार स्थगित)	५८४
विधान भवन के मुख्य द्वार के निकट छत में दरार पड़ जाने की सूचना ..	५८४
नियमावली पर विचारार्थ अधिक समय देने की प्रार्थना	५८४
प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर चर्चा (समाप्त) ..	५८४–६३५
नत्थी	६३६–६३७

LEGISLATURE LIBRARY

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १७ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य-३५१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्मारामपांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

गयूरअली खां, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वंद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्तकाण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १७ सितम्बर, १९६०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रूस यात्रा में सहकारिता मंत्री की कृषि के सम्बन्ध में जानकारी

१—श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) तथा **श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी कुछ दिन पहले की विदेश यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी और उसका परिणाम क्या हुआ ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—यू० एस० एस० आर० के कृषि मंत्री ने भारत के कुछ कृषि मंत्रियों को वहां का कृषि कार्य देखने के लिये आमंत्रित किया था इसलिये भारत सरकार के तथा अन्य ६ राज्यों के कृषि मंत्री रूस गये थे और उन्होंने वहां कृषि के सम्बन्ध में बहुत सी चीजें देखीं।

२—श्री गेंदासिंह तथा श्री टीकाराम**—क्या सहकारिता मंत्री ने कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन इस विदेश यात्रा में किया है ? यदि हां, तो क्या उसका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—बहुत सी चीजें देखी हैं। सदन की मेज पर रखने का इरादा नहीं है।

श्री गेंदासिंह—माननीय सहकारिता मंत्री ने वहां का सहकारिता विभाग और कृषि विभाग किस प्रकार से अपने नौकरों के ट्रांस्फर और एप्वाइंटमेंट के सम्बन्ध में बर्ताव करता है इसका भी कुछ अध्ययन किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सहकारिता विभाग तो हमको देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि सहकारिता मंत्री ने हमको बुलाया नहीं था। कृषि के सम्बन्ध में हमने देखा। वहां कृषि का तरीका बिलकुल अलग है। वहां कोई भी इंडिविजुअल फ़ार्मर नहीं है। सारी जमीन दो तरह के फार्मों में बंटी हुई है, एक कलेक्टिव फार्म्स और दूसरे स्टेट फार्म्स में। कलेक्टिव फ़ार्म्स पर जो फार्मर्स हैं उनके पास आधे और एक एकड़ के बीच में किचेन गार्डेन के लिये जमीन है, एक गाय रखने का अधिकार है और वे आपस में खुद ही अपना इन्तजाम करते हैं। इसलिये वहां नौकरों की पंक्ति उस तरह से नहीं है जैसी कि यहां है। लिहाजा यहां और वहां का मुकाबला इस तौर पर कुछ नहीं हो सकता।

श्री गेंदासिंह—कोई चीज जो उत्तर प्रदेश के कृषि करने वालों के सम्बन्ध में रूस से सीखी जा सके उसका कोई अध्ययन हुआ, मोटी बात में जानना चाहता हूं ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसमें एक बात तो यह निवेदन कर दूं कि रूस का और हमारा पोलिटिकल, एकोनामिक और सोशल स्ट्रक्चर बिलकुल भिन्न है। इसलिये कोई चीज वहां से उठा कर यहां ज्यों की त्यों लगायी जा सके यह मेरी समझ में बात नहीं आयी। जहां तक सीखने का ताल्लुक है, बहुत सी चीजें सीखने की हैं। उन्होंने कृषि के सम्बन्ध में बहुत सी चीजें की हैं। एक चीज जिसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा यह है कि उन्होंने रिसर्च के मामले में बहुत ज्यादा समय लगाया है और बहुत धन खर्च किया है और साइंटिस्ट्स को वे बहुत काफी पैसा देते हैं। जैसे कपास के एक सेन्टर में जब हम गये तो उस सेन्टर में उन्होंने दुनियां से ५,५५० किस्म के बीज इकट्ठा किये और उन पर रिसर्च किया और चार प्रकार के बीज उन्होंने सेलेक्ट किये और उनको वे बोवा रहे ह और कपास पैदा कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज है। अब वह चार तरह के बीज हमारे लिये उपयोगी होंगे या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। अगर वहां से हमारे मुहकमे के रिसर्च सेंटर्स का सम्पर्क रहे तो कुछ फायदा हो सकता है ऐसा मेरा अन्दाज है।

गेहूं के लिये भी उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। मैंने उनसे कहा कि हमें आप कुछ इस तरह का गेहूं दें जो सूखे में पनप सके, जिसको रस्ट न खराब करे, जिसमें कीड़ा न लग सके और जो फ्लड में भी पनप सके। तो अभी मेरे पास कुछ पैकेट्स आये हैं, मेरे खयाल से ५०–६० किस्म के बीज होंगे। मैंने कहा है कि उनको हमारे गेहूं के रिसर्च सेंटर्स में भेज दिया जाय ताकि वे उनको देखें। उसके बाद वहां से सम्पर्क रहे तो कुछ हम हासिल कर सकते हैं।

इम्प्लीमेंट्स का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि रूस का रकबा सात गुना है और आबादी करीब आधे के है और बहुत से आदमी वहां इंडस्ट्रीज में लगे हुये ह इसलिये वहां खेती के लिये आदमियों की कमी है लिहाजा बड़ी-बड़ी मशीनें चलती हैं। हम उन बड़ी मशीनों को कैसे लगा सकते हैं जब तक काआपरेटिव फार्मिंग न हो। इसलिये छोटी-छोटी मशीनें जो हैं, जो छोटा रशन ट्रैक्टर है उसकी काफी मांग है। मद्रास वाले उसके लिये बहुत इच्छुक थे। उन्होंने २५ लाख रुपये का इसके लिये प्राविजन भी किया है। जो और उनके इम्प्लीमेंट्स हैं उनको कैसे एडाप्ट किया जाय, उनका कैसे सदुपयोग किया जाय यह सवाल है। तो बहुत सी चीजें हैं जो सीखने की हैं और काम में लाने की हैं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या यह सही है कि कृषि मंत्री जी रूस यात्रा के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वहां कोई भी स्टेट फार्म नुकसान में रन नहीं कर रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, वहां के स्टेट फार्मों का क्षेत्र बहुत लम्बा है और ८० हजार एकड़, एक लाख एकड़ और इससे भी बड़े-बड़े फार्म थे और वह सब साधन सम्पन्न थे। कोई १०/१५/५० एकड़ का स्टेट फार्म मैंने नहीं देखा और न वहां ह। वहां वह चल रहे हैं, लग रहे हैं और उन पर खर्चा हो रहा है और अभी मैं नहीं कह सकता कि किसी पर घाटा हो रहा है या नहीं। बैलेंसशीट हमने नहीं देखी। लेकिन काफी लागत उन पर लग रही है और मजदूरों को उसी तरह से तनख्वाह दे रहे हैं जैसे कि कलेक्टिव फार्मों में मजदूर पा रहे हैं।

श्री टीकाराम—क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जो उन्होंने वहां बहुत सी चीजें देखी हैं उनमें से कोई ऐसी चीज उन्हें दिखाई दी है जो हिन्दुस्तान के किसानों के लिये उपयोगी हो ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री टीकाराम—श्रीमन्, बहुत सी चीजों में से कोई बतायें।

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वहां से उठा कर यहां लगा दी जाय।

श्री टीकाराम—श्रीमन्, हमें ज्ञान बताया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप अपना प्रश्न स्पष्ट करें।

श्री टीकाराम—माननीय मंत्री जी वहां गये और बहुत सी चीजें देखकर आये तो वह कौन सी चीजें हमें सिखायेंगे जिससे हम उन्नति कर सकें ?

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वे मुल्क देखे जो तबाह हो गये थे। रूस देखा, जर्मनी देखा, जापान नहीं देख सका। उनमें सब से बड़ी बात यह देखी कि वहां के लोगों के हृदयों में उन्नति करने की इच्छा थी, वहां कोई बुद्धि विभेद नहीं करता था और उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम किया। वहां जो उन मुल्कों में तरक्की हुई है उनमें सब से ज्यादा उपयोगी चीज है कि इस समय सब लोग मेहनत और लगन के साथ काम करें और कोई व्यक्ति बुद्धि विभेद पैदा न करे तो प्रदेश की उन्नति हो सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी वहां के रिसर्च प्रोग्राम की सफलता देख कर अपने यहां तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके रखने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, मैंने जाने से पहले रिसर्च आदि की एक मीटिंग की थी और उसमें सोचा था कि इस सम्बन्ध में क्या हो सकता है और उन लोगों ने यह बताया कि जितना हम कर सकते हैं उसका प्रावीजन इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्लान में है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हिन्दुस्तान का किसान रूस के किसान से कम या ज्यादा मेहनत करता है या यहां के किसानों का खेती करने का तरीका जो कुछ भी हो और हल तथा बीजों आदि को देखते हुये कोई ऐसी पुस्तिका या भाषण शैली निकालेंगे जिससे यहां के किसानों में आपका अनुभव फैल सके और यहां के किसान भी उन्नति करने लग जायं ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इसमें कई बातों को मानकर प्रश्न किये गये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं कि हमारा किसान मेहनत नहीं करता है या बकियानूसी है। इसके कहने में मुझे हिचक है क्योंकि बड़ी दिक्कत है। किसान के पास बहुत थोड़ी जमीन है और वह कोई नया तजुर्बा करे और खतरे में आ जाय, कुछ घाटा हो जाय, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं वह व्यक्ति हूं कि जो किसान को नान-प्राग्रेसिव नहीं कहता। मैं अपने अफसरों से कहा करता हूं कि तुम में से किसी को तजुर्बा करने के लिए दिया जाता है, अगर वह तजुर्बा नाकामयाब हो तो १२ महीने की तनख्वाह जब्त हो जायगी, तो सब मेरी तरफ देखने लगते हैं। उस किसान की अगर एक फसल खराब हो जाय तो उस किसान को न कर्जा मिल सकता है न और कोई मदद उसे मिल सकती है, उसके बाल बच्चे क्या करेंगे ? इसलिए मैं किसान को आज यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि वह प्राग्रेसिव नहीं है। किसान को जब हम कोई चीज करके दिखा देते हैं तो वह उसको अपना लेता है। जब हम बातें करते हैं, प्रचार करते हैं तो नहीं अपनाता है। मैं समझता हूं कि उसकी दिक्कतें हैं। इसलिए जो सब चीजें अवस्थी जी ने कहीं वह मैं मान कर नहीं चलता, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो उसकी दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जाय, उसको सहूलियतें पहुंचायी जायं, तो बहुत सी बातें हैं जिनसे किसान तरक्की कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त हुआ। काफी हो गया।

सचिवालय में सहायकों को स्थायी करने की सिफारिश

**३—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचारधीन है कि कुछ निश्चित अवधि तक संतोषजनक कार्य कर लेने के पश्चात् सचिवालय के सहायकों को परीक्षाओं से बरी (exempt) करके स्थायी कर दिया जाय ? यदि हां, तो कब से ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या इन नियुक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के बाद स्थायी किया जाता है ? यदि हां, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही नियुक्ति क्यों नहीं की जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सवाल का दूसरा भाग मैं नहीं समझा कि क्या है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—मैंने यह पूछा कि यह जो नियुक्तियां होती हैं सचिवालय में वह क्या पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की जाती हैं या यों ही कर लेते हैं ? अगर यों ही कर लेते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से क्यों नहीं करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही होती है, लेकिन पहले जब काम का एक्सपेंशन हुआ तो जरूर बहुत से लोग रख लिये गये, इतना वक्त नहीं था कि कमीशन तक जाते । अब भी ऐसा हो सकता है कि किसी मुहकमे में ज्यादा काम यकायक बढ़ जाय, उतना टाइम नहीं होता, तो आदमी रख लिये जाते हैं अस्थायी रूप से ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार स्थायीकरण के लिये कोई विशेष प्रणाली अख्तियार करने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी चार पांच दिन हुए एक सवाल आया था । मैंने बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से इम्तहान हुआ, ९० या कितने आदमी फेल हो गये, फिर भी हमने एक मौका दिया, टाइप का इम्तहान लिया और जो पास हुए उनको मौका दिया । लेकिन आमतौर से पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से ही इम्तहान होता है ।

एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने की जानकारी

**४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार ने उससे आगामी आम चुनाव के समय Single Member Constituency बनाये जाने के संबंध में सम्मति मांगी थी ? यदि हां, तो क्या वह उस सम्मति को सदन की मेज पर रक्खेगी जो उसने भेजी है ?

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस संबंध में सरकार का क्या मत है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस संबंध में अभी सरकार के सामने कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर सरकार विचार करे और मत जाहिर करे ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय गृहमंत्री जी ने पार्लियामेन्ट में इस बात को स्पष्ट किया कि डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी को सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी करने जा रहे हैं, केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसा सुझाव दिया गया, इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सुझाव भेजा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बिना पूछे तो कायदा है नहीं कि हम राय दिया करें।

ए० जी० आफिस, इलाहबाद के हड़ताल पीड़ित कर्मचारियों की प्रार्थना

****५—श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या मुख्य मंत्री से दिनांक १२ सितम्बर, १९६० को, जब वे इलाहाबाद पधारे थे, एकाउन्टेंट जनरल कार्यालय (A. G. Office) के वे कर्मचारी जिन्हें हड़ताल (strike) के संबंध में निकाला गया था, मिले थे ? यदि हां, तो उन्होंने अपनी जो मांग रक्खी थी वह क्या थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। उन्होंने कोई मांग नहीं रक्खी थी। यह प्रार्थना की थी कि हम निरपराध हैं। हमारे ऊपर मुकदमें न चलाये जायं। हम बहुत कष्ट में हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—जब उन्होंने प्रार्थना की कि हम निरपराध हैं, मुकदमा न चलाया जाय, हम कष्ट में हैं, तो इस बात को देखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी उनके ऊपर दया करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दया तो अच्छी चीज है, लेकिन पात्र अपात्र, मौका बेमौका, देखना होता है। जो मैंने जवाब दिया वह यह था कि सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि सब का सवाल है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और जिस मुहकमे के काम करने वाले होते हैं उसका अधिकारी—यह तीन आदमी बैठते हैं और उस पर विचार करते हैं। मैंने कहा कि अगर ए० जी० साहब भी निरपराध समझते हों—ऐसी मीटिंग होती ही होंगी जिले में तो आप अफसरों को एप्रोच करें, अगर आपके अफसर निरपराध समझें और जिला अधिकारियों के पास भी ऐसी सूचना हो तो जरूर छूट जाएंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसे आदेश भेजे हैं कि जिस प्रकार से और प्रदेशों में कार्यवाही हुई उसी प्रकार से यहां भी की जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, आदेश का सवाल नहीं है। अदालती मामला है, अदालती मामले में आदेश भेजने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को भी नहीं है।

श्री मदन पांडेय—जैसा मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि इस प्रकार की सलाह उन्होंने दी तो क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि इसके बाद त्रिदलीय बैठक वहां पर हुई ? और यदि हुई तो उसमें क्या फैसला हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, १२ तारीख और १७ तारीख के बीच में क्या हुआ उसका मुझे कुछ हाल नहीं मालूम।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनको उन कर्मचारियों की ओर से कोई स्मृतिपत्र वगैरह भी दिया गया था ? यदि हां, तो मंत्री जी ने उसको जिलाधिकारियों के पास भेज दिया है कि उस पर वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने कोई कागज नहीं दिया था और अगर देते भी तो शायद मैं न भेजता।

जूट का उचित मूल्य दिलाने का प्रबन्ध

****६—श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**—क्या सहकारिता मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि जूट की उचित कीमत किसानों को मिल सके इसके लिये सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

कृषि उप मंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)--जी हां, जूट की उचित कीमत किसानों को मिलने के लिए सहकारी समितियों द्वारा क्रय विक्रय का प्रबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय केन्द्रीय जूट समिति ने भी जूट का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है।

****७—श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**--क्या यह सच है कि यह प्रश्न पिछले कई वर्षों से विचाराधीन है ?

श्री काली चरण अग्रवाल--जी हां।

****८—श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**--इस प्रदेश का उत्पन्न जूट किस प्रकार खपाने की व्यवस्था अब तक है और उसकी मात्रा कितनी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--जूट मिलों में भेजकर खपाने की व्यवस्था है। गत वर्ष १९५९-६० में १,४१,३५३ गांठ का उत्पादन हुआ था।

श्री प्रतापसिंह—जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाली समिति ने केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की है उसको सदन की जानकारी के लिये मंत्री जी पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--प्रदेशीय सरकार न्यूनतम रेट को निर्धारित नहीं करती है। केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है कि उचित न्यूनतम मूल्य सरकार निर्धारित करे। सिफारिश की प्रति मेरे पास नहीं है और मैं समझता हूं कि मुनासिब भी नहीं है कि जब तक मल्य निर्धारित न हो जाय तब तक कोई पत्र-व्यवहार सदन के सामने रखा जाय।

श्री प्रतापसिंह--मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार को सरकार कोई स्पष्ट-रूप से सिपारिश करे इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जूट कमेटी ने सरकार से सिपारिश की है ताकि जूट की कम से कम कीमत सारे देश में तय हो सके। हमारे अकेले के करने से वह नहीं होती है। इसलिय सारे देश के जूट ग्रोग्रर्स की तरफ से जो प्रतिनिधि थे और जो कमेटी है उसने केन्द्रीय सरकार को लिखा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मंत्री जी बतायेंगे कि जूट का भाव किसानों को अच्छा मिल सके इसके लिये उन्होंने कितनी क्रय-विक्रय समितियों का संगठन किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—एक अभी तक लखीमपुर खीरी में हुई है। कुछ और जगहों पर हम विचार कर रहे हैं और संगठन करने की बहुत सी कार्यवाही हो चुकी है ताकि और जगहों पर भी इसका प्रबन्ध हो सके।

श्री प्रतापसिंह—जो मंत्री जी ने बताया कि १,४१,३५३ गांठें हमारे यहां हुईं तो इनको खपाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--मैंने जैसा कहा कि उत्पादन को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया और जो हमारा टारगेट है उससे अधिक उत्पादन हमने किया है। प्रदेश की तीन मिलों के लिये जितनी गांठें यानी १,६०,००० चाहिये उसमें से १,४१,३५३ गांठें हम पैदा कर लेते हैं। वितरण में जरूर कुछ परेशानी चल रही है। हम न्यूनतम भाव अभी निश्चित नहीं कर पाये हैं। लेकिन हम सहकारी समितियों द्वारा किसानों का माल गिरवी रखते हैं और साढ़े ५ परसेंट का सूद वह खर्चा लेकर किसान के कहे मुताबिक उचित समय पर उसका माल बेचते हैं इससे किसानों को काफी लाभ हुआ है।

श्री प्रतापसिंह--प्रश्न ७ में जो बताया गया है कि यह प्रश्न कई सालों से विचाराधीन है और उत्तर जो हां में दिया गया, तो माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि इसके मूल्य को निर्धारित करने में और खपाने में क्या दिक्कत है और इतने साल तक क्यों तै नहीं किया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--मूल्य जो निर्धारित होगा वह आल इंडिया बेसिस पर होगा । हम मूल्य निर्धारित करते तो जो दूसरे सूबे पैदा करते हैं वहां रेट कम हो और यहां ज्यादा हो तो यहां कोई माल खरीदने नहीं आयेगा और अगर यहां मूल्य कम हो और दूसरे सूबों में मूल्य ज्यादा हो तो सारी की सारी मांग यहां आयेगी । लिहाजा सब जगहों के मूल्य में सामंजस्य रहे इस नीति से काम होता है ।

श्री मदन पांडेय--जब कई वर्ष से उत्पादन में वृद्धि हो रही है और खपत में परेशानी हो रही है तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यहां पर एक नई जूट मिल खोल दी जाय ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--परेशानी तो नहीं हो रही है । जूट की हमारे यहां तीन मिलें हैं जिनमें उत्पादन के लिये १ लाख ६० हजार गांठें चाहिये जब कि १ लाख ४१ हजार मिल रही हैं । इस लिये चौथी मिल खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उग्रसेन--जो तीन जूट की मिलें हैं वे प्लेआफ से या कोयले की कमी से बन्द रहीं तो जूट के खरीदने की अन्य क्या व्यवस्था रही ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । जहां तक कोयले का संबंध है सिविल सप्लाई डिपार्टमेन्ट से इसका वास्ता है, हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है ?

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--जूट किस जिले में ज्यादा पैदा होता है और वह कहां भेजा जाता है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--वैसे हमारे यहां ६५ यूनिट्स कायम हैं जूट की, और वे हैं १३, १४ जिलों में लेकिन विशेष कर लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, बहराइच जिले हैं ।

कृषि मंत्री सम्मेलन, दिल्ली की कार्यावलि

****९--श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह**--क्या सहकारिता मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि राज्य के कृषि मंत्रियों के दिल्ली सम्मेलन के सामने क्या प्रश्न विचारणीय थे और उन पर क्या निर्णय हुए ? इस प्रकार का एक बयान वे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण अग्रवाल--भारत सरकार द्वारा आमंत्रित कृषि मंत्री सम्मेलन की कार्यावलि की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है । उपरोक्त सम्मेलन की कार्यवाही और उसके संकल्पों की सूचना अभी भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है अतएव माननीय सदन द्वारा वांछित बयान सदन में प्रस्तुत करना कठिन है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३६-६३७ पर)

श्री प्रतापसिंह--उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने इस संबंध में अपनी ओर से कौन सा विशेष प्रस्ताव वहां रखा है?

श्री अध्यक्ष--कान्फ्रेन्स में तो कई प्रस्ताव आये होंगे ।

श्री प्रतापसिंह--कान्फ्रेन्स में प्रदेश की ओर से कौन सा मेन प्रस्ताव दिया है ?

श्री अध्यक्ष--आप क्या मंत्री जी का इम्तहान ले रहे हैं ?

श्री रघुरनतेज बहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात का प्रस्ताव आया था कि भूमि-व्यवस्था अधिनियम की पालिसी अनिश्चित होने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी पड़ रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—बहुत से प्रश्न आये, उनमें क्या-क्या बातें हुईं उनका जबानी कहना हमारे लिये कठिन है ।

टगों के क्रय तथा अनुरक्षण से सम्बद्ध लोक लेखा समिति का विशेष प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष—अब श्री नारायणदत्त तिवारी लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से १९५७–५८ के विनियोग लेखे तथा १९५९ की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के पैरा २३, पृष्ठ १९ पर उल्लिखित 'टगों के क्रय तथा अनुरक्षण (रख-रखाव) पर निरर्थक' व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक-लेखा समिति की विशेष रिपोर्ट* प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमन्, सदन के माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि पिछले प्रतिवेदन में, जो समिति की ओर से प्रस्तुत किया गया था, यह आइटम जो पैरा २३ से सम्बद्ध है, विचारार्थ समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया था। चूंकि टगों के सम्बन्ध में प्रश्न था और पिछली समिति के विचाराधीन इसकी कुछ फाइलें थीं, इस लिये इस समिति को इसपर विचार करना पड़ा और एक विशेष रिपोर्ट में जो बातें हमारे सामने आयीं उनको सदन के सामने रखना पड़ा।

इसमें एक दूसरा भी अध्याय है जिसमें श्रीमन् ने जो लोक-लेखा समिति के सम्बन्ध में आदेश और सुझाव दिये थे उनका पूर्ण विवरण दिया हुआ है। समिति ने उन सुझावों को स्वीकार करते हुए फाइनेंस अकाऊन्टस, प्रोफार्मा अकाउन्ट्स और रिऐप्रोप्रिएशन अकाऊंट्स का सम्परीक्षण करने का प्रयास किया है। उसका भी उल्लेख है।

मैं समिति की ओर से महालेखापाल श्री कोनार महोदय, वित्त सचिव श्री भिडे, श्री दवे, ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, फाइनेंस, श्री रूपचन्द्र, सचिव विधान मन्डल, श्री देवकीनन्दन मित्थल, सचिव, विधान सभा तथा अन्य कर्मचारियों को जिन्होंने इस विशेष रिपोर्ट को तैयार करने में हमें सहायता और सलाह दी है, उन्हें धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

ग्राम नाहिल, जिला शाहजहांपुर में दो चमारों की हत्या से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जो विषय आये थे उनमें श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल जी ने जो विषय दिया है वह मैं स्वीकार करता हूं। वह यह है—

"दिनांक १२–९–६० को ग्राम नाहिल, थाना पुवायां, जिला शाहजहांपुर, में दो चमारों को जिन्होंने न्यायालय में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध गवाही दी थी उन व्यक्तियों तथा २२ गांवों के आदमियों ने इन चमारों को घेर कर घर में आग लगायी जब यह लोग जान बचाने के लिये कोठरी में घुस गये तो छत फोड़ कर गोलियां चलायीं। उनको कोठरी से निकाल कर बुरी तरह मार डाला। बाद में शव भी जला दिये ताकि पहचाने न जा सकें। इन के अतिरिक्त और लोगों को चोटें पहुंचाईं। पुलिस को इस घटना की पूरी सम्भावना होने पर भी उप-

---

*छापी नहीं गयी ।

रोक्त व्यक्तियों को सुरक्षाहेतु कोई उचित कदम न उठा सकी। पुलिस व अधिकारी अब भी शिथिल हैं। इस घटना के कारण जनता में एक अरक्षा तथा भय का वातावरण पैदा हो गया है।"

माननीय गृह मंत्री, इसपर कब वक्तव्य देंगे?

गह उप-मंत्री (श्री राम स्वरूप यादव)---श्रीमन्, तीन चार रोज लग ही जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---६ अक्तूबर के लिये रख देता हूं।

किछा मिल की मशीनरी उपलब्ध न होने तथा बाजपुर मिल की क्षमता का पूर्ण उपयोग न हो सकने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब एक प्रश्न पर माननीय नारायणदत्त तिवारी ने मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था। उस पर माननीय मुख्य मन्त्री जी आज वक्तव्य देंगे।

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, श्री तिवारी जी ने जो काल अटेंशन नोटिस दी है उसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो उन्होंने यह कही कि तराई में जो किछा मिल लग रही थी उसकी मशीनरी अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। वस्तुस्थिति यह है कि यह मशीन पोर्ट पर आ गई है और वहां से हम आशा कर रहे हैं कि शीघ्र ही यह अपने काम की जगह पर आ जायगी। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च तक, अगले साल का जो मार्च आयेगा, ट्रायल सीजन शुरू हो जायगा। इसलिये यह बात सही नहीं है कि मशीनरी उपलब्ध नहीं हुई है। यह जरूर है कि इसमें काफी समय लगा और उसकी मूल जिम्मेदारी इस बात पर रही कि केन्द्रीय सरकार ने जो विदेशी मुद्रा इस फक्टरी को देनी थी वह देने में करीब-करीब दो ढाई वर्ष लगाये जिसपर न तो हमारा ही और न किछा फैक्ट्री वालों का ही कोई अधिकार था।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि बाजपुर फैक्ट्री की पूर्ण क्षमता का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। वस्तुस्थिति से इसका भी सीधा-सादा सम्बन्ध इसलिये नहीं है कि अब इस वर्ष यह फैक्ट्री अपने तीसरे सीजन में चलेगी। ट्रायल सीजन पहले चला। पारसाल पूरा सीजन चलाने की कोशिश की और जैसे कि नई फैक्ट्री के अनुभव होते हैं, जो दिक्कतें हमारे सामने आई थीं वह करीब-करीब दूर हो गई हैं और इस वर्ष हमें पूरी आशा है कि बाजपुर शुगर फैक्ट्री अपनी पूरी कैपेसिटी में काम करेगी।

तीसरी बात उन्होंने कही कि तराई भावर क्षेत्र के जिलों में किसानों का लगभग डेढ़ करोड़ मन गन्ना खड़ा है। इसमें उन्होंने रामपुर की तरफ के जिले भी जोड़े हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने इस आशा से इतना गन्ना लगाया था कि फैक्ट्रियां पूरा-पूरा काम करेंगी, अब वह गन्ना कहीं शेष खड़ा न रह जाय इसकी उनको चिन्ता है और किसानों को उसके खराब हो जाने की आशंका है। इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि बरेली रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, नैनीताल ये जो जिले हैं इनमें से नैनीताल के जिले में इस वर्ष २५ हजार एकड़ ज्यादा गन्ना किसानों ने लगाया। जहां तक सवाल मुरादाबाद का है, यहां भी थोड़ा बहुत गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा है। शेष जिले में गन्ने के क्षेत्रफल के बढ़ने की अभी तक कोई बात नहीं हुई है। थोड़ा मार्जिनल हेरफेर हो सकता है। वरना जितना रहा है करीब-करीब उतना ही है। यह जरूर है कि हम इस वर्ष पारसाल के मुकाबले में इस क्षेत्र में भी उम्मीद करते हैं कि काफी गन्ना मिलेगा, लेकिन वह डेढ़ करोड़ होगा या

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

नहीं इसकी अभी कोई सम्भावना नहीं है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक १ करोड़ मन की आशा हमें है। इधर जो पानी भरा है, वाटर लागिंग हुई है उसका उस गन्ने की फसल पर क्या असर पड़ेगा यह कहना अभी कठिन है। लेकिन इतना जरूर मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इस गन्ने को पेरवाने की पूरी व्यवस्था मिलों के द्वारा तथा जो और दूसरे तरीके हैं उनसे हो जायगी। इसका हमें पूरा भरोसा है।

हम चाहते हैं कि इस वर्ष मिलों को जल्दी चलायें। केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में हमारी बात-चीत भी हुई है कि मिलों को पार साल की तरह पश्चिमी और सेन्ट्रल जोन में १५ अक्तूबर से और पूर्वी अंचल में पहली नवम्बर से चलाया जाय ताकि जल्दी चलकर यह १५० दिन के ऊपर का सीजन चल सके और हमारे प्रदेश का जो गन्ना है उसको पेरवाने में दिक्कत न हो। इन जिलों में नैनीताल, बरेली, रामपुर, पीलीभीत और मुरादाबाद यह सब खांडसारी के इलाके हैं जहां खांडसारी की काफी चर्चा है, रुहेलखंड के डिवीजन और तराई भावर में भी ऐसा ही है। और हमें पूरी आशा है कि इन दोनों के बीच में जो अपनी मिलें हैं, इन मिलों के पेराई के सीजन को बढ़ाने के बाद और जो वहां पर खांडसारी का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, इन दोनों कारणों से हम किसानों के गन्ने को, यद्यपि वह बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से, फिर भी उसको पेरवाने में हम समर्थ होंगे। सरकार को इसके बारे में कोई आशंका नहीं है और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदन के सदस्यों को और सदन के बाहर उन किसानों को भी कि प्रदेश की सरकार एक स्टिक गन्ना भी इसमें से खराब न होने देगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां के नैनीताल, बरेली, रामपुर, पीलीभीत तथा मुरादाबाद जिलों में कितना गन्ना पैदा होने का सर्वे फोरकास्ट उनके पास उपलब्ध है और यहां के मिलों की कितनी क्रशिंग कैपेसिटी है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, अभी इसका सर्वे चल रहा है। कितना गन्ना इस साल हमको मिलेगा इसकी एक सही तस्वीर अभी नहीं आई है किन्तु जो रिपोर्ट इस एरिया की हमारे पास आई है उस से मालूम यह होता है कि पारसाल इस नैनीताल और तराई एरिया से जितना गन्ना मिला था उससे २५ हजार एकड़ गन्ना ज्यादा मिलेगा। शेष जिलों की रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है क्योंकि उस सूचना के भेजने में कठिनाई यह हो रही है कि इस पानी बरसने से जो वाटर लागिंग हुआ, उससे कितना गन्ना खराब होगा और कितना रह जायगा इसके सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त ने कहा कि इसको अभी फोरकास्ट नहीं कर सकते। १०, १५ दिन में वहां से अन्तिम फोरकास्ट आ सकेगा। इससे अधिक सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

जहां तक क्रशिंग की बात है, सारे उत्तर प्रदेश के पेराई के आंकड़े तो हमारे पास हैं किन्तु जिलों के आंकड़े नहीं हैं। सारे उत्तर प्रदेश की क्रशिंग कैपेसिटी ८४ हजार टन गन्ने की है। इतने गन्ने को प्रति-दिन क्रश करने की हमारी कैपेसिटी है। इन जिलों की मिलों की कैपेसिटी के फीगर इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जिस समय किछा फैक्टरी लगाने का प्रश्न हुआ और जिसने उस जिम्मेदारी को लिया विष्ट साहब ने, उनसे सरकार का समझौता हुआ कि वह ४० लाख रुपया देंगे और सरकार उसके लिये मशीनरी का इन्तजाम करेगी? यदि हां, तो तीन साल हो गया सरकार अभी तक क्यों इन्तजाम नहीं कर पाई?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार यह चाहती थी कि उस इलाके की समृद्धि के लिये सरकार चेष्टा करे और विष्ट साहब भी इस बात के लिये तैयार थे कि वह फैक्टरी लगाये। उनको जो सहायता हमको देनी थी वह देदी। हमारी सहायता में देर नहीं हुई। दिल्ली की सरकार पर हमारा कब्जा नहीं है कि जब हमारा मन आये उनको उठाया बैठाया करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किछा में फैक्टरी बैठाने के लिये विष्ट साहब को प्रदेशीय सरकार की ओर से किन शर्तों पर कितनी सहायता दी गई?

श्री अध्यक्ष—इसको बतला दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन पांच जिलों के काश्तकारों का जो गन्ने का क्षेत्र है उनके गन्ने को क्रश करने के लिये आदेश अभी जारी किये गये हैं ताकि वह समय से क्रशर लगा सकें?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह मसला बड़ा पेचीदा है। एक साल के लिये क्रशर लगाना कोई माने नहीं रखता है क्योंकि जब एक बार उस पर धन लग जायगा तो बाद में उसको हटाया नहीं जा सकता है। उधर किछा फैक्टरी भी आ रही है और यदि क्रशर हम इस खयाल से लगावें कि सारा गन्ना हमको क्रशर से ही पेरवाना है तो फिर उस फैक्टरी को गन्ना कहां से दिया जायगा। फिर भी हमारी कोशिश यह होगी कि वहां के काश्तकारों का गन्ना बेकार न होने पावे। उन क्षेत्रों के लिये हमारी लिबरल पालिसी यह होगी कि उनके सारे गन्ने को क्रश कराने के लिये कोल्हू या क्रशर आदि की सहायता जो कुछ भी हो सके, उनको दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मन्त्री जी ने बतलाया कि पूरे प्रदेश के अन्दर कितना गन्ना बोया गया उसके आंकड़े आ चुके हैं तो क्या यह बात सही है कि पूरे प्रदेश में इस साल गन्ने का जो क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ है और सरकार ने पच्छिमी जिलों में १५ अक्तूबर से और पूर्वी जिलों में पहली नवम्बर से मिल चलाने का निश्चय किया है और इस सम्बन्ध में मिलों को लिख दिया गया है कि वह तैयार रहें और समय से काम शुरू कर दें?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, पहली बात तो यह है कि मैंने यह नहीं कहा कि सारे प्रदेश के गन्ने के आंकड़े मेरे पास हैं। मैंने प्रति दिन क्रशिंग कैपेसिटी बतलाई कि वह ८४ हजार टन गन्ने के लगभग है। इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि सारे सूबे में कितना गन्ना होगा। जहां तक मिलों को लिखने की बात है, उसके सम्बन्ध में मैंने कल भी शुगर मिल एसोसियेशन के नुमायन्दों से बात की थी। वह इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार और हम उनको आदेश दें कि वे १५ अक्तूबर से पश्चिमी और मध्यवर्ती और पहली नवम्बर से पूर्वी इलाके के मिल चला दें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)— क्या इस बात पर सरकार ने विचार किया है कि पिछला सीजन जो गन्ने को पेरने का था वह शुगर केन की हिस्ट्री में सब से अधिक पीरियड मिलों के चलने का था। इस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक गन्ना है और उसके लिये सिर्फ १५० दिन का चर्चा किया गया नवम्बर से आगे चलाने का, तो क्या मई से आगे फैक्टरी बन्द हो जायं और गन्ना खेतों में खड़ा न रह जाय यह सारी तस्वीर सरकार के सामने है और इस पर सरकार ने विचार किया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह प्रश्न बहुत व्यापक होता जा रहा है। इसके लिये हमको सारे सवाल को देखना होगा कि आने वाले जमाने में कितना गन्ना हमको क्रश करना है और कितने गन्ने से हमको चीनी बनानी है। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश में चीनी बढ़ाने का है और हम चाहते हैं कि जितनी चीनी इस वक्त हमारे पास बन रही है उससे अधिक बनावें और उसका लक्ष्य हमारा यह है कि करीब-करीब ४ लाख टन हम चीनी की कैपेसिटी और बढ़ावें। अगर साल दो साल के लिये हम कोई कच्चा-पक्का इन्तजाम करते हैं और उसमें लोगों का कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, इन सारे सवालों पर हमको गौर करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर केन्द्रीय सरकार ने हमारे सुझाव को माना, और जैसी आशा है वह मानेंगे, तो हम अपने प्रदेश में चीनी उद्योग को कायम कर सकेंगे जैसी कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो या तो स्टैंडिंग कैपेसिटी हम को डेढ़ वर्ष के अन्दर मिल जानी चाहिये और अगर यह कैपेसिटी हमको मिल जाय तो गेंदा सिंह जी का जो लक्ष्य है वह भी पूरा हो जायगा और उस तारीख तक हम बाकी कामों को भी कर सकेंगे; लेकिन इधर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां से गन्ना निकल ही नहीं सकता, मसलन, देवरिया, गोरखपुर, और रामपुर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं। इसलिये वहां तो खांडसारी, कोल्हू और दूसरी व्यवस्थाओं में हम चाहते हैं कि किसान आगे आयें और उनको लगावें।

श्री गेंदासिंह—गन्ने का अधिक से अधिक उत्पादन हो इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और चीनी का भी अधिक से अधिक उत्पादन डेढ़ दो साल में होने लगे यह भी ठीक है, लेकिन जो गन्ना खड़ा है उसको पेरने के लिये सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बतला दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—काश्तकारों ने जो २५,००० एकड़ गन्ना लगा लिया इस उम्मीद में कि किछा की फैक्टरी चल जायगी दिसम्बर में, उनका गन्ना अब किन मिलों को डाइवर्ट किया जा रहा है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इतना ही कह सकता हूं कि गन्ना डाइवर्ट किया जायगा और यह केन आयुक्त का काम है कि इसको देखे। यह काम करने के लिये हम अफसरों को काफी तनख्वाह देते हैं और हम देखेंगे कि गन्ना ठीक से डाइवर्ट हो, समय से हो और ठीक जगह पर हो।

भुवाली सेनेटोरियम की परामर्शदात्री समिति में श्री दीनदयालु शास्त्री के रिक्त स्थान पर श्री बुलाकी राम के निर्वाचन की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि भुवाली सेनेटोरियम की परामर्शदात्री के लिये श्री बुलाकीराम समिति में निर्वाचित हो गये हैं।

प्रदेश के कुछ जिलों में अतिवृष्टि तथा बाढ़ से सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब न्याय मंत्री बाढ़ों के बारे में सूचना देंगे। ४, ५ जिलों के बारे में मैंने उनको लिखा था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैंने भी दफा ५२ में एक दिया था वह भी आपके दफ्तर से उनको भेजा गया था।

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह भी मैंने उनको भेज दिया है ।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—मान्यवर, १० सितम्बर को न्याय मंत्री जी ने उससे पूर्व की बाढ़ की स्थिति का यहां जिक्र किया था और उस के बाद कुछ जिलों में दुर्भाग्य से बाढ़ आ गयी और इस संबंध में इस समय तक जो सूचना है उसे मैं सदन के सम्मुख रखता हूं ।

बरेली में सितम्बर के दूसरे सप्ताह में लगातार २४ घंटे तक साढ़े दस इंच बारिश हुई जिसके कारण फसलों और मकानों को प्रायः सभी तहसीलों में बहुत क्षति हुई । विशेषकर तहसील बहेड़ी और नवाबगंज को अधिक क्षति हुई । दुर्भाग्य से २ बच्चों की मृत्यु हो गयी, ७ मनुष्यों को अतिवर्षा के कारण चोट लगी और तीन व्यक्ति पानी में डूब गये—२ इज्जतनगर थाने में और एक देवरानियां पुलिस सर्किल में । दो बैल भी पानी में सदर तहसील में बह गये । अब जिले में वर्षा नहीं हो रही है और यह आशा की जा रही है कि पानी जल्दी ही सूख जायगा । यातायात में कोई बाधा नहीं हुई है और न कोई रास्ता रुका है । फसलों को जो क्षति हुई है उसका अंदाजा लगाया जा रहा है और यह अनुमान किया जाता है कि ठीक वक्त तक उसका सही अंदाजा लग जायगा । जिलाधीश तहसीलों में लगातार तीन दिनों से दौरे पर जा रहे हैं और प्रत्येक तहसीलदार के पास १,००० रुपया अहेतुक सहायता के लिये रख दिया गया है । जिलाधीश ने २५ हजार रुपया और मांगा है जिसके लिये समुचित आदेश सरकार से दिये जायेंगे ।

शाहजहांपुर जिले के संबंध में मान्यवर, यह सूचना मिली है कि वहां पर कुछ ५२४ गांवों में ४६,६८० एकड़ क्षेत्रफल तथा शाहजहांपुर के ५ मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हुए । ३ मनुष्य मरे परन्तु पशुओं की कोई हानि नहीं हुई । ११ सितम्बर को अत्यधिक वर्षा से गर्रा तथा खनौत नदियों में बाढ़ आई । अब पानी घट रहा है । गर्रा नदी का स्तर आज प्रातः १० बजे तक ४८७ फीट था, परसों से १/२ फीट पानी घट गया है (आज से मतलब कल से है) । खनौत नदी का स्तर कल ४८४ फीट था आज सुबह तक २ फीट पानी और घटा । फसल को क्षति बाढ़ घट जाने पर ही ज्ञात हो सकेगी । जिन क्षेत्रों से बाढ़ का पानी घट गया है उनकी हानि की जांच हो रही है । बाढ़ से गिरे गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया गया । इस जिले के लिये १०,००० रुपया अहेतुक सहायता आदि तथा ८२,००० रुपया तकावी के लिये स्वीकृत किया गया ।

जिला खीरी के संबंध में यह सूचना है कि सितम्बर के दूसरे सप्ताह में लखीमपुर के पास १३६.८ मिलीमीटर वर्षा हुई जब कि गत वर्ष इस अवधि में केवल ५.६ मिलीमीटर वर्षा हुई थी । इतनी ही अधिक वर्षा जिले में प्रायः सर्वत्र हुई । इसके परिणामस्वरूप उल्ल, खंडवा और कठना नदियों में १०-९-६० से पानी बढ़ने लगा और बाढ़ आ गई । अति वृष्टि के कारण मैलानी से कोड़ियाला घाट तथा गौरी फंटा तक रेल का यातायात १४ घंटे तक बन्द रहा । मैलानी गांव तथा मैलानी के बहुत से रेलवे क्वार्टर पानी के जमाव से प्रभावित हुए । पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की गई और धर्मशालाओं तथा रेलवे के खाली वैगनों में उनके अस्थायी निवास का प्रबन्ध किया गया । पानी घट रहा है तथा आशा है कि २, १ दिन में स्थिति सामान्य हो जायगी । जिले में बाढ़ से २४६ गावों को १,४८,००० एकड़ क्षेत्रफल की फसल प्रभावित हुई । हानि अनुमानतः ८ आने से १६ आने की है तथा कुल २१,९७६ मनुष्यों पर इसका प्रभाव पड़ा । ११३३ घर क्षतिग्रस्त हुए या गिर गये । अब तक १४०० रुपये की अहेतुक सहायता तथा ७३० रुपये की तकावी वितरित की गई । तकावी अभी वितरित की जा रही है । सहायता के लिये इस जिले को १०,००० रुपये अहेतुक सहायता आदि तथा ७१,००० रुपये तकावी के लिये स्वीकृत किया गया है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—यह नहीं बताया गया कि कितनी तकावी स्वीकृत की गयी है ।

श्री अध्यक्ष—७१ हजार बताई तो है ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसके अतिरिक्त मान्यवर, गोरखपुर जिले की भी मेरे पास सूचना है । गोरखपुर में राप्ती का स्तर ४–९–६० को खतरे के बिन्दु को पार कर गया, और ९–९–६० को नदी का स्तर २४९·३० फीट था । इस नदी का सन् १९३४ में ऊंचे से ऊंचा स्तर २५०·५७ फीट तक पहुंचा था और १९५० में २४६·५० फीट था। ९–९–६० से नदी का स्तर गिरना प्रारम्भ हो गया था और १४–९–६० को २४७·५० फीट था । स्तर बराबर धीरे-धीरे कम हो रहा है ।

घाघरा नदी का स्तर दोबारा ४–९–६० को बढ़ना शुरू हुआ और खतरे के बिन्दु को पार कर गया । ९–९–६० तक बराबर बढ़ता रहा और खतरे के बिन्दु से १ १/२ फीट ऊंचा पहुँच गया । इसके बाद स्तर का गिरना शुरू हुआ और १४–९–६० को १·४० फीट खतरे के बिन्दु से ऊंचा था ।

इन दोनों नदियों के अतिरिक्त रोहिनी, नरायनी, छोटी गंडक, व्यास, बघेला, महोन, अमी तथा कुआनों भी ४–९–६० तक बराबर बढ़ती गयी। ९–९–६० के बाद सब नदियों के स्तर कम होना प्रारम्भ हो गया और अब भी बराबर कम हो रहा है । झरिया, धोबा, गुर्राह, सेमराना आबा और घोंघी नाले भी पानी से भर गये परन्तु अब सब कम हो गये हैं ।

अब क्षति के आंकड़े बढ़कर इस प्रकार हो गये हैं :—

ग्रामों की संख्या–१२००, क्षेत्रफल जिसमें पानी भर गया–२,५०,००० एकड़ मकानों की संख्या–२,२००, मृत मनुष्यों की संख्या–५ ।

लगभग २,००० मनुष्यों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है । २५० नाव सुरक्षा तथा सहायता कार्यों में व्यस्त हैं । १००० मन चना, २०२ मन गुड़, ७७ मन नमक, १३७ टोन मिट्टी का तेल, ६२ ग्रुस मासिच की डिबिया अब तक निःशुल्क बांटी जा चुकी हैं । ७२ सहायता केन्द्रों से जिले भर में प्रभावित गांवों को सहायता पहुंचाने का कार्य सुचारु रूप से चालू है । चिकित्सा का उचित प्रबन्ध है और सुरक्षित वन पशुओं के चरने को खोल दिये गये हैं ।

देवरिया के संबंध में निवेदन कर दूं ?

श्री अध्यक्ष—जिसके बारे में देना चाहें, दें, मैं आपको रोकता नहीं । अगर पिछले संबंधित विवाद के बाद की रिपोर्टें हों तो आप दे सकते हैं ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—देवरिया में ४–९–६० को घाघरा, छोटी गंडक, राप्ती तथा सहायक नदी गर्रा में बाढ़ आयी और साधारण बाढ़ बिन्दु को पार कर गयी । १३–९–६० से सब नदियों में पानी घटना प्रारंभ हो गया है । इस बाढ़ का लगभग ३०० ग्रामों की ३७,७४८ एकड़ कृषि योग्य भूमि पर प्रभाव पड़ा है । १४७ मकानों को क्षति पहुंची है। १ मनुष्य की डूबने से जान गयी । फसलों की क्षति का अनुमान अभी तक लगाना संभव नहीं हुआ । ४८ किराये की तथा ४४ गांव समाज की नावें सुरक्षा तथा सहायता कार्यों में लगी हुई हैं । मनुष्यों को निकालने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । स्वास्थ्य संबंधी कार्य चालू हैं । स्थिति संतोषजनक है ।

यह पोजीशन अब तक की है । विधान परिषद् में कल वक्तव्य देना था, इसलिये कल तक की सूचना हम सदन के सामने रख रहे हैं । पीलीभीत की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी ।

(श्री रूर्मासह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—माननीय रूर्मासह, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, यह वक्तव्य कोई नियम ५२ के अनुसार नहीं हुआ है । आपको जो कहना हो वह बताइये ।

श्री रूपसिंह (जिला शाहजहांपुर)—मुझे यह कहना था कि शाहजहांपुर में बाढ़ बहुत नहीं है, लेकिन पड़ोस की वजह से शाहजहांपुर शहर के कई मुहल्लों का अलगाव हो गया है और वहां कोई व्यवस्था नहीं है । खन्नौत नदी है, उसके कारण संबंध विच्छेद हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री उग्रसेन—मेरा निवेदन यह है कि गोरखपुर, देवरिया में बाढ़ आयी और १२ बांध गोरखपुर के और ६-७ देवरिया में टूट गये हैं, तो उनकी भी तहकीकात करवाई जाय ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मंत्री जी का कि जो नदियां गोरखपुर में जाती हैं वही देवरिया में भी । देवरिया पर क्यों इतनी कृपा कर दी कि उसका जिक्र इतना कम है । बड़ी गन्डक में बाढ़ आयी, लेकिन गोरखपुर में आयी, देवरिया में नहीं आयी, जब कि देवरिया नीचे के हिस्से में है । जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें इसका जिक्र नहीं है ।

दूसरी बात, मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर के रिलीफ के मेजर सख्त हो सकते हैं. लेकिन देवरिया का भी ध्यान रखकर रिलीफ मेजर अख्तियार करें । इतना अन्तर क्यों है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने स्पष्ट बताया कि देवरिया में पानी इतना भरा हुआ है कि वहां के नुकसान का पूरा अन्दाजा तब लगाया जा सकता है जब वह पानी निकल जायगा । इसका मतलब यह है कि वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तभी तो अभी तक अन्दाजा नहीं लगा पा रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । १५ तारीख को हमने और कुछ सदस्यों ने शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत वगैरह के बारे में दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न उठाये थे और आपने मेहरबानी करके उन्हें मंत्री जी के पास भेज दिया था और कहा था कि वह जांच कराकर उत्तर दें । श्रीमन्, मैंने बरेली के बारे में स्पष्ट तौर से कहा था और आज भी लिखकर दिया, वहां ६०० गांव में नुकसान हुआ और ८० हजार एकड़ जमीन डूब गई ।

श्री अध्यक्ष—इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री प्रतापसिंह—व्यवस्था का प्रश्न यही है कि उन्होंने कहा कि यातायात बन्द नहीं रहा, यह गलत है, जो प्रश्न था उसकी जांच माननीय मंत्री जी को करानी चाहिये थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—मैंने नियम ५२ में इसको स्वीकार नहीं किया था । बाढ़ों के संबंध में यहां एक दफा बहस हो चुकी है और बाढ़ के संबंध में क्या क्या कार्यवाही करनी चाहिये इस पर सबने चर्चा करके अपने सुझाव दे दिये थे । अब चूंकि कुछ नई जगह या दुबारा बाढ़ें आ गई हैं इसलिये मैंने कह दिया था कि मंत्री जी सदन को उनकी सूचना दे दें लेकिन मदद देने की कार्यवाही तो उसी नीति से की जायगी जो पहले कहा जा चुका है । अब अगर कोई और सूचना आपके पास हो तो उसे मंत्री जी के पास भेज दीजिये, उस पर वह कार्यवाही करेंगे ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर के बारे में माननीय उग्रसेन जी ने जो कहा है उसमें मैं कुछ और जोड़ना नहीं चाहता लेकिन आज लखनऊ शहर में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के बंगले की तरफ गया था तो वहां मुझे बड़ी जबर्दस्त बाढ़ मालूम हुई ।

श्री अध्यक्ष—उनको कोई शिकायत नहीं है ।

श्री मदन पांडेय—श्रीमान्, देहात के एरिया में भी बाढ़ आई हुई है ।

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की नियम समिति (१९६०-६१) के प्रथम प्रतिवेदन में संशोधन

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की नियम समिति (१९६०-६१) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर प्राप्त संशोधनों पर विचार होगा ।

नियम समिति की सिफारिश इस प्रकार से है :

"नियम १६ के उपनियम (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "पूर्वाह्न से" के पश्चात् और "५ बजे अपराह्न" के पूर्व निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"एक बजे अपराह्न तक और फिर दो बजे अपराह्न से ।"

इस संबंध में मैं इतना जानना चाहता हूं कि आज का ज्यादातर समय तृतीय पंचवर्षीय योजना पर खर्च होना है इसलिये यदि इस पर बहस होनी हो तो आज इसको न लिया जाय, अगर निर्विरोध पास हो जाय तो मैं इसको ले लूंगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, छुट्टी तो हम जरूर चाहते हैं, लेकिन दूसरी बातें जो उसके साथ हैं उसके लिये इस पर विचार करना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—तो यह प्रश्न ६ तारीख को लिया जायगा ।

विधान भवन के मुख्य द्वार के निकट छत में दरार पड़ जाने की सूचना

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी शायद आपको न हो, विधान भवन के मुख्य द्वार के पास जहां कि गुप्तचर के लोग रहते हैं वहां पर काफी दूर तक छत फटी हुई है । कल शाम को जब मैं जा रहा था तो मैंने उसको देखा, चाय की जो दूकान है उसका पानी वहां पर काफी गिरा हुआ था । इस संबंध में मैंने पी० डब्लू० डी० वालों से सम्पर्क भी करना चाहा लेकिन वह नहीं हो सका । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि ऊपर से छत गिर जाय और रास्ता चलने वालों को छतरमंजिल की हालत देखनी पड़े ।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में मैं समझता हूं सार्वजनिक निर्माण विभाग से जांच करवा ली जायगी और अगर खतरे की बात मालूम होगी, आज यदि इसमें कोई खतरा हो सकता हो, तो आपको सूचना दे दी जायगी और उसको मिटाने का प्रबन्ध कर दिया जायगा ।

नियमावली पर विचारार्थ अधिक समय देने की प्रार्थना

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अभी आपने नियमों में संशोधन करने के लिये ६ तारीख मुकर्रर की है । मेरी प्रार्थना है कि उसके लिये आप काफ़ी समय दें । घंटे या आधे घंटे से काम नहीं चलेगा, उसमें बहुत सी सिद्धांत की बातें हैं ।

श्री अध्यक्ष—उसी दिन कहियेगा ।

प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर चर्चा *(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब प्रदेशीय तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप पर विचार जारी होगा ।

---

*१६ सितम्बर, १९६० की कार्यवाही से ।

†श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना का रूप हमारे सामने ऐसे ढंग से रखा है कि जिससे भावी कार्यक्रम का पूरा चित्र मालूम हो जाता है । यह बात, मान्यवर, सर्वमान्य है कि हमारे देश और प्रदेश का आर्थिक ढांचा या अर्थ-व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है । अगर हम कृषि के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो यह निश्चय है कि हम उन्नति की ओर जा रहे हैं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तीसरी योजना में भी सरकार ने कृषि पर विशेष ध्यान दिया है । लेकिन साथ ही हमारी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का अनुभव यह सिद्ध करता है कि मंत्रि मंडल या सरकार जितना महत्वपूर्ण स्थान कृषि के कार्य को देती है और उसके लिये धनराशि रखती है उतना महत्व या उतना धन हम कार्य करने में इस पर खर्च नहीं कर पाते । इसका ज्वलंत उदाहरण हमारी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के लिये रखे हुये रुपये में से कितना व्यय हुआ है यह देखने से मालूम हो जाता है । कृषि का मुख्य अंग सिंचाई का कार्य है । दोनों योजनाओं में सिंचाई के लिये करीब ९२ करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें से खर्च केवल लगभग ४९ करोड़ के ही हुआ है । इससे हमारी सफलता, कार्यशैली और कार्य-प्रगति का एक चित्र मिल जाता है कि हम कृषि को उन्नति देने में कितने जागरूक हैं । साथ ही, जो कुछ भी कृषि के क्षेत्र में हमने किया है मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वह हमने सिर्फ उन लोगों के लिये किया है जिनके पास बड़ी बड़ी जोतें हैं । मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि जितना रुपया हमने बड़े-बड़े फ़ार्मों की पैदावार बढ़ाने के लिये खर्च किया अगर वह हमने उन छोटे-छोटे किसानों के लिये खर्च किया होता जो सही मानों में खेतों पर काम करते हैं, जिनकी तादाद किसानों में कुल मिलाकर ७० फी सदी से कहीं ज्यादा है, तो मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि कम से कम अन्न के मामले में हम पूर्णतया स्वावलम्बी हो जाते । लेकिन आज की स्थिति यह है कि जो बड़ी-बड़ी योजनायें सिंचाई विभाग द्वारा चल रही हैं या जो कार्य हमारी भूमि की सिंचाई बढ़ाने के लिये हमारे सामने हैं उनमें से एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं रखना चाहता हूं । मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र में करीब ३०० एकड़ जमीन को पानी से खाली कराने के लिये लगातार ३ साल तक प्रयत्न किया लेकिन आज तक मुझे उसमें सफलता नहीं मिली । सिंचाई विभाग के दफ्तरों में आज तक वे कागज बराबर घूम रहे हैं जब कि मैं वहां के निवासियों को यहां तक राजी कर लाया कि जमीन एक्वायर हो जाय तो वे श्रमदान से ही उसे खाली कर लेंगे । इतना ही नहीं, कृषि विभाग के टैक्नीकल अफसर और एडवाइजर विदेशों में जाकर विदेशियों की स्थिति और परिस्थितियों का निरीक्षण करके यहां यह कोशिश करते हैं कि विदेशी ढंगों को किसान इस्तेमाल करें । इसका नतीजा यह हुआ कि वे कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सके हैं । कुछ दिन पहले यहां प्रश्नों के उत्तर में जानकारी हुई कि हमारे बाहर से ट्रेनिंग लेकर आये हुये लोगों ने किसानों से कुवारी धान की जगह अगहनी धान बुवा दिया और अगहनी की जगह कुवारी धान बुवा दिया । मैं चाहता हूं कि माल मंत्री जी कम से कम तीसरी योजना में सिंचाई पर विशेष तौर से ठीक तरह से ध्यान दें जिससे हमारे किसान स्वावलम्बी हो सकें । उसका सीधा तरीका यह है कि हम किसानों को उनकी छोटी-छोटी और जरूरी योजनाओं में पूरा पूरा सहयोग दें ।

इसमें कोई संदेह नहीं है, मान्यवर, कि बिजली की कमी है । साथ ही सरकार बधाई की पात्र है कि उसने इस कमी को पूरा करने के लिये इस योजना में उसके लिये विशेष धनराशि रखी है । लेकिन जो भी बिजली हमारे पास है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग खेती के लिये होना चाहिये । जब छोटे किसान मिलकर भी नलकूपों के लिये बिजली के वास्ते कोशिश करते हैं तो वे असमर्थ रहते हैं । कुछ दिन से बिजली प्राप्त करने में किसानों को डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर का दरवाजा भी झांकना पड़ता है । उसकी रिपोर्ट के बाद बिजली मिलनी चाहिये, पावर के इंजीनियर के यहां अर्जी जाती है और फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी में वह

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री महीलाल]

बात जाती है। वर्षों में किसान बिजली पावेगा और तब नलकूप लगेगा। इन पेचीदे ढंगों में सुगमता होनी चाहिये जिससे सुन्दर योजनाओं के लक्ष्य से हम पूरा लाभ उठा सकें।

चूंकि आपने समय बहुत कम दिया है इसलिये मैं थोड़ी सी बात उद्योग के लिये कहकर समाप्त करता हूं। मान्यवर, यह निश्चित है कि जब तक हमारे किसानों की स्थिति, जो आज ७४ फी सदी से भी अधिक हैं, मजबूत नहीं हो जाती उस समय तक उद्योग की खपत कहां जायगी ? हमारे लिये जरूरी है कि उद्योग बढ़ाने के लिये उसकी पैदावार के लिये बाजार तैयार करें। जब हमारे किसानों का आर्थिक स्तर इतना ऊंचा हो जाय कि उद्योग से पैदा की हुई वस्तुओं को वह खरीद सकें, तभी इस तरफ हमें खास तवज्जह देनी चाहिये। लेकिन इस वक्त खासतौर पर जोर होना चाहिये कि हम उन असंख्य लोगों की हालत को सुधारें जो कि आज गरीबी की हालत में हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को स्वीकार किया कि किसान हमारे भूखे हैं, जो हम सहायता देते हैं वे खा जाते हैं। इसलिये जरूरी है कि हम ज्यादा बिजली के सामान तैयार करके और जो दूसरी चीजें जिन्दगी के लिये जरूरी हैं, उनके लिये मुहइया करें जिनका वे इस्तेमाल कर सकें और उनको खरीद सकें। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि औद्योगिक नीति को सफल बनाने के लिये भी ज्यादा जरूरी है कि हम गांव के रहने वाले गरीब किसानों को इतना ऊंचा करें कि वे इन चीजों का इस्तेमाल कर सकें।

श्रीमन्, अब मुझे उद्योग के सिलसिले में कुछ कहना है। खासकर मुझे मुरादाबाद ब्रास वेयर के संबंध में अर्ज करना है। अभी कुछ दिन पहले केन्द्र के उद्योग मंत्री ने अपने भाषण में यह विचार व्यक्त किया था कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में मुरादाबाद ब्रास वेयर उद्योग का स्थान हमारे देश में दूसरे नम्बर पर है। हमारी इन योजनाओं को सफल बनाने के लिये विदेशी मुद्रा का विशेष महत्व है। इसलिये हमारा पूरा जोर ऐसी चीजों के ऊपर होना चाहिये जिनसे कि हम विदेशी मुद्रा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि इस तरफ के बैठने वालों को भी इस प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या स्वरूप हो, उसकी क्या शक्ल हो, इसमें राय देने का मौका मिला है। राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद यह समझा जाता था और उसके पहले भी यह खयाल था कि हमारी सामाजिक व आर्थिक समस्यायें हल नहीं हो सकतीं और स्वतंत्रता प्राप्त करने का असली मकसद नहीं हासिल हो सकता, अगर हम अपनी गरीबी को दूर नहीं कर पाये। जो सामाजिक विषमता है, और ऊंच नीच का भेदभाव है, या आर्थिक फर्क इस तरह का है कि एक तरफ करोड़ों रुपये की दौलत और दूसरी तरफ खाने के लिये भी नहीं, जब तक इस फर्क को दूर नहीं किया जायगा, तब तक स्वराज्य के हासिल करने का असली मकसद खत्म हो जायगा। यह बात सही थी। मान्यवर, संविधान के बनने के बाद इस तरफ ध्यान गया कि देश की आर्थिक उन्नति किस प्रकार की जाय। जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो यह भी जरूरी होता है कि एक लक्ष्य सामने हो। मैं समझता हूं कि किसी भी प्लानिंग का कम से कम यह लक्ष्य जरूर होना चाहिये कि उस देश के जितने भी रहने वाले हैं, उनको जीवन निर्वाह के लिये, जो जिन्दगी की गुजर बसर के लिये जरूरी चीजें हैं वे सब हासिल हों। ऐसी हालत में यह लाजिम हो जाता है कि हम इस दशा को प्राप्त करने के लिये कोई योजना बनावें।

श्रीमन्, मझे कल हैरत हुई एक माननीय सदस्य से यह सुन कर कि ५ वर्ष के लिये योजना बनाना, प्रजातंत्र के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी मैंने सोचने और सलाह करने की कोशिश की और समझने का भी प्रयत्न किया, कुछ पोथी पुस्तकें भी उलटीं कि शायद इस राय को सहारा मिल जाय लेकिन नहीं मिल सका। यह सही है कि संसार के आगे, इस देश के आगे और इस प्रदेश के आगे भी एक योजना की

मिसाल जो बहुत सफलतापूर्वक चलाई गई वह ऐसे देश की है कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है, टोटेली टेरियन कंट्री की है, जहां कुछ तानाशाही के जरिये से काम लिया जाता है। लेकिन महज उस मिसाल का अकेले होना इस बात की दलील नहीं हो सकता कि प्रजातंत्रीय देश में कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती। यह कहा गया कि हम पांच वर्ष के लिये प्लानिंग कर लेंगे और बजट हर साल बनता है। कोई भी प्लान यह सदन स्वीकार करे या कोई भी सरकार बनाये, तो वह देववाणी तो है नहीं कि उसमें कोई बदलाव न किया जा सके, या रवां जबान में मैं कहूं कि आयात हदीस तो है नहीं कि उसे बदला न जा सके। हम एक लक्ष्य रखें, उस तरफ चलें, उसमें दिक्कत चाहे साधन की हो, चाहे इस बात की हो कि वह वैकल्पिक है और व्यावहारिक नहीं है, तो हर तरह से हमें अख्तियार है कि उसको बदल दें, काट-छांट कर दें। इसलिये मैं, मान्यवर, इस पक्ष में हूं कि उत्तर प्रदेश की भलाई के लिये और यहां की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये और जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं इस प्रदेश के लोगों को प्राप्त हों, इसके लिये एक योजना की जरूरत है। और जब योजना की जरूरत है तो वह सोच-समझ कर बनानी चाहिये। उस योजना को पूरा करने के लिये, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, एक संकल्प होना चाहिये और संकल्प के साथ-साथ यह भी होना चाहिये कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जो साधन हैं उनको हम जुटायेंगे चाहे कितनी बड़ी दिक्कत हमारे ऊपर आये, चाहे कितना ही त्याग क्यों न करना पड़े।

दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी हवा चली है और आज भी है कि जब कभी यह मामला पेश होता है कि खर्चा बढ़ाया जाय, अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की जाय, तब यह होता है कि जरूर बढ़ाई जाय, कम हो। जब यह कहा जाता है कि इसके लिये रुपया कहां से लाया जाय, तब नये टैक्सों की मुखालिफत की जाती है। मैं उन लोगों में हूं जो कि आज इस राय के हैं कि जितना टैक्स हमारे प्रदेश में लगा हुआ है इस प्रदेश के रहने वालों में से ७५/८० फी सदी लोग उससे ज्यादा टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि १३-१४ साल की स्वतंत्रता के बाद हम रेंगने वाली चाल नहीं चल सकते हैं। आदमी जागा है, चाहे गांव का हो, चाहे बेपढ़ा हो, चाहे भूखा रहने वाला हो, चाहे उसके पास एक बिस्वा जमीन भी न हो, जीवन निर्वाह का साधन न हो, भीख मांगता हो, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते हैं और हमें रोकना भी नहीं चाहिये। आज वह चाहता है कि अच्छे से अच्छा खाएं और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनें। नायलन एक प्रकार का कपड़ा है, जो ट्रांसपेरेंट होता है और उसे पहनने पर सारा अंग दिखाई देता है। लेकिन जो आदमी निर्धन हैं, उनके बच्चे और स्त्रियां उसे पहनने लगे हैं। हम रोक नहीं सकते। साइकिल पर लोग ज्यादा चढ़ेंगे, बिजली की बत्ती ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, खाना नहीं खाएंगे लेकिन जब खाएंगे तो घी भी डालेंगे और मटर की तरकारी भी खा लेंगे। हम नहीं रोक सकते हैं। देश के आदमी ने करवट बदली है। उसमें हमारा भी हाथ रहा है। उसकी उमंग को मारना होगा यह कहकर यह काम धीरे-धीरे हो सकता है लेकिन साथ ही साथ, मायन्वर, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि ऐसी चाल भी न चलें कि वह काम पूरा न हो या इतना तेज चलें कि कुछ भी हासिल न हो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो नतीजे निकले और द्वितीय योजना के जो नतीजे निकलने वाले हैं उनकी तरफ अगर देखा जाय तो कुछ आशा टूटती है। निराशा होती है। और संदेह होता है कि हम, जो लक्ष्य है, उसको हासिल कर सकेंगे या नहीं। लेकिन खुशी की बात है कि साढ़े तीन साल के अनुभव में यह पहला मौका है जब सरकार की राय और इधर के बैठने वालों की राय में जहां तक वाकयात का मामला है वहां एकमत है। दोनों पक्ष इस बात को मानते हैं कि जो तरक्की होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी। दोनों पक्ष इस राय के भी हैं कि कृषि की दृष्टि से, अस्पतालों की, शिक्षा की, उद्योग की, किसी भी दृष्टि से देखा जाय और जिसका हमारे ऊपर वास्तविक असर पड़ता है उसमें हम इस पिछड़े हुए देश में भी पिछड़े हुए हैं। यह बात गौरव की नहीं है, दुख की बात है। लेकिन इतर इसके कि मैं तृतीय योजना की रूप रेखा पर जाऊं और उसके प्रारूप के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूं, मैं इतना जरूर अर्ज करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सोचने की बात है,

[श्री त्रिलोकीसिंह]

क्या कारण है कि पहली और दूसरी योजनाओं में जो सफलता प्राप्त होनी चाहिये थी वह नहीं मिली ।

माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ कारणों की तरफ इशारा किया सरकारी तौर पर । सही है, मैं उनसे सहमत हूं । लेकिन एक कारण मेरी समझ में बहुत बड़ा यह है कि जब यह योजना बनायी गयी तब इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि हमारी आवश्यकता है क्या, लक्ष्य क्या है। लक्ष्यविहीन योजना बनी और यही कारण है कि पहले ५ साल गुजर गये, दूसरे पांच साल भी गुजरने वाले हैं लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, बुन्देलखंड पिछड़ा हुआ है, या पूर्वी अंचल की ऐसी जरूरत है कि दूसरे स्थानों के मुकाबिले में ज्यादा प्रयत्न करना चाहिये, यह ध्यान आज से १०, ११ साल पहले जाना चाहिये था। लक्ष्यविहीन योजना में हमेशा यह गड़बड़ी हुई है और होगी। और मैं अर्ज करूंगा माननीय मुख्य मंत्री से कि जितने भी निर्णय उनके और केन्द्रीय सरकार के बीच में हों एक बात पर वह गौर करें कि क्या कारण है, मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करता हूं क्योंकि ऐसा करना मैं प्रजातन्त्र की जड़ को काटने के बराबर समझता हूं, कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, मैं मानता हूं पूरा प्रयत्न किया गया और यह भी मानता हूं कोई कसर नहीं उठा रखी गई, लेकिन क्या कारण है ? कारण केवल यही नहीं था कि वह हमारी शक्ति के बाहर नहीं था, केन्द्रीय सरकार की बात थी बल्कि यहां भी ऐसा हुआ, एक विभाग से दूसरे विभाग में । मेरी राय में प्लानिंग का मिनिस्टर अलग होना चाहिये जिसको कोई और काम न हो सिवा प्लानिंग के । यदि हमारी योजना ६०० करोड़ रुपये की स्वीकार हो तो ५ साल में १२० करोड़ रुपये साल, यानी जो मौजूदा बजट है उसका लगभग ७५ फी सदी खर्च होगा प्लानिंग में । इसके लिये एक आदमी अगर अलग पूरे समय के लिये नहीं होगा जिसको कोई और फिक्र न हो, कप्तान पुलिस के तबादले की, सेक्रेटरीयट में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की या उद्योग की या कृषि की, तब तक यह काम ठीक नहीं चल सकता है। लेकिन बदकिस्मती यह है, इस प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूं जहां यह बात आती है कि उनमें कार्य क्षमता कितनी है तो वह यही नहीं कि जबानी बात में किसी से पीछे रहें बल्कि व्यवहारिक रूप में वह अपने को सबसे आगे दिखाते हैं । जिस छोटी सी बस्ती का मैं रहने वाला हूं वहां के बारे में मशहूर है कि उस बस्ती के यदि १० आदमी नाच, तमाशे जलसे, सम्मेलन इत्यादि में जायं तो उलट फेर कर सबसे आगे बैठ गये । मालूम यह होगा कि सुकरात वगैरह उनके बाद में पैदा हुये हैं और वे इनके खयाल के हैं ये उनके खयाल के नहीं हैं । यह कमजोरी बहुत अंश में पूरे प्रदेश में है और यही कारण है कि जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले केन्द्र में मंत्री हैं तो ऐसा नहीं है कि वे इस प्रान्त की हालत से बेखबर हों, यह भी नहीं है कि वे कुछ करना नहीं चाहते बल्कि यह है कि अपनी शान में कुछ कह नहीं सकते कि उन्हें भी कुछ जरूरत है हालांकि हैं सबसे पिछड़े हुए । लेकिन इस बार यह हिचक कुछ कम हुई । मैं आशा करता हूं कि दूसरे प्रान्त वाले इसे दूसरे अर्थ में नहीं समझेंगे । आंकड़ों से यह सिद्ध है कि हम किसी से आगे नहीं हैं, पीछे हैं । मिनिस्टर हमारे यहां के ज्यादा हों केन्द्र में औसत को निस्बत से, यह सही है । उत्तर प्रदेश से शासक हमेशा बाहर गये हैं । निजाम हैदराबाद के यहां, राजस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश इत्यादि का काम उत्तर प्रदेश वालों ने पिछले ३००, ४०० साल से चलाया है । आसाम में जितने बरुआ हैं उनमें २५, ३० फीसदी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं; मशहूर है जो काम रूप जाय वह भेड़ा बन जाय, भेड़ा बना नहीं । वहां रहन सहन इतनी आसानी से मिलता था कि उत्तर प्रदेश का आदमी जब कामाक्षा देवी के दर्शन करने गया तो वह वहीं बस गया । यहां मेहनत से रोजी मिलती थी, वहां बिना मेहनत के रोजी मिलती थी यही बात थी । उत्तर प्रदेश ने यह खुशी की बात है कि इस शिक्षक को समझा । इसी शिक्षक के कारण उत्तर प्रदेश ने नुकसान उठाया है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमने गौर किया होता तो सुधार होता और योजना का मिनिस्टर होता अलग से । सहकारिता को हम आधार मानते हैं अपने यहां समाज

के संगठन का। २३ लाख रुपया जिला खीरी के किसानों ने एक चीनी मिल को खोलने के लिये जमा किया। ४ वर्ष तक वह रुपया जमा रहा। लेकिन उनको मिल लगाने की इजाजत नहीं मिली। वह रुपया किसानों को वापस हो गया। अगर एक मिनिस्टर प्लानिंग का होता तो यकीनन उसके पेशेनजर हमेशा सहकारिता का आधार होता और इस तरह की गफलत नहीं हो पाती।

जिला खीरी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहां सड़क होनी चाहिये। मगर अरबे का हिसाब गलत लगा गये। उत्तर प्रदेश की एक तहसील निघासन है। ७५० स्क्वायर मील में वह है लेकिन १२ मील भी पक्की सड़क वहां नहीं बनी है। यकीनन अगर एक आदमी प्लानिंग के लिये होता तो कम्युनिकेशन्स के डेवलपमेंट को वह बराबर लड़ाई के जनरल की तरह नक्शे को देखता रहता और यह भूल फिर कदापि नहीं हो सकती थी। तो यदि माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि उनके प्रदेश में अच्छी योजना बने और इस अच्छी योजना को ठीक तौर पर कार्यान्वित किया जाय तो इसके लिये आवश्यक है कि एक मंत्री खास तौर पर नियत किया जाय। और मैं यह भी अर्ज करूं कि चंकि इसका बहुत विभागों से वास्ता है इसलिये वर्तमान दशा में इस देश में और उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री के सिवाय कोई दूसरा मंत्री इस काम को उस खूबी से नहीं कर सकेगा जिस खूबी की आज जरूरत है।

मैं इतना और अर्ज करना चाहता हूं कि २० करोड़ रुपया हम नहीं खर्च कर सके। आगे मालूम होगा कि ५० करोड़ नहीं खर्च सके। लेकिन एक बात निर्विवाद है और मैं समझता हूं कि उस तरफ के बैठने वाले मेरी इस बात से सहमत होंगे कि प्लान के दस वर्ष गुजर गये लेकिन उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिये कोई जोर, कोई उमंग, कोई एन्थ्युजियाज्म जनता में नहीं है। क्यों नहीं है? जोश न होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां प्रारम्भिक शिक्षा का जो रूप है वह ऐसा है कि न वह शिक्षा है और न वह प्रारम्भिक है। स्कूल पर स्कूल खोलते चले जा रहे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि ११ हजार स्कूल और खोले जायंगे, लेकिन पुराने स्कूलों की हालत यह है कि मास्टरों को तनख्वाह समय से नहीं मिलती है और मिलती भी है तो बहुत कम। लड़के जो दाखिल होते हैं उनको चाहिये कि लिखना, पढ़ना और कुछ हिसाब लगाना सीख जायं मगर वे यह नहीं सीख पाते हैं और उसके पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। आखिर यह प्लानिंग किस के लिये है? यह शहरों के जो चन्द फारगुलबाल लोग हैं या गांव के जो अच्छी हालत में लोग हैं उनके लिये हैं या उनके लिये हैं जो आज नंगे हैं भूखे हैं, वे पढ़े हैं और जिनको अपना भला बुरा समझने का भी ज्ञान नहीं है? मेरी समझ में योजना का मुख्य लक्ष्य है जो आज पिछड़ा हुआ हिस्सा है हमारी आबादी का उसको ऊपर उठाना ताकि वह अपने भले की बात समझ सके। वह कैसे संभव हो? दो यूनिवर्सिटियां और खुलने वाली हैं। ठीक है, मैं उसका विरोध नहीं करता। लेकिन यूनिवर्सिटी के खुलने से जनसाधारण में जो चेतना होनी चाहिये वह नहीं हो पाती। जनसाधारण में चेतना होगी प्रारम्भिक शिक्षा के फैलाव से और उसको वह रूप देने से जिसमें कि जब बच्चा ५–६ साल की उम्रमें उसमें दाखिल हो और ४–५ साल बाद जब पढ़ना छोड़े और ९० फीसदी छोड़ देते हैं, तो उसको अक्षर ज्ञान हो जाय और वह अपना भला बुरा समझ सके। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जहां तक लड़कियों के स्कूल खोलने की बात है वह जरूर खोले जायं लेकिन जहां तक लड़कों के स्कूल खोलने की बात है, जरूरत इस बात की है कि जितना काम किया गया है उसको समेटा जाय और मुझे यकीन है कि अगर हम चेतना उत्पन्न कर सके और जो प्राइमरी शिक्षा का लक्ष्य है उसको पूरा कर सकें तो जरूर प्लान के लक्ष्य को पूरा करने के लिये हमको जनता का सहयोग मिलेगा और इसके लिये गांव गांव और गली गली में जोश व खरोश नजर आयेगा। मुमकिन है कि मेरी इस बात का यह अर्थ लगाया जाय कि एक तरफ तो मैं कहता हूं कि तेजी के साथ चलना चाहिये और दूसरी तरफ यह कहता हूं, लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो हमारा लक्ष्य हो उसमें साधनविहीनता नहीं होनी चाहिये। और मैं यह अर्ज करूं कि आज जितने प्राइमरी स्कूल हैं अगर उनको ठीक तौर पर संचालित किया जाय तो उनके द्वारा जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा पांच साल में जो ११ हजार स्कूल और

[श्री त्रिलोकीसिंह]

खुलने वाले हैं, लड़कियों के स्कूलों को छोड़कर, उनसे नहीं हो सकती है । इसलिये अगर हमको जनता का सहयोग लेना है तो प्राइमरी शिक्षा का संचालन ठीक तरह से करना होगा । कल एक माननीय सदस्य ने कहा भी था कि गांधी जी का बेसिक शिक्षा का जो अर्थ था आज जिस प्रकार से स्कूल चलाये जा रहे हैं न वह बुनियादी है, न गांधी जी की धारणा के हैं और न वह तीन R वाले हैं जो अंग्रेज ने चलाया था, वे भगवान जाने क्या हैं !

मैं एक बात और अर्ज करूं पेश्तर इसके कि मैं प्लान के प्रारुप पर आऊं। इस प्रदेश की ७४ फी सदी आबादी का वास्ता कृषि से है। सरकार इस बात को मानती है कि भूलेखों में ७५ फी सदी गलतियां हैं। जो मुकदमा लड़ेंगे और देखेंगे कि तहसील में उनका खेत दूसरे के नाम लिखा हुआ है तो उनका विश्वास और आस्था सरकार में नहीं हो सकती है । विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि वह वोट किसे देते हैं बल्कि यह है कि सरकार की तरफ से जो बात निकले, जो कानून यहां से बनें या जो राजाज्ञा निकले तो साधारण नागरिक को चाहिये कि उसको मान लें कि वे सही हैं । लेकिन यहां भूलेखों में ७५ फी सदी गलतियां हैं, जिससे अनेक किसानों को मुकद्दमों में लग जाना होता है, जिस गांव के दस आदमी भी मुकदमें में लगे होंगे वहां प्लान का काम ठप्प हो जायगा, इसलिये कि इसका सीधा संबंध सरकार से है। वे कहेंगे कि राम की जमीन लक्ष्मीनारायण के नाम लिख दी और उस पर पांच वर्ष का लगान पड़ रहा है । ऐसी दशा में लोग मेरी ताईद करेंगे कि सुधार की तमाम स्कीम समाप्त हो जाती हैं । इसलिये भूलेखों की गलतियों के सुधारने के लिये सरकार की तरफ से खास इंतजाम होना चाहिये । मेरा खयाल यह है कि अगर इसका इंतजाम हो गया तो सरकार की डेढ़ दो करोड़ की आमदनी भी बढ़ जायगी, मुकद्दमेबाजी खत्म होगी और योजनाएं भी ठीक से चलेंगी ।

मैं प्लान के बारे में अर्ज करूंगा । कहा गया है और सही बात है कि प्रदेश की ७४ फी सदी आबादी खेती पर निर्भर है। इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह १९५१ का आंकड़ा है। आज जाहिर है कि जो पुरानी प्रगति थी उसको देखते हुए वह ७६ या ७८ फी सदी हो गया होगा। इस बात को देखते हुए कि तीन चौथाई आबादी प्रदेश की खेती पर निर्भर है तो कोई सुधार नहीं हो सकता है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब को लीजिये, वहां ३६ फी सदी आबादी कृषि के अतिरिक्त कार्यों पर लगी हुई है, हमारे यहां २४ फी सदी हैं बम्बई को लीजिये वहां पर ३९ फी सदी आदमी गैर खेतिहर कामों में लगे हुए हैं और बंगाल का ४३ फी सदी औसत है । तो कैसे हम उनके मुकाबले में आयें ? हमारी औसत आय कैसे उनकी आय तक पहुंच सकती है ? जब तक हम अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को खेती से हटाकर उद्योग में नहीं लगा सकते हैं तब तक हमारे सूबे की आय बढ़ नहीं सकती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर लोगों को रोजगार देना है तो छोटे उद्योगों द्वारा ही ज्यादा रोजगार दिया जा सकता है । लेकिन ६०० करोड़ रुपये के प्लान में छोटे उद्योगों के लिये केवल २५ करोड़ की रकम रखी गई है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस २५ करोड़ की रकम से, छोटे उद्योगों के द्वारा अगर हम चाहें कि खेती से हटाकर ५ फी सदी लोगों को दूसरे कामों में लगाया जाय तो यह संभव नहीं होगा। इस रकम के बढ़ाने की जरूरत है ।

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र किया गया। जिला नैनीताल के एक लायक व माननीय सदस्य ने कल कहा था और मैं भी कहना चाहता हूं कि पहाड़ों से बढ़कर कोई स्थान नहीं है अगर उन किताबों को सही माना जाय जो पाश्चात्य देशों से आती हैं और हमारे यहां भी उपलब्ध हैं कि वहां दूध, मक्खन और पनीर का काम चलाया जाय। स्विटजरलैंड और स्कैंडिनेविन कंट्रीज इसके लिये एक नमूना हैं। क्यों नहीं हमारे यहां गढ़वाल और कुमायूं के जो जिले हैं, वहां पर डेरिंग के लिये खास योजना बनाई जाती ? इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये। यह शर्म की बात है कि आज भी हजारों की तादाद में पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले शीत गिरते ही अल्मोड़ा और बागेश्वर से भागकर हल्द्वानी और तराई में आजाते हैं और सड़कों के किनारे झोपड़ी बनाकर ३,

४ महीने गुजर करते हैं, बंजारों की हैसियत से। यह किसी देश के लिये शोभा की बात नहीं है। मेरी राय में विशेषतौर पर जहां ऊन का काम चलाया जा रहा है वहां पर इसको विशेष प्रोत्साहन देकर बहुत काम बढ़ाया जा सकता है। मान्यवर, मुझे याद है कि १९२८-२९ के पहले आज के मुकाबले में ऊन का काम, बीसवां हिस्सा भी नहीं था। उस समय की सरकार ने १९२८-२९ में इस तरफ ध्यान दिया और उसका बहुत अच्छा प्रसार हो गया। मैं इस राय का हूं कि वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान देने की कृपा करे तो उस काम को बढ़ाया जा सकता है। कौन नहीं जानता कि पर्वतीय प्रदेश की ५० फी सदी से अधिक आबादी को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है? उन्हें खाने को नहीं मिलता। यह मुझ से आज से कई साल पहले एक बड़े अनुभवी डाक्टर ने कहा था जो भुवाली में काम करते थे। उन्होंने कुछ इसके आंकड़े भी दिये थे। वहां की इस पिछड़ी हुई दशा को कुछ सड़कें बना कर नहीं सुधारा जा सकता है। करोड़ों रुपयों की योजना वहां चलानी पड़ेगी।

घाघरा वह नदी है जिसमें भगवान की कृपा से गंगा और यमुना के मुकाबले में ज्यादा पानी आता है और बह कर सारा का सारा समुद्र में चला जाता है, सरकार ने कोई योजना, घाघरा वादी को डेवलप करने के लिये नहीं बनाई। मैं जानता हूं कि इस सरकार के सामर्थ्य के बाहर की बात है। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे दामोदर वैली प्राजेक्ट, जिन्हें केन्द्रीय सरकार चला रही है। उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार इसको भी चलाये। रोजमर्रा के काम में भी हमें केन्द्रीय सरकार से ५०फी सदी से ज्यादा हिस्सा ग्रांट और लोन में मिलता है। हम केन्द्र के ऊपर बिलकुल निर्भर और आश्रित हैं। कोई कारण नहीं है कि घाघरा वैली को डेवलप करने के लिये योजना न बनाई जाय। जो पुस्तिका बंटी है उसमें लिखा हुआ है कि एक करोड़ एकड़ जमीन हमारे प्रदेश की ऐसी है जो सैलाब से डूब जाती है और नुकसान होता है। कुल जमीन सवा चार करोड़ एकड़ है। उसमें एक करोड़ एकड़ यानी लगभग २५ फीसदी ऐसी जमीन है जो सैलाबजदा हो जाती है बड़े सलाब में। ८३ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो मामूली सैलाब में भी डूब जाती है। तो अगर घाघरा वैली प्रोजेक्ट को सरकार बनाये और केन्द्रीय सरकार मदद करे तो कोई वजह नहीं है कि घाघरा वैली के डेवलपमेन्ट से पूर्वी जिले जो सैलाब से पीड़ित हो जाते हैं, उनकी दशा का सुधार हो सके। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि राप्ती नदी है, क्यों नहीं इसके द्वारा हाइड्रो एलेक्ट्रिक की सम्भावना पर गौर किया जाता? घाघारा तो समझ में आती है कि बड़ी नदी है, उसको ट्रेन करना मुश्किल है। लेकिन राप्ती इतनी बड़ी नदी नहीं है और मैं समझता हूं कि उसमें काम किया जा सकता है। पावर की कमी है, उद्योग चल कैसे सकते हैं? यह ठीक है कि सिंगरौली में साढ़े चार लाख किलोवाट का एक पावर स्टेशन बन रहा है। लेकिन अभी कल ही जिक्र था कि लखनऊ में कमी है और उसी सिलसिले में यह भी जिक्र आ गया कि शारदा एरिया में भी पावर की कमी है। अभी तीन-चार दिन हुये यह जिक्र हुआ कि पश्चिमी जिलों में भी पावर की कमी है। तो जब सब तरफ कमी है तो इसके लिये कावट किस बात की है? कोई झिझक इसमें नहीं होनी चाहिये। हमें कहना चाहिये कि आज पावर की जरूरत है। जब बंगाल में ८० यूनिट एक आदमी पर कन्जम्पशन है तो यहां दस ग्यारह से कैसे काम चल सकता है? २० पर भी हम आयें तो भी जरूरत है कि जितना अब रखा गया है उससे बहुत ज्यादा बढ़ाया जाय। हो सकता है कि आज केन्द्र स्वीकार न करे। लेकिन चर्चा अगर हम करेंगे तो तृतीय प्लान में नहीं तो चतुर्थ प्लान में वह उसे अवश्य स्वीकार करेगी।

मैं यह अर्ज करता हूं, मान्यवर, कि कृषि के ऊपर हमारी सारी एकोनामी, सारी आर्थिक उन्नति निर्भर है। यह खुशी की बात है कि साढ़े बारह करोड़ रुपया इसमें रखा गया है नये कुओं के निर्माण के लिये। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कुयें कैसे बनेंगे यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर ये कुयें बनने होंगे ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी पांच एकड़ भूमि एक जगह हो तो जैसा मुरादाबाद जिले के एक माननीय

[श्री त्रिलोकीसिंह]

सदस्य ने कहा था, ९९ प्रति शत किसान उस सहूलियत से महरूम रह जायेंगे। उनके पास पांच एकड़ का चक है ही नहीं जिसमें कि कुआं वह बनायें। मेरी राय में यह कुयें सरकार की तरफ से बनन चाहिये और पंचायतों की जिम्मेदारी यह होनी चाहिये कि वह इन की निगरानी और देख रेख करें। मुझे दुख है कि आंकड़ों के चक्कर में सरकार फंस जाती है। और यह आंकड़ों का चक्कर देने वाले कौन लोग हैं? इस किताब में लिखा हुआ है कि इस समय ११८ लाख एकड़ की सिंचाई का सरकारी साधनों से इन्तजाम है और ६० लाख एकड़ का इन्तजाम है गैर सरकारी साधनों से, यानी १७८ लाख एकड़ का। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सरकार की किताबें उलटी जायें, सीजन ऐंड क्राप रिपोर्ट देखी जाय, उत्तर प्रदेश के इन फीगर्स का मुआयना किया जाय तो मालूम होता है कि महज १२० लाख एकड़ सब सरकारी और गैरसरकारी साधनों से मिलाकर है। मैंने पहले भी कहा था और मैं उम्मीद करता था कि इस बात को जानने के बाद आइन्दा गलती नहीं होगी। लेकिन इस सदन को गुमराह करने का और केन्द्र को भी गुमराह करने का प्रयत्न किया गया है। साधन १२० लाख एकड़ का और दावा है १७८ लाख एकड़ का, महज ड्योढ़ा।

यह मामूली बात नहीं है, मान्यवर, कि हमारे पास १ करोड़ २० लाख एकड़ सिंचाई के साधन हैं और लक्ष्य है ३ करोड़ ७५ लाख का, तो दुगुना नहीं तिगुना करना है। मुझे यकीन है कि सही आंकड़े सरकार के पास होंगे तो उनकी प्लानिंग भी सही हो सकेगी और मैं यह भी, मान्यवर, निवेदन करूं कि कृषि का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो सिवाय सिंचाई के और कोई दूसरा साधन नहीं है। केवल सिंचाई का साधन उपलब्ध करा दिया जाय तो ५० प्रति शत दावार बढ़ जायगी। यहां आठ ही सात प्रतिशत की कमी में अमरीका का अनाज मंगाना पड़ता है और इतनी राशनिंग की दूकानें करनी पड़ती हैं। यह सब दिक्कत दूर हो जाय अगर असलियत हमारे सामने हो। और मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कुओं के द्वारा ही हो सकता है क्योंकि नहरें जितनी बननी थीं बन गईं। अब गुन्जाइस कम है। यह पक्के कुओं के द्वारा और माइनर इरीगेशन के ऊपर जोर देकर किया जाय तो खाद्य की समस्या पांच वर्ष में नहीं एक साल में हल हो जायगी क्योंकि अनाज की पैदावार बढ़ने में एक फसल चाहिये। बहुत हुआ तो साल भर का समय चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से वह हम नहीं कर सके और मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि नहीं कर पायेंगे क्योंकि इसी पृष्ठ में लिखा हुआ है कि अच्छे बीज ३० सेर फी एकड़ चाहिये। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि मेरा कयाम ज्यादातर शहर में रहता है लेकिन मैं एक छोटा सा काश्तकार भी हूं और किसानों के मामलात से कुछ वाकफियत भी रखता हूं। इसमें हिसाब लगाया गया है कि एक एकड़ पर ३० सेर पैडीगिरी सीड जरूरी है। इसमें दाल और सीरियल्स सभी ले लिये गये हैं। इस समय सरकार के वैज्ञानिकों की राय यह है कि ३० सेर फी एकड़ गेहूं का बीज होना चाहिये। इस प्रकार से यदि हिसाब लगाया जायगा तो फिर काम नहीं चल सकता है। मैं निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा कि जिन साहब ने यह आंकड़े दिये हैं उनसे यह कहा जाय कि इसके लिये कोई अथारिटी कोट करो कि किस आधार पर यह ३० सेर प्रति एकड़ बीज है जिसमें बाजरा, जुन्दरी, उर्द, मूंग सब शामिल हैं। बहुत से लोग उस तरफ के जिसमें डिप्टी मिनिस्टर प्लानिंग भी हैं जो देहात से वास्ता रखते हैं....

श्री अध्यक्ष—क्या आप किसी पुस्तक का सफा पढ़ कर सुनायेंगे?

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, पेज ५९ पर पैराग्राफ १५ पर "सीड मल्टीप्लीकेशन" नाम का हेडिंग है जिसमें यह दिया हुआ है कि—

"15. *Seed Multiplication*—The total area under cereals and pulses on the basis of the average of last three years would be 428.36 lakh acres. At

an average of 30 seers per acre the total requirements of improved seed would be 321.3 lakh maunds. If pure seed issued to the cultivator is changed once in five years, it would be necessary to supply 64 lakh maunds of improved seed annually."

यह मेरी समझ में नहीं आया। मैंने इसको कई बार पढ़ा और फिर किताब को देखने की कोशिश की। लेकिन मैं अर्ज करूं कि बात क्या है। बात यह है कि अगर जंग की तरह से इसके लिये एक अलग से मिनिस्टर हो जिसको कुछ और काम न हो सिवाय इस बात के देखने के कि किधर जंगल है, किधर फौज को जाना है, और किधर पुल बनना है, किधर सड़क बनना है, तभी यह काम चल सकता है। अगर यह बात नहीं हुई कि प्लानिंग को चारों तरफ से देखा नहीं जाय कि किधर कमी है, किधर ज्यादा ध्यान की जरूरत है, तो मुझे यकीन है कि कितनी भी अच्छी स्कीम सरकार बनावे केन्द्र की या प्रदेश की, वह सारी योजना नीचे जा कर बन्टाधार हो जायगी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी आधी से ज्यादा दौलत खेती की पैदावार से है। एक जमाना था जब हमारे यहां अफीम पैदा होती थी और अलसी भी यहां पैदा होती थी धीरे-धीरे वह सब समाप्त हो गई। रह गया अब गन्ना और मूंगफली-वनास्पति जिसका आजकल बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन कामर्शियल क्राप का एरिया इधर ५० साल में कुछ विशेष बढ़ा नहीं है। यह गलत धारणा है, जो जमीन निकलती है उसमें सब गन्ना बो देते हैं। जब तक कामर्शियल क्राप को इन्ट्रोड्यूस नहीं करते हैं और जब तक किसानों को विशेष-रूप से प्रोत्साहन नहीं देते हैं, मान्यवर, मुझे अन्देशा है कि तब तक विलेज एग्री-कलचरल इकानामी, गांवों का आर्थिक ढांचा, सुधर नहीं सकता है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहां कपास का भी एक जमाना था जब हम कपास बाहर भेजा करते थे और आज वह जमाना है कि कपास हम बाहर से मंगाते हैं। यह निर्भरता दूर होनी चाहिये और कपास उगान के लिये और उसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये विशेषतौर पर प्रयत्न करना चाहिये। मैं मशकूर हूं लखीमपुर के माननीय सदस्य का कि उन्होंने सन की उपज की तरफ भी ध्यान दिलाया। यह भी एक ऐसी चीज है जो तराई के इलाके में जहां पर वर्षा ज्यादा होती है, खेती करके किसानों की दशा सुधार सकते हैं।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मैंने बहुत समय लिया है मान्यवर का और इस आदरणीय सदन का। थोड़े में और कुछ बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां अस्पताल बहुत हैं। लेकिन अस्पतालों में, यह दुख की बात है, आज तक वह इलाज उपलब्ध नहीं हैं, इस सात करोड़ जनसंख्या के राज्य में जो बम्बई और कलकत्ते के अस्पतालों में उपलब्ध हैं। कैन्सर का एक मर्ज है और उसके इलाज के लिये हमारे यहां के मरीजों को टाटा के अस्पताल में बम्बई जाना पड़ता है और मेडिकल कालेज के प्रोफेसर लिखते हैं कि यहां इसका इलाज नहीं हो सकता। पता नहीं कि क्यों जो इलाज बम्बई में उपलब्ध है उसका एक अस्पताल भी उत्तर प्रदेश में नहीं बन सका। लखनऊ में महात्मा गांधी स्मारक अस्पताल में दाखिल होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। वहां अनेक मरीज आते हैं कैन्सर के। कैन्सर के इलाज के लिये उनको डीप रेज लगनी चाहिये। वहां एक मशीन है और दूसरी मशीन के न होने के कारण मरीजों को महीनों इन्तजार करना पड़ता है जिससे रोग असाध्य हो जाता है कि इलाज होना सम्भव नहीं रह जाता। इलाज नहीं हो पाता मेरी राय में प्लानिंग इस प्रकार होनी चाहिये कि इस देश में जितने किस्म के इलाज उपलब्ध हैं उनका कम से कम एक-एक अस्पताल उत्तर प्रदेश में जरूर होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि यह तपेदिक का मर्ज बड़ी भारी समस्या बन गया है। डाक्टरों की तरफ से यह विश्वास किया जाता है कि अब तपेदिक के मरीज के लिये यह जरूरी नहीं कि उसे अस्पताल में भर्ती किया जाय। उसको घर में रखकर भी इलाज हो सकता है। लेकिन मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि तपेदिक का मर्ज गरीब आदमियों

[श्री त्रिलोकी सिंह]

को होता है, उन आदमियों को कि जिनके पास मुश्किल से एक कोठरी रहने के लिये होती है और अगर उनके बाल-बच्चों से, मरीज को अलग न किया जाय तो कितनी ही दवा की गोलियां सरकार की तरफ से बांटी जायें, वह मर्ज फैलता ही जायगा। दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, कानपुर में, एक नहीं, अस्पताल में पता लगाइये, सैकड़ों की तादाद में मरीजों के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं। हर एक इस बात को मानता है कि अगर टी० बी० का इलाज ठीक से, समय से नहीं हुआ तो रोग असाध्य हो जायगा। तो मैं चाहूंगा कि इसको भी प्राथमिकता दी जाय, और टी० बी० और कैन्सर के लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाय।

इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज करूंगा। मुझे ऐसा मालूम होता है और मैं मानता हूं कि यहां या कहीं के मिनिस्टर कोई अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं होते। लेकिन यह बात भी इतनी ही मानी हुई है कि किसी बात के विशेषज्ञ न होते हुये भी जो बात उनके मुंह से निकले कम से कम उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिये। थोड़े दिन हुये, अभी इस आदरणीय सदन में एक शब्द आ गया बीमारी के सिलसिले में "पल्मेनरी"। वजीर साहब कह रहे थे और उनको मालूम था नहीं कि यह रोग क्या है। वह कह देते कि वह चीज जिसका फेफड़ों से वास्ता है तो कोई बात न थी, लेकिन वह उसी में उलझे रहे, और सवाल पर सवाल होते रहे और मैं शर्म के मारे मस्तक झुकाये बैठा रहा। अभी गैस्ट्रो-इन्ट्राइटिस और कालरा फैला। हर एक जानता है कि गैस्ट्रो-इन्ट्राइटिस कन्टेजस नहीं है और कालरा कन्टेजस है। कानपुर के माननीय सदस्य उधर मौजूद हैं, वे मेरी ताईद करेंगे। इस साल पहले जब गैस्ट्रो-इन्ट्राइटिस फैला और क नहीं पाया तो कह दिया कि यह तो कन्टेजस है। म किसके आगे सिर पटकूं? मैं चाहता हूं कि वह अपने विषय पर कुछ हावी हों। भले ही पल्स बीट कैसे जानी जाती है न जान सकें, लेकिन उन्हें यह जानना चाहिये कि पल्स बीट नार्मल ७२ है। भले ही यह न जानें कि दवा क्या दी जायगी बुखार की हालत में, लेकिन यह मालूम होना चाहिये कि कार्डियोग्राम क्या चीज है। इससे हार्ट की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इसके अभाव में जो अमला है, जो एजेन्सी है, जो जरिया है जो भी जितनी अच्छी से अच्छी एजेन्सियां हैं वह सब जाकर एक ऐसे बिन्दु पर रुकती हैं जो अर्थमेटिकल फार्मूले के हिसाब से जीरो हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। इसलिये मैं बहुत अदब के साथ यह निवेदन करूंगा कि प्लान बनाया जाय, प्लान के बनाने में जितना सहयोग इधर के बैठने वालों से सम्भव होगा, विशेषकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, वह सहयोग इस सरकार को, या कोई भी सरकार होगी उसे, मिलेगा। लेकिन प्लान की पूर्ति के लिये जरूरी है कि इरादों की कमी न हो और लक्ष्य आंखों के सामने हों और उसकी प्रगति और प्रोग्रेस का ज्ञान यह नहीं कि रोजमर्रा मिले, बल्कि हर तीसरे महीने सामने आना चाहिये। जब यह होगा, तब ही जिन लक्ष्यों को रखा है उनकी प्राप्ति में सफल होंगे।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ बताया, तथा किताबों में जो कुछ लिखा है, वह तो सब है ही, किन्तु उसके अलावा म चन्द बातें और अर्ज करना चाहता हूं। जो खर्चा हमारे यहां सोशियल सर्विसेज वा हेल्थ सर्विसेज पर हो रहा है, अगर भोर कमेटी की रिपोर्ट को ही उठा कर देखा जाय, तो वह बहुत कम है। इस ओर हमारी प्रोग्रेस बहुत ही कम है। हेल्थ के मामले में जो यह कहा जाता है कि जिसे मरना है, वह तो मरेगा ही, पर जिसको जीना है वह जियेगा ही, अगर यही उसूल है तब तो ठीक है, और अगर यह नहीं तो इतना कहा जा सकता है कि किस्मत को भी बनाया और बिगाड़ा जा सकता है यदि उसके उपाय किये जायं। हेल्थ के मामले में यदि आवश्यक ध्यान दिया जाय तो मौत को जल्दी आने से रोका जा सकता है, मौत आती है तो उसको कुछ

देर के लिये रोका जा सकता है। यदि देर से आती है तो उससे बचा भी जा सकता है कुछ समय के लिये। मैं यह कहना चाहता हूं

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और [अधिष्ठाता] श्री चन्द्रजीत यादव, पीठासीन हुए।)

कि इस कार्य के लिये हमारे यहां जो कुछ खर्च किया जाता है वह और मुल्कों के मुकाबले बहुत कम है और मुल्कों में टोटल आऊटले का २५ और २० पर सेन्ट तक खर्च होता है। हमारे यहां उसके मुकाबले बहुत कम है। जो हमारे सामने ६६३ करोड़ का थर्ड फाइव-इयर प्लान है, उसमें केवल ५० करोड़ रुपया ही हेल्थ सर्विसेज के लिये रखा गया है, जो बहुत ही कम है। हमको मालूम है कि जो खर्चा पहले था वह अब तिगुना हो गया है किन्तु पर कैपिटा खर्च जो आज पड़ता है वह वही है जो पहले था।

इसके अलावा यह भी माना गया है कि हमारे यहां डाक्टरों और वैद्यों की कमी है। इसका कारण क्या है? हमें उसके कारणों की तरफ देखना चाहिये। आज लोग क्यों गांवों में नहीं जाना चाहते? हमारे यहां जो आपने प्रास्पेक्टस बनाया है उसके लिये वह अन्य सभी प्रान्तों से भिन्न सा है। जहां पर भी दूसरी जगहों में तरक्की हुई है वहां के प्रास्पेक्टस यहां से बहुत अच्छे हैं। जहां लोग उसमें अट्रैक्ट होते हैं। जो और सर्विसेज हैं जहां एजूकेशन का टाइम भी कम है, रिस्क भी कम है, वहां बेटर प्रास्पेक्ट्स हैं और वह लोग बेटर पेड हैं। और इसमें मैंने देखा कि लोग हर जगह यह फील करते हैं कि मेडिकल कालिज के प्रोफेसरों को प्राईवेट प्रैक्टिस कम से कम एजूकेशनल इंस्टीटयूशंस की बन्द होनी चाहिए जिससे वह अपना होल टाइम एजूकेशन में दे सकें। आजकल उनका दिमाग कहीं रहता है, दिल कहीं रहता है और हाथ कहीं रहता है और खयाल यह रहता है कि फलां सीरियस मरीज वहां बैठा है और यहां आउटडोर में बैठ कर कुछ नुस्खे लिख कर चले जाते हैं। यह बहुत नामुनासिब है। उनकी प्राईवेट प्रैक्टिस बन्द करके उनके पे स्केल रिवाइज होने चाहियें, जिससे वह काम ठीक ढंग से करें।

दूसरे, रिसर्च का कहीं जिक्र नहीं है। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमको भी इधर ध्यान देना है। जितनी रिसर्चेज दूसरे मुल्कों में हो रही हैं उसके मुकाबले में यहां बहुत थोड़ी हुई हैं। एक डाक्टर ब्रह्मचारी ने और कुछ दूसरे साहब ने फाइलेरिया की रिसर्च की है, लेकिन अभी रिसर्च की बड़ी जरूरत है। ट्रापिकल कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिजीजेज हैं, लेकिन उनके लिए रुपया नहीं रखा गया है। मैं इस बात का खयाल दिलाता हूं कि एक खास डिपार्टमेंट रिसर्च के लिए होना चाहिए और हर कालेज में कम काम देकर रिसर्च वर्क ज्यादा देना चाहिए और असिस्टेंट्स ऐसे देने चाहिए जिनकी तरक्की रिसर्च के काम में हो सके। एक दो साल वह रिसर्च में काम करते हैं, लेकिन पी० एम० एस० या दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर नये सिरे से रिसर्च का काम शुरू करना पड़ता है। अगर रिसर्च में ही तरक्की हो जाय और हाइयेस्ट ग्रेड उनको दिया जाय तो वह मन लगा कर काम कर सकते हैं। इसलिए उसका काम अलग होना चाहिए।

कानपुर के जी० एस० वी० मेडिकल कालेज में १०० से १५० की स्ट्रेंग्थ स्टूडेंट्स की बढ़ाना चाहते हैं। भोर कमेटी रिपोर्ट में जहां और सब कुछ लिखा है, वहां यह भी लिखा है कि मेडिकल कालिज में कम से कम ६० स्टूडेंट और ज्यादा से ज्यादा १२० स्टूडेंट्स होने चाहियें। आप १५० रख रहे हैं तो उनके लिए १,५०० बेड्स का हास्पिटल चाहिए। हर एक स्टूडेंट के लिए १० बेड कम से कम चाहियें। आप कुल ३०० बेड्स बढ़ायेंगे, तो ६०० बेड्स हो जायंगी। वहां अस्पताल में ज्यादा वार्ड्स और बेड्स बढ़ाने की जरूरत है। मेरा आखिरी मशविरा यह है कि १२० से ज्यादा हरगिज स्टूडेंट्स न बढ़ाये जायं। दूसरे जो मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं उनमें ५०-५० ले रहे हैं। अगर वहां की तादाद ६०-७० कर दें तो उधर के इधर बढ़ सकेंगे और वह इकानामिक भी हो जायगा। भोर कमेटी ने लिखा है कि ६० से कम होने में नुकसान होता है।

[डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी]

साथ ही मुझे यह कहना है कि अपना रिसर्च का कोई लाइव-स्टाक नहीं है—कानपुर मेडिकल कालेज में वेटरिनरी का इन्तजाम नहीं है। उसकी बहुत जरूरत है। साथ ही टीचर्स के बढ़ाने की बहुत जरूरत है। हर दो स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए। इसलिए ७५ अच्छे टीचर्स की जरूरत है।

आगरा मेडिकल कालेज में फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स खोलने की बात रखी है, लेकिन आपके सब कम्पाउंडर्स नान-फार्मेसिस्ट दिखाई देते हैं। अब नये सिरे से औरतें और मेल्स भी फार्मेसिस्ट बनाने की जरूरत होगी। मेरा खयाल है कि आप अगर और बढ़ा दें, मेडिकल कालेजेज में और जिन कालेजेज में साइन्स हो वहां कर दें तो काफी तरक्की हो जायगी।

अलकोहलिक शराब के बारे में मुझे यह कहना है कि इसके जो आदी हैं उनका क्या इलाज हो सकता है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं इसके लिये हम और मुल्कों में देखें कि वह क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप इसको बन्द करना चाहते हैं उस प्रकार यह नहीं बन्द हो सकती। जितना ही आप बन्द करते हैं उतनी ही ज्यादा यह बनती है। जो उसके आदी हैं वह उसके बिना रह नहीं सकते। इसके लिये आपको देखना होगा कि जो इसके आदी हैं उनको कैसे बचाया जाय।

जहां तक एसेंशियल सर्विसेज, जैसे नर्सेज और मिडवाइव्ज, का सवाल है, वह बहुत कम तादाद में हैं। शोर कमेटी के हिसाब से जितनी उनकी आवश्यकता है उसकी एक-चौथाई ही आज हैं। आपको चाहिये कि आप उनको स्टाइपेन्ड्स वगैरह में और तरक्की दें। इस तरह से अच्छी फेमिलीज की लड़कियां भी नर्सेज के लिये आ सकेंगी और वह ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी। आपको चाहिये कि आप उनका अच्छी तरह इन्तजाम करें, उन पर पैसा खर्च करें और स्टाइपेन्ड वगैरह ज्यादा दें, तभी वह आ सकेंगी।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, तीसरी पंचसाला योजना पर विचार करते समय हमें इसकी पृष्ठभूमि को अपनी निगाह में रखना होगा। दूसरी ओर तीसरी पंचशाला योजना के बीच में हमारी राष्ट्रीय राजनीति के बीच में एक नये तत्व का प्रवेश हुआ है जो कि एक नयी संगठित आवाज उठा रहा है स्वतन्त्रता के नाम पर, वह चाहता है कि लूट खसोट, शोषण और दोहन जारी रहना चाहिये। वह चाहता है कि राज्य व्यापार किसी भी माने अथवा किसी मात्रा में अगर सरकार कराना चाहती है तो वह नहीं चलना चाहिये। वह चाहता है कि क्रान्तिकारी भूमि सुधार का तो नाम ही नहीं लेना चाहिये। कांग्रेसी सरकारें जो भूमि सुधार करना चाहती हैं वह भी उनकी निगाह में अनुचित है। वह चाहता है कि पूंजीवाद पर किसी प्रकार का अंकुश प्रदेश या राष्ट्र के पैमाने पर कतई नहीं होना चाहिये। समाजवाद के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी ऐसा तत्व चुनौती दे रहा है और राष्ट्रीय समाजवादी विकास के मार्ग में वह खड़ा है। वह तत्व सहकारिता का नाम भी नहीं सुनना चाहता। इन सारी बातों का अर्थ यह है कि वह तत्व संगठित रूप से देश और प्रदेश की पूरी नीति को बदल देना चाहता है, उसमें आमूल परिवर्तन चाहता है। इस पृष्ठभूमि को हमें सामने रखना होगा। दक्षिणपंथी संगठित तत्वों का दबाव देश के कर्णधारों पर, प्लान बनाने वालों पर बराबर पड़ता जा रहा है और वह दबाव बढ़ रहा है, इस चीज को हमें निगाह में रखना होगा।

मान्यवर, जब मैं तीसरी पंचसाला योजना के प्रारूप को पढ़ रहा था तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और कुछ प्रसन्नता भी हुई। आश्चर्य इस बात का कि जब मैंने पिछले ८–९ सालों के बजट भाषणों को उलट कर देखने की चेष्टा की, जब मैंने राज्यपाल महोदयों के सम्बोधनों को देखने की चेष्टा की और उस विषय में यहां पर जितने भाषण हुये उनमें मुख्य भाषणों को जानने की कोशिश की, तो मुझे एक तस्वीर दिखाई देती थी और वही तस्वीर बार-बार यहां ९ सालों से पेश की जाती रही लेकिन इसके प्रारूप को पढ़ने के बाद, खास कर प्रथम दो अध्यायों को

पढ़ने के बाद, मुझे तस्वीर उल्टी दिखाई देती है। इस पर मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन प्रसन्नता इस बात पर है कि देर ही सही लेकिन सही रास्ते पर यह सरकार आई है। उसने अपनी कमजोरियों को, गल्तियों को और पिछड़ेपन को महसूस किया है और यह माना है कि यह आलोचना उचित दिशा की ओर है, जो पहले भी थी। लेकिन एक सन्देह होता है कि क्या यह सारी योजना निर्णयानुगत तर्क के आधार पर केवल प्रचार राजनीति तो नहीं है। केवल केन्द्र से ज्यादा रुपया लेने के लिये आंकड़ेबाजी के जाल में यह चीज रखी गयी हो क्योंकि सरकारी एक्सपर्ट्स आंकड़ा विभाग के या अन्य विभाग के कितने माहिर हैं, उसकी जानकारी सब को अच्छे तरीके से है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक निर्णय पहले से निश्चित कर लिया गया हो और उसी को सिद्ध करने के लिये ये तमाम तर्क एवं आंकड़े उपस्थित कर दिये गये हों? अगर ये तर्क सही हैं तो अच्छी बात है लेकिन सन्देह इसलिये होता है कि सरकार ने जहां आलोचनाओं को स्वीकार किया और अप्रत्यक्ष रूप से विरोधी दलों के उन तमाम आरोपों को स्वीकार किया है जो पिछले ८, ९ सालों से यहां दिये जाते थे—लेकिन सरकार ने अपनी उन दूषित नीतियों को आज भी कतई नहीं माना है जिनको मानना निहायत जरूरी है। यह भी जरूरी है कि उचित दिशा में उनका कदम आगे बढ़े और तेजी के साथ बढ़े, जैसा कि आज जमाने का तकाजा है।

सरकार द्वारा प्रदत्त पुरानी और नई इन दोनों तस्वीरों में कोई मेल नहीं है। केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग ने हमारे प्रदेश की उपेक्षा की और उचित मात्रा में हमारी जनसंख्या को देखते हुए योगदान नहीं किया, यह आरोप सरकार का सही है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। हमारे प्रदेश के विस्तार को देखते हुए, यहां की जनसंख्या को देखते हुए जितनी मात्रा में धनराशि मिलनी चाहिये, वह नहीं मिली है, यह सही है। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमारा प्रदेशीय भू-भाग देश के आर्थिक तंत्र में पिछड़ा रह जायगा तो इसका पिछड़ापन हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक भीषण संकट के रूप में आयेगा। प्रदेश की योजना बनाने वालों ने पहले ९५२ करोड़ ८३ लाख की योजना बनायी थी। बाद में वह सवा ७ सौ करोड़ का हुआ और अन्त में ६९३ करोड़ की योजना सामने रखी गयी है। लेकिन प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार का विचार ४००, ४५० करोड़ से ज्यादा देने का नहीं है। मैं समझता हूं कि यह गम्भीर स्थिति है, इसके विरोध में इस पूरे सदन को एक स्वर में खड़ा होना चाहिये और अपनी आवाज बुलन्द करनी चाहिये ताकि जो योजना यहां से जा रही है वह अगर अधिक न हो तो उससे कम होकर हमारे पास नहीं लौटनी चाहिये।

बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने पिछले ८ वर्ष के बाद स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि हमारे प्रदेश के कुछ हिस्से पिछड़े हुए हैं जो पूर्वी जिले, पहाड़ी और बुन्देलखंड के हैं। आपको याद होगा कि जब इसी सदन के तीन विधायकों ने भूख हड़ताल की थी, आपको याद होगा जब यहां सन् ५८ में एक खाद्य आन्दोलन चला था, तो उस वक्त यह बात हमारी ओर से बराबर कही जाती थी कि हमारे प्रदेश के कुछ भू-खंड अत्यन्त पिछड़े हुए हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सरकार उन बातों को नहीं मानती थी। आज उसने उसे माना, इसके लिये उसे बधाई है। लेकिन इस पिछड़े भू-भाग के विकास के लिये संकीर्ण राजनीति के ऊपर उठना होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन इस प्रारूप को पढ़ने से लगता है कि किन्हीं खास जिलों के खास हिस्से को विशेष ध्यान दिया गया है जो शासक पार्टी के, किन्हीं सत्ताधारी गुट के व्यक्ति विशेष के हितों के अनुरूप है। ऐसी बात योजना बनाने के वक्त कतई नहीं होनी चाहिये। यह आवश्यक है कि केवल निर्दलीय भावना से, पार्टी विहीन भावना से इस पर विचार होना चाहिये। जहां समग्र राष्ट्र के विकास का प्रश्न हो वहां किसी विशेष पार्टी के विकास का या उसके बलवान होने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, सरकार की कृषि नीति को देखें तो इस सम्बन्ध में अब तक उसकी नीति असफल हुई है। पहली योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि विषय में आत्म निर्भरता का था। लेकिन वह हम नहीं प्राप्त कर सके। यही नहीं कि प्रथम योजना में नहीं प्राप्त कर सके बल्कि दूसरी में भ`

[श्री झारखंडेराय]

नहीं प्राप्त कर सके और तीसरी में भी वह पूरा होने को नहीं है। यह बात इसकी ओर संकेत करती है कि कारखाने खोलने या खाद सप्लाई करने या छोटी बड़ी सिंचाई योजनाओं के अलावा कुछ और भी ऐसी चीज है जिसकी ओर ध्यान दिये बिना हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

पहली योजना में ११.९८ मिलियन टन अर्थात् ५९३.४५ करोड़ का अन्न बाहर से आयात हुआ। दूसरी योजना में ११.९३ मिलियन टन अर्थात् ४८०.४५ करोड़ का अन्न आयात हुआ। कुल मिला कर १९५१ से १९५९ के बीच देश में २३.९१ मिलियन टन अर्थात् १०७३.९० करोड़ का अन्न आयात हुआ। पौने ग्यारह सौ करोड़ रुपये का अन्न मंगाना पड़ा है। यह स्थिति गम्भीर है। इसके अलावा काटन, जूट आदि सबका आयात करना पड़ता है। वह इसलिये कि कृषि विकास ठीक गति से ठीक दिशा में नहीं हो पाया है। इस बात को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। हमें क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू करना होगा और सरकार को इसके लिये साहस के साथ बढ़ना होगा। पंडित जवाहरलाल जी ने पार्लियामेंट में इस विषय को टाल दिया। भूमि सुधारों का जिक्र यह कह कर टाल दिया कि राज्य सरकारों की इसमें धीमी तरक्की चल रही है। आज हमें लैंड मानोपौली को तोड़ना होगा चाहे वह देश या प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो। बगैर उसको तोड़े हुए, करोड़ों हाथ जो बेकार हैं और काम चाहते हैं बगैर उनको काम दिये हुए और उनके हाथ में बेकार पड़ी जमीन दिये हमारी अन्न समस्या का समाधान कतई नहीं हो सकता।

खेतिहर मजदूरों की संख्या देश में ३० पर सेंट से भी ज्यादा है। इसमें भी ८० पर सेन्ट ऐसे हैं जो केजुअल लेबर हैं, १९० दिन से अधिक साल में काम नहीं पाते हैं। जो किसान हैं उनमें भी ६३ पर सेंट ऐसे हैं जिनके पास ५ एकड़ से अधिक जोत नहीं है। तो स्पष्ट है कि जमीन कुछ लोगों के हाथ में आज भी एकत्रित है। उस मानोपोली को हमें तोड़ना पड़ेगा। हम हदबन्दी कानून को जब अमल में देखेंगे तो वह मृगमारीचिका सिद्ध होगी। उससे बांटने के लिये जमीन नहीं मिलेगी। हदबन्दी कानून बना है, लेकिन उससे न जमीन निकलेगी और न किसी भूमिहीन को मिलेगी। जब नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया कि हदबन्दी होनी चाहिए, १२ साल की असफलताओं के बाद जब यह स्वीकार कर लिया तो उसके बाद क्यों नहीं यह लागू किया कि नागपुर अधिवेशन के बाद जितने ट्रांसफर हुए हैं वह अवैधानिक होंगे? वह नहीं किया गया। बड़े लूपहोल्स छोड़ दिये गये हैं जिनकी वजह से ज्यादा भूमि अपने पास रखने वालों को सहारा मिल जाता है।

भूमिहीन और निर्धन किसान हमारे प्रदेश का चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि बेदखली आज जो हो रही है उसे रोका जाय, जमीन का वितरण सही माने में हो, पानी खाद और उपकरण उसे मुहय्या हो, तब देश और प्रदेश की पैदावार बढ़ सकेगी और आत्मनिर्भरता आ सकेगी।

परती जमीन काफी है हमारे प्रदेश में। ३२ पर सेन्ट से भी ज्यादा पूरे देश में है, ४६ करोड़ एकड़ जमीन हमारे पूरे देश में है और उसमें १ करोड़ एकड़ के लगभग हमारे यहां परती पड़ी हुई है। मैं पूछता हूं कि इसमें से १०, १५ लाख एकड़ जमीन ही क्यों बांटी जा सकी, बाकी जमीन कहां है। क्यों नहीं वह उन लोगों को दी जाती जो अन्न पैदा कर सकते हैं?

मान्यवर, प्रदेश की अन्न स्थिति में भी कुछ अच्छी नहीं है। १९५५-५६ में ११६.०७ लाख टन पैदावार थी। पिछले चार सालों में २१,२०,००० टन तक उत्पादन हुआ है। छोटी सिंचाई योजनाओं के द्वारा और उन पर जोर देने से सरकार कहती है कि २,९६,००० टन अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। लक्ष्य है २४ लाख टन का। दूसरी योजना का वह लक्ष्य भी हमारी जरूरत से बहुत पीछे है। इसको हमें देखना होगा। इतना सब होने पर अन्न उत्पादन अपेक्षित दिशा की ओर नहीं बढ़ सका है और जनसंख्या को देखते हुए यह बहुत कम है। तीसरी योजना के अन्त होते-होते प्रदेश की आबादी ८ करोड़ हो जायगी, उसके लिये १ करोड़

३५ लाख टन गल्ला चाहिये। अगर कुछ हानि के लिये भी रखें तो १ करोड़ ९५ लाख टन की जरूरत है। प्रारूप में ५०, ५५ लाख टन की वृद्धि का खयाल है। १३ लाख टन १९६०-६१ में अतिरिक्त वृद्धि होगी। इससे स्पष्ट है कि तीसरी योजना की समाप्ति के बाद भी हम मुख्य चीज में आत्म निर्भर नहीं हो सकते हैं। वह मुख्य चीज है रोटी। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा एक देश है, वहां रोटी की कोई कीमत नहीं है, उस देश का नाम नहीं लिया। मैं लेता हूं। रूस है। लेकिन हमारे यहां रोटी की कीमत है और वह भी सस्ते दाम पर लोगों को नहीं मिलती है। मान्यवर, औद्योगिक नीति प्रारूप का सबसे बड़ा दोषपूर्ण भाग है जब कि सब जानते हैं कि ·९ प्रति शत की केवल वृद्धि हमारे उद्योग क्षेत्र में हुई है। कितना हास्यास्पद है यह? उसमें हालत यह है कि तृतीय योजना में उद्योग-धंधे की उपेक्षा की गई है। यही नहीं कि बड़े उद्योगों की उपेक्षा की गई बल्कि छोटे उद्योगों की भी की गई। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि २५ करोड़ रुपये की रकम कम है, यह बढ़नी चाहिये। मैं भी इससे सहमत हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा हमारे प्रदेश की आबादी को देखते हुए, देश के अन्य ऐसे भू-भाग जहां आबादी ज्यादा है, उसको देखते हुए केवल बड़े उद्योगों के बल पर हम बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिये बड़े उद्योगों का समन्वय छोटे उद्योगों के साथ होना चाहिये और तभी हम बेकारों को काम दे सकेंगे।

प्रारूप में १९८ करोड़ रुपये का जिक्र है उन योजनाओं के लिये जो केन्द्रीय योजनायें हैं और हमारे प्रदेश में खुलेंगी जबकि पहले १३८ करोड़ रुपये का विचार था। तो केन्द्रीय योजनायें जो हमारे हाथ में नहीं हैं वे १३८ करोड़ से बढ़ा कर १९८ करोड़ की कर दी गईं। लेकिन राज्य सरकार, जिसका खजाना अपने हाथ में है, उसने पहले ४७ करोड़ रुपये का विचार किया था पब्लिक सेक्टर में लगाने के लिये वह घट करके ८ करोड़ कर दिया गया। ·९ वृद्धि के क्षेत्र में केवल ८ करोड़ रुपया रखा गया जो कि पूरी योजना में इस विषय में रखे हुए धन का केवल १.७ पर सेंट पड़ता है। इस तरह से हम देखें कि २४५ करोड़ अर्थात् ५४.३ प्रति शत निजी क्षेत्र में, १९८ करोड़ केन्द्रीय सरकार जो हमारे यहां योजना चलायेगी उसमें और हमारा केवल ८ करोड़ अर्थात् १.७ प्रति शत। अगर हम देखें तो निजी २४५ करोड़ और सार्वजनिक २४१ करोड़, निजी २४५ करोड़ और सार्वजनिक २०४ करोड़ की तुलना है। तो सब खादी और ग्रामोद्योग द्वारा व्यय आदि मिला कर सार्वजनिक क्षेत्र में २४१ करोड़ है और निजी क्षेत्र में २४५ करोड़ है और बड़े उद्योगों में २०४ करोड़ कुल मिला कर पब्लिक सेक्टर में है। तो क्या यह समाजवाद की प्रगति हो रही है? तो आज हमारे प्रदेश के अर्थतन्त्र पर समाजवाद की ताकतें हावी हैं या निजी क्षेत्र की पूंजी है? उत्तर एक ही निकलता है कि निजी पूंजी आज भी हावी है और अगर यही नीति रही तो आगे भी हावी रहेगी।

नेहरू जी ने बार-बार कहा है कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है लेकिन साथ ही साथ यह सवाल उठाया जाता है एक हौवे के रूप में कि सडन चेंज नहीं होना चाहिये, क्विक नहीं, धीरे-धीरे हो, उत्पादन पहले और वितरण बाद में। ये तीन ऐसे हौवे हैं जो हमेशा समाजवाद के लक्ष्य के सामने रोड़े के रूप में रखे जाते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज की पिछड़ी अर्थ व्यवस्था में कुल प्लेज्ड सोशलिज्म के अलावा कोई चीज हलचाली नहीं है। मिक्स्ड एकोनामी नहीं चल सकती और कोई बीच का रास्ता नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पर यह लटोक्रेसी नहीं चलना चाहिये।

विषमता की बात कही जाती है। समाजवाद विषमता को समाप्त करता है। आज एक बात केवल हवा में नहीं रह गयी है। पन्त जी के मुंह से वह बात निकली कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० की तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं। केन्द्रीय कर्मचारियों की बुनियादी तनख्वाह बढ़ने के सिद्धान्त को नहीं माना गया, वे हार गये लेकिन बड़े लोगों की तनख्वाहें बढ़ने की बात मान ली गयी।

[श्री झारखंडे राय]

साधनों के सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि साधन कौन से हैं। जो केन्द्र से सहायता मिलेगी वह तो है। उसके अलावा हमारे पास कौन से साधन हैं, इसका स्पष्टीकरण प्रारूप में नहीं है और मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री बोलें तो इसको स्पष्ट करें कि कौन से साधन से वे सोच रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, जब वे बात करते हैं कमर कसने की। यह तो नहीं है कि नये टैक्स लगेंगे? म माननीय त्रिलोकीसिंह जी से सहमत हूं कि हमारे प्रदेश की जनता अधिक टैक्स का भार सहन नहीं कर सकती। बिजली के सरकारी कार-बार हैं, उनका मुनाफा बढ़ाया जाय। सीमेंट के कारखाने हैं, उनकी क्षमता बढ़ाई जाय, सूक्ष्म यंत्र वाले कारखानों की क्षमता बढ़े। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिये। सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण फिलहाल नहीं हो सकता तो कम से कम उनके मुनाफे में राज्य सरकार का काफी हिस्सा हो। वेस्टेज को पूरे तौर से रोकना चाहिये और व्यर्थ के विभाग मुर्गी पालन, मत्स्य विभाग खेल कूद तथा मनोरंजन के लिये सामान झाल, मंजीरा, तबला, ढोलक इत्यादि पर खर्च करने की फिलहाल क्या जरूरत है? उनके बगैर हमारा देश कोई पिछड़ नहीं जायगा। अभी इन चीजों को स्थगित कर मितव्ययिता बर्ती जाय।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि तीसरी योजना में जनसहयोग की बात जो कही जाती है वह सरकार के मौजूदा तरीकों से प्राप्त नहीं हो सकता। क्या उसका रूप वही है जो जिला परिषद् विधेयक में आया है? जन प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं। जब २/३ चुने हुए लोगों पर विश्वास नहीं जो सरकार ने तै किया था और जब केवल कंजरवेटिव दकियानूसी तथा पिछड़े हुए तबकों के आधार पर विकास योजनायें चलाई जायंगी तो वे चल नहीं सकतीं और उनका वही हश्र होगा जो पिछली दो योजनाओं का हो चुका है।

श्री अधिष्ठाता—माननीया विनयलक्ष्मी सुमन।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों के लिये भी कोई समय दिया जायगा या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—माननीया विनयलक्ष्मी सुमन को मैंने बुलाया है जो पहाड़ी क्षेत्र की ही हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को अब कोई एतराज नहीं होगा।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (टेहरी गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर जो बहस चल रही है उस पर आपने मुझे बोलने का टाइम दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के इस प्रारुप का स्वागत करती हूं। आज विश्व के सभी देश प्रगति की होड़ में लगे हुए हैं और हमारा देश भी उनमें से एक है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एशिया का महाद्वीप दो किस्म से अपनी एवं सामाजिक प्रगति करना चाह रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश चीन है जो तानाशाही ढंग से अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थित में क्रान्ति ला रहा है। हमारे देश का संकल्प यह है कि हमें जनतांत्रिक ढंग से समाजवादी लक्ष्य की ओर बढ़ना है और कम से कम समय में आगे बढ़ना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री के इस कथन से सहमत हूं कि हमारी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ खामियां और भूले रही हैं। लेकिन उन भूलों और खामियों के रहते हुए भी जो कुछ हमने प्राप्त किया है और जो हमने सीखा है वह एक बड़ी पूंजी है और उसके आधार पर हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना की मशीनरी को निर्दोष बनाया है और पुष्ट किया है। मशीनरी को पुष्ट करने की दिशा में हमने ग्राम पंचायतों को व्यापक अधिकार दिये हैं ताकि वे अपने क्षेत्रों में नयी-नयी योजनाओं का निर्माण करें और नई योजनाओं पर सुझाव दें, उन पर क्षेत्रीय समितियां अविलम्ब ध्यान देंगी और उनको पूरा करायेंगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में हमारी सरकार ने यह भी माना है कि हम जब तक अन्न के उत्पादन में स्वावलम्बी नहीं होंगे तब तक हमारी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती

और इसी दृष्टि से जो ६९७ करोड़ रुपया इस योजना में खर्च किया जायगा उसमें से ९७ करोड़ ५१ लाख रुपया कृषि का उत्पादन बढ़ाने के ऊपर खर्च होगा। यह देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन के संबंध में हमारा जो कार्य हुआ वह संतोषजनक नहीं रहा है। अभी भी हम कृषि उत्पादन के लिये ऊपर से बरसने वाले पानी पर निर्भर रहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बाढ़ को रोकने के लिये इस धन का सदुपयोग होगा। बाढ़ पीड़ितों के लिये धन रखा गया है। मैं आशा करती हूं कि हमारी जो संपत्ति सैलाब से नष्ट हो जाती है उसको बचाया जायगा। इसके साथ-साथ बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि हमारी सरकार भी यह बात मानती है कि हमारे यहां कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनके लिये विशेष रुप से हमारी सरकार ने इस तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रारुप में जोर दिया है। जैसे हमारे प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, पर्वतीय जिले हैं तथा बुन्देलखन्ड के जिले हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिये हमारी समाजवादी सरकार कुछ विशेष काम करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह कोई छोटा काम नहीं है।

श्रीमन्, मैं यह भी कहूंगी कि मैं पर्वतीय जिलों से विधायका हूं और पर्वतीय जिलों का यहां प्रतिनिधित्व करती हूं। प्रस्तुत प्रारूप में इस बात को रखा गया है कि पहाड़ी जिलों में बिजली पैदा की जायगी। यह कार्य, श्रीमन्, प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ही हो जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे यहां सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। हमारे यहां खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। यदि कमी है तो केवल इस बात की कि हमारे यहां बिजली उत्पादन की दिशा में कुछ काम नहीं किया जा रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां जो लश्तर नदी है उसमें छोटी सी मशीन लगाकर पहाड़ी जिलों के लिये बिजली पैदा की जा सकती है। मैं सरकार से कहूंगी कि वह इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

श्रीमन्, तीसरी बात यह है कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में बागबानी के लिये इस प्रारूप में काफी जोर दिया है। हमारे यहां बागबानी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। लेकिन इसमें देखना यह पड़ेगा कि पहाड़ों पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है और ऐसी जगह हैं जहां सब चीजें सरसब्ज हो सकती हैं। इसलिये बागबानी के लिये स्थान चुनते समय विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इन स्थानों को लिया जाय जैसे पौड़ीखाल, हिसरिया खाल तथा हिंडोला खाल। इसके अलावा हमारे यहां अनुसंधान केन्द्र भी खोले जा सकते हैं।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि हमारी सरकार ने प्रदेश की सब बातों पर ध्यान दिया है। लेकिन इस प्रारुप में गारी को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। जो प्लान बनाने वाले अधिकारी हैं उनसे मेरा कहना यह है कि इस तरह से प्लान बनाया जाय जिससे हमारे यहां से बेकारी दूर हो। खाली धन इकट्ठा होने से काम नहीं चल सकता है। हमें पहले थोड़ी पूंजी लगाकर छोटी-छोटी स्कीमों को चालू करना चाहिये और जैसे-जैसे हमें धन उपलब्ध हो हम अपने काम को आगे बढ़ाते जायं जिससे सबको रोजगार मिल सके। हमारे यहां बहुत सी दर्शनीय जगह हैं और विदेशों से पर्यटक प्रति वर्ष आया करते हैं। पर्यटन के लिये हमारी सरकार ने ४० लाख रुपया रखा है। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। हमारे पर्वतीय जिलों के लिये पर्यटन उद्योग विस्तार के लिये विशेष प्राविधान होना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। जैसा सब को पता है, कश्मीर वाले हर वर्ष पर्यटन के विकास के लिये उपरोत्तर कार्य कर रहे हैं और हर वर्ष अपने पर्यटन उद्योग का विस्तार कर रहे हैं। हमें भी गंभीरता से इस ओर ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि ऋषीकेष से लेकर कर्ण प्रयाग तक और टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक रेलवे लाइन होना बहुत जरुरी है। इसके लिये समय-समय पर पहले भी सुझाव आये हैं। हमारे विधायकों ने यहां सुझाव दिये, और जिलों से भी सुझाव आये। अन्त में जो तृतीय पंच वर्षीय योजना का प्रारूप रखा गया है, उसका मैं पुनः स्वागत करती हूं।

*श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, पिछली दो योजनाओं के पश्चात तीसरी योजना के प्रारूप पर विचार करते हुए हमें एक आवश्यक तथ्य को जरूर दृष्टि में रखना होगा कि क्या कारण थे जिससे पिछली योजना के अभीष्ट लक्ष्य सरकार और हम न प्राप्त कर सके। मैं इस थोड़े से समय में जो आपने कृपा पूर्वक प्रदान किया है, दो-तीन आवश्यक तथ्यों की ओर आपके द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहला यह है कि योजना का जहां तक संबंध है, हम अपने देश और प्रदेश की जनता को प्लान माइन्डेड, योजनामना न बना सके। यह बात हमें खुल कर स्वीकार करनी चाहिए कि आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यह नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योजनाओं का लक्ष्य क्या है। यों गवर्नमेन्ट का प्रचार विभाग है। लेकिन जिस प्रकार भगवान तिलक ने कहा कि "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है", जिस प्रकार पूज्य बापू जी ने कहा "डू आर डाई" अथवा जिस प्रकार नेता सुभाष बोस या दूसरे नेताओं ने कहा या जिस प्रकार कायदे आजम जिन्ना ने कहा कि 'लेकर रहेंगे पाकिस्तान', इस तरह की भावना उत्पन्न करने के लिये, उस तरह का कोई नारा, कोई ऐसा मंत्र जिससे भारतवर्ष के लोगों में उसी तरह की जागृति, चेतना उत्पन्न होती और वे जीवन के प्रत्येक पथ पर योजना को साथ लेकर अपनी समृद्धि में योगदान करने लगते, ऐसी बात नहीं है। मैं यह भी समझता हूं कि जनता अभी यह नहीं समझती कि यह हमारी अपनी योजना है। उदाहरण के लिये जिस योजना के प्रारूप पर हम बात कर रहे हैं उसके संबंध में एक निवेदन करूं। मुरादाबाद जिले से मैं आता हूं। वहां डी० सी० महोदय के यहां से दुर्भाग्य से वह मौजूद नहीं है। मुझे दुख है हमारे योजना के संचालक, यह भी आवश्यक नहीं समझते कि तीन दिन से विवाद चल रहा है, इसमें बहुत से उपयोगी सुझाव आयेंगे, उनको सुने और उनसे लाभ उठाएं। लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि वह बात सम्बद्ध अधिकारियों तक पहुंच जायगी। डी० सी० महोदय के यहां एक निर्देशपत्र गया कि इसके अनुसार इस प्रकार हमें योजना बनानी है। उसमें कुछ अलाटमेन्ट थे, मसलन सिंचाई के बारे में कुछ यहां से घोषित किया गया कि इतने कुएं मुरादाबाद जिले में, बुलन्दशहर जिले में, या लखनऊ जिले में बनाये जायंगे। ठीक उतने ही कुएं जिले से पास होकर आ गये। यहां से कहा गया कि इतने स्कूल बनाने हैं, वहां से लिख कर आ गया कि उतने ही की आवश्यकता है। कैसी एक रुपता है, कैसा साम्य है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। अगर इस तरह से हमारे सारे तन्त्र का नियंत्रण है तो कभी भी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सही रुप से नहीं हो सकती। हुआ क्या? यह घोषणा की गयी कि प्रत्येक विभाग को हमें इतना काम देना है, अमुक-अमुक विभाग को इतना काम देना है, उसके अनुसार विभाजन कर दिया गया बगैर यह विचार किये हुए कि कहां पर आवश्यकता कैसी है।

श्रीमन्, प्रसंगवश मैं यह भी कह दूं कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद कई जिलों का कृषि के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल लगभग समान है। इन सभी जिलों का कुल क्षेत्रफल लगभग एक सा है, कुछ थोड़ा सा हेर-फेर है दस पांच हजार एकड़ का। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यदि मेरठ में ५१ प्रतिशत सिंचित क्षेत्र होगा तो तीसरी के अन्त तक वह ६८ प्रतिशत हो जायगा जब कि मुरादाबाद जिले के अन्तर्गत जिसका कृषि का वह क्षेत्र १६ हजार एकड़ उससे कम है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जाकर कुल ३१.५० प्रतिशत होगा। तो यह जो असाम्य है, जो अदूरदर्शिता है जिन्हें कि पाकेट्स कहा जाता है जो बीज में कुछ क्षेत्र ऐसा रह जाता है कि जहां विकास न हो सके, ऐसी छोटी छोटी बातों पर सरकार ने विचार नहीं किया। यह क्यों? इसलिये कि इस सारी योजना के पीछे जो हमारा प्रारूप निर्माण हुआ है उसके पीछे वही तानाशाही की मनोवृत्ति है। श्रीमन्, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन मैं उसे भी इस आदरणीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे सामने जो योजना का प्रारूप विचारार्थ आया है, इस आदरणीय सदन में उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रति उसी दिन प्रातः काल सदन की कार्यवाही चल रही थी तब प्राप्त हो सकी जब कि जरुरत इस बात की थी कि इस सदन के आदरणीय सदस्य उसे अच्छी तरह देखते, उसका अध्ययन करते, उस पर विचार करते, विषय चूंकि आंकड़ों में निहित था, उसका हिसाब लगाते। लेकिन बगैर उनकी सुविधा असुविधा का ध्यान रखे ठीक उस समय उसकी प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराई गईं। यह इसीलिये कि वह यह सोचते हैं कि जो योजना वह बनाते हैं वह पास तो हो ही जायगी क्योंकि बहुमत उनकी ओर है। अब दूसरे लोग जो योजना के पीछे बहुत भावुक हैं जो उसकी सफलता देखना चाहते हैं, वह कुछ भी सोचा करें।

मैं निवेदन कर रहा था कि जनता का सहयोग न मिलने का एक कारण यह भी था कि जनता को किसी भी स्टेज पर सरकार यह न समझा सकी कि यह योजना जनता की है। श्रीमन्, सौभाग्य या दुर्भाग्य से तीसरी योजना के साथ-साथ एक नया प्रश्न सामने आया है और वह यह कि योजनाओं की स्थापनायें करते समय या योजना के कार्यों या लक्ष्यों का विभाजन करते समय हमें पापुलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो श्रीमन्, बड़ी मोटी बात है कि जब उत्तर प्रदेश में ७४ प्रतिशत कृषि कार्य करने वाले लोग हैं तो हमारा जो व्यय है निजी क्षेत्र के बाद या कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना के बाद वह अधिकाधिक उन कृषकों के लिये होना चाहिए। लेकिन श्रीमन् इसमें कितनी असंगति है वह इससे जाना जा सकता है कि काश्तकार को ५ सौ रुपया कुंआ बनाने के लिये देने में भी यह देखा जाता है कि उसकी काश्त की स्थिति क्या है? वह भूमिधर है या सीरदार है जब कि श्रीमन्, आवश्यकता दोनों प्रकार की जमीनों में सिंचाई की है। बिना सिंचाई के अन्न का उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता और ७४ प्रतिशत कृषि पर जीवनयापन करने वाले लोग हैं लेकिन स्थिति क्या है? ढाई या तीन करोड़ रुपया कुल तकावी का हमारे प्रदेश में बाकी है। इसके विपरीत आठ या नौ करोड़ नगरपालिकाओं पर है। करोड़ों रुपया किसानों का गन्ने का पूंजीपतियों पर है। लेकिन हमारी सरकार किसानों पर जिन पर कि ज्यादा से ज्यादा व्यय करने की जरुरत है, उनका ज्यादा से ज्यादा उत्साह बढ़ाने की जरुरत है, उन पर तीन चार करोड़ रुपया ही व्यय करना पर्याप्त समझती है। मैं तो यह अच्छा समझता हूं कि हम सबसे जो मौलिक आवश्यकतायें हैं जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि सब से बड़ी आवश्यकता है कि हम कृषि को बढ़ायें और उसके लिये सिंचाई के साधन बढ़ाये जायं, सिंचाई की स्थापनाओं पर और छोटी-छोटी योजनाओं के लिये अधिक से अधिक रुपया हम दें। इसके लिये हम नियमों को भी थोड़ा उदार बना लें। मैं यह भी समझता हूं कि जैसे-जैसे हमारे प्रदेश में या देश में मार्गों का विस्तार होता जायगा, वैसे-वैसे देश में स्वयं नियोजन का लक्ष्य आगे बढ़ता जायगा। श्रीमन्, सड़कें बनाने में तो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती? शायद रोलर वगैरह में कुछ होती हो लेकिन अधिक आवश्यकता उसकी नहीं होती। इसलिये यदि हम अपने मार्गों का भलीभांति विस्तार कर लें तो हम समझते हैं कि हमारे देश की कृषि व्यवस्था में भी तेजी के साथ सुधार आयेगा और इस तरह हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में भी आगे बढ़ सकेंगे।

*श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय अधिष्ठाता महोदय, दुनिया का यह एक प्रिन्सिपुल है कि जिस नेशन की शक्ति खत्म हो जाती है वह देश या राष्ट्र जिन्दा नहीं रह सकता। हमारे देश के प्लानर ने जो प्लानिंग देश के लिये बनाई उसमें बड़ी भारी कमी थी। उन प्लानर के अन्दर कल्पना शक्ति नहीं थी। उनकी कल्पना शक्ति विदेशी शक्ति ने कैद कर लिया था। मुझे इस बात का खेद है कि प्लानर ने जो देश के लिये प्लान बनाया उससे देश की कोई उन्नति नहीं हुई। पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी उससे देश में विकास होना चाहिये था लेकिन वह विकास नहीं हुआ। उस प्लान के अनुसार हमारे देश के अन्दर से भूख को मिटाना चाहिये था किन्तु उससे हमारे प्रदेश की भूख नहीं मिटी। इसका मतलब यह है कि वह प्लान जिन प्लानर ने बनाया उनका दिमाग चोपट था और वह उन्होंने विदेशी प्लान की किताबों को पढ़कर बनाया था। गरीब देश के लिये ऐसी प्लान से कोई लाभ नहीं हो सकता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

इस प्लान के प्लानर तो इस देश में रंगरेलियां करना चाहते हैं। वह बात करके ही देश में प्लान खड़ा करना चाहते हैं जब कि देश के अन्दर भूख की ज्वाला से लोग भस्मीभूत होते चले जा रहे हैं। यदि इस प्रकार की योजनायें बनतीं जिनसे गरीबों का अधिक लाभ होता तो वह अच्छी थीं और यदि उनमें हम विफल भी होते तो भी अच्छा था। मैं समझता हूं तब भी हम सही दिशा में विकास के कदम को आगे बढ़ाते। यदि हम विफल हो जायं तो बाद में हम सफलता में परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन जब हमारा कदम ही गलत रास्ते पर हो और विकास की सीढ़ी ही उचित रास्ते पर न हो और उसमें भी हम विफल होते हों तो यह नहीं हो सकता कि हमारी विफलतायें किसी प्रकार से सफलता में परिणत हो जायं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूख मिटने के बाद कपड़े की आवश्यकता होती है। मैं यह समझता हूं कि हमारे देशवासियों को और यहां की आम जनता को फ्री कम्पल्सरी एजूकेशन जनतन्त्र में होना चाहिये। उसका भी अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सका है। हमारे संविधान के अन्दर इस बात का प्राविजन किया गया है कि यहां के वासियों को फ्री एजूकेशन का मिलना आसान हो लेकिन उसके बावजूद भी आज आजादी के १२ वर्ष के बाद भी यह सरकार यहां की जनता के लिये फ्री शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकी, इसका हमें महान खेद है। उन प्लानर की बुद्धि पर भी हमको खेद है जो अपने को लिखा-पढ़ा बताते हैं लेकिन यहां के बच्चों के लिये तो पढ़ने-लिखने का प्रबन्ध नहीं करते हैं और बूढ़ों के लिये पढ़ने का इन्तजाम करते हैं। गरीब बच्चों के लिये तो फ्री एजूकेशन के प्रबन्ध कोई नहीं किया गया लेकिन बूढ़ों के लिये किया गया है। उनको ढोल बजाकर गाना सिखाया जाता है और वह इस तरह से प्रचार करते हैं पर गरीब बच्चों के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। क्या इन बातों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि आपका प्लान बुद्धि से खाली है कि आप नौजवान लड़कों के लिये पढ़ने-लिखने का प्रबन्ध नहीं करते हैं और बूढों के लिये करते हैं? यह प्लान यहां के पढ़े-लिखे लोग बनाते हैं और इस तरह की स्कीम चलाते हैं।

हमारा प्रदेश बहुत अच्छा प्रदेश है। मैं भी इसको मानता हूं लेकिन यहां पर जो गरीब आदमी रहते हैं उनके लिये कोई सही कदम नहीं उठाया जाता है। आज १२ साल आजादी के मिलने के बाद भी हम देखते हैं कि पौड़ी के अन्दर आठ आने में एक कनस्तर पानी मिलता है। पीने के लिय आज भी पानी खरीदना पड़ता है यह कितनी दर्दनाक बात है और कितनी शर्म की बात है कि पानी का भी इन्तजाम यह सरकार इतने दिनों में नहीं कर पाई। आपने यूनिवर्सिटी की भरमार लगाई और कालेज खोलते हैं और चारों तरफ इस तरह का प्रबन्ध किया जाता है लेकिन गरीब बच्चों के लिये क्या ये यूनिवर्सिटी और कालेज हैं? उनके लिये फ्री एजूकेशन का प्रबन्ध होना चाहिये। यह खेद की बात है कि उन प्लानर के दिमाग से गरीब जनता और उसके गरीब बच्चों के लिये कोई प्लान नहीं बनाया गया है।

मैं आपको यह भी बतलाऊं कि एग्रीकल्चर को आप देखिये। एग्रीकल्चर के लिये खेतों को पानी देने के लिये गूल बनाई जाती है। अगर उन गूलों में पानी नहीं है, उनसे सिंचाई नहीं हो पाती तो फिर उन पर लाखों रुपया खर्च करने का क्या जस्टीफिकेशन है? आपने अपनी स्कीमों को अधूरा छोड़ा है और मुल्क की संपत्ति ऐसी जगह फंसा दी है कि जिससे नेशन को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। पहाड़ का प्रदेश अनोखा प्रदेश है। उसकी समस्यायें अपनी हैं। क्या वहां चर्खा चलेगा? क्या वहां रुई पैदा होती है? यदि रुई वहां नहीं पैदा होती तो क्या प्लानर्स के दिमाग में कूड़ा भरा है कि उन्होंने वहां चर्खा चलाने की बात सोची? अगर उनमें सोचने का थोड़ा भी माद्दा होता तो वे यह न करते कि फर्नीचर की दुकान पहाड़ पर खोली जाय और उसके लिये लकड़ी बरेली से जाय। क्या उन्होंने यह सोचा नहीं था कि अल्मोड़े में चर्खा चलकर उसका सामान बाजार में बिक सकेगा? कुछ चीजें बनी हैं और वे ज्यों की त्यों पड़ी हैं इसलिये कि उनका दाम बहुत ज्यादा है। जब बाजार

में सस्ते दाम पर बढ़िया चीज मिलती है तो आज के जमाने में कौन ऐसा बुद्धू होगा जो ज्यादा दाम देकर खराब चीज खरीदना चाहे।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जो यूनिवर्सिटी और कालेजेज खुले वह किस प्लान की स्कीम में थे। मैंने कई बार पूछा है, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया जाता। किसी आदमी ने स्वप्न देखा और यूनिवर्सिटी खोल दी ऐसा ही यहां हुआ है। हमारे गढ़वाल में जो एक डिग्री कालेज था उसे गवर्नमेंट ने छीन कर अपना डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी बना दी। (लालबत्ती जलने पर) श्रीमन्, मेरी समस्यायें निराली हैं और इसलिये क्या कुछ थोड़ा सा समय हमें और मिल सकता है?

श्री अधिष्ठाता—आप इस बात को ध्यान में रख कर भाषण करें कि बहुत से माननीय सदस्य इस विवाद में भाग लेना चाहते हैं और मुख्य मन्त्री को भी बोलना है और उनके लिये समय की सीमा नहीं होगी। अभी दो एक मिनट बाकी हैं, अगर आप कोई आवश्यक बात कहना चाहेंगे तो मैं दो एक मिनट और अधिक दे दूंगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय मैं यह कह रहा था कि हमारे यहां पौड़ी में १९४६ में सरकार ने एक गर्ल्स हाई स्कूल के लिये जमीन एक्वायर की। उसका कंपेंसेशन दे दिया है और जमीन का कब्जा सरकार को दे दिया गया—

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। आपने श्रीमन्, व्यवस्था दी थी कि यहां विवाद के समय कैबिनेट रैंक का एक मिनिस्टर रहना चाहिये। वह तो हैं, लेकिन जब प्लानिंग पर बहस हो रही हो उस समय प्लानिंग के मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर का यहां रहना क्या आवश्यक नहीं है? उन दोनों में से कोई भी यहां नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—यूं तो यह आवश्यक है कि जब तृतीय पंच वर्षीय योजना पर विवाद चल रहा हो उस समय आदरणीय सदन के सदस्यों को यहां अधिक से अधिक रह कर विवाद में दिलचस्पी लेनी चाहिये और रहना चाहिये, हिस्सा लेना चाहिये, और जैसा मैंने कहा था कम से कम एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर भी यहां रहना चाहिये ताकि यहां पर सदस्यों की भावनायें जो आती हैं वह कैबिनेट तक पहुंच सकें, तो जब एक मिनिस्टर महोदय, यहां मौजूद हैं तो माननीय सदस्यों की भावनायें कैबिनेट तक पहुंच ही जायेंगी।

श्री चन्द्रसिंह रावत—मैं यह कह रहा था कि जमीन एक्वायर होने के बाद इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन कोई बिल्डिंग वहां नहीं बन सकी और ३, ४ सौ रुपया माहवार एक प्राइवेट बिल्डिंग को देते हैं रेन्ट का और मैं समझता हूं कि यह अन्याय है। यह न्याय नहीं है कि उस विद्यालय के बच्चों को बैठने के लिये कोई जगह न हो। उसको इन्टर कालेज होना चाहिये था, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था उसकी नहीं की गई।

इसी प्रकार मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे यहां एक इंच भी सड़क नहीं बनी है। मेरी कान्स्टीट्एंसी में एक इंच भी सड़क नहीं बनी है। मेरी कान्स्टीट्एंसी में, जोकि गढ़वाल का हार्ट कहा जाता है, एक सड़क इन दोनों योजनाओं में नहीं बनी है। कहा जाता है कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया। बिछा दिया होगा कहीं आपने?....

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हुआ।

***श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह पंचवर्षीय योजनाओं की पुस्तिकायें किस भाषा में छपी हैं। इन योजनाओं में लिखा हुआ है कि यह योजनायें ग्रामीण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

और पिछड़े हुये लोगों को उठाने के लिये हैं। परन्तु यह पुस्तिकायें अंग्रेजी में बनाई गई हैं। जिस अंग्रेजी भाषा द्वारा हिन्दुस्तान को विदेशियों ने लूटा उसी भाषा में यह किताबें छापी गई हैं। उस भाषा की सन्तानों ने इन पुस्तकों को बनाया है। हमें मालूम है कि इंगलैन्ड वालों ने किस तरह हिन्दुस्तान को लूट-लूट कर अपने आपको माला-माल बनाया। उसी तरह से आज भी, १२-१३ वर्षों के बाद भी, यह सरकार ग्रामीणों को लूट-लूट कर अपने को सम्पन्न बना रही है। इस जादू की भाषा द्वारा अंग्रेजों ने जिस प्रकार लूट कर अपने को धनी बनाया, उसी प्रकार यह सरकार भी अपने को सम्पन्न बना रही है। हमारी जैसी भाषा होगी वैसी ही हमारी वेश भूषा भी होगी। इस भाषा के रहते हुये कोई भी चूड़ीदार पैजामा पहनना पसन्द नहीं करेगा। वह कुर्ता नहीं पहनेगा। वह ग्रामीण जो घुटनों तक धोती पहनता है, वह आपके इन गिट-पिट करने वालों की बात क्या समझेगा और क्या यह उनका भला कर सकेंगे। वह कोट-पतलून पहनने वाला व्यक्ति कैसे उनकी खाट पर बैठेगा और कैसे छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को फैलाने के विषय में उनको कुछ बतायेगा। यह तो सामन्तशाही तरीका है, पूंजीवादी तरीका है, और उन्हीं का भला करने वाला है जो अंग्रेजी भाषा को पढ़ कर आज राज्य चला रहे हैं और जो बड़ी-बड़ी योजनायें बना रहे हैं। यह सब बड़े-बड़े लोगों और पूंजीपति लोगों के लाभ के लिये बन रही हैं।

श्रीमन्, जहां तक खेती के उत्थान की बात है, कौन किसान नहीं चाहता कि अन्न अधिक पैदा हो, कौन नहीं चाहता कि अन्न की समस्या हल हो? सोशलिस्ट पार्टी की बराबर यह मांग रही है कि दाम-नीति को संचालित किया जाय। जिस किसान को उसके अन्न के दाम, रूई के दाम, जूट के दाम, गन्ने के दाम आदि उनकी लागत खर्च के अनुसार भी नहीं मिलते, तो कैसे वह उत्साह के साथ अपना कार्य कर सकता है। आपके कल कारखानों में पैदा होने वाली चीजें कई गुना दामों पर बिकती हैं जबकि उनकी कीमत लागत से ड्योढ़ी नहीं होनी चाहिये। अगर किसान को उसकी लागत के अनुसार उसकी पैदा की हुई चीज का दाम मिल जाये तो हर किसान तरक्की कर सकता है। आज हमारे देश में इंगलैंड, अमेरिका, रूस, नार्वे और स्वीडेन, जर्मनी तथा और तमाम मुल्कों से खाने-पीने की चीजों को मंगाया जाता है। यह सब मंगाने की जरूरत ही हमें न पड़े यदि हम किसान की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर ध्यान दें। हमें खाने-पीने की चीजों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। जो आराम और लग्जरी की चीजें हैं उन पर आपको टैक्स लगाना चाहिये और उन पर अधिक से अधिक टैक्स लगा कर अपनी योजनाओं को कामयाब बनाना चाहिये। अगर खाने-पीने की चीजों पर टैक्स न लगाया जाय तो हर किसान अधिक अन्न पैदा कर सकता है और आत्म-निर्भर बन सकता है। आज रूस और अमेरिका की नकल करते हैं। आज जेकोस्लोवाकिया और आस्ट्रेलिया की नकल करके क्यों नहीं आत्म-निर्भर बनते हैं? एक-एक रोयां हिन्दुस्तान के नागरिकों का बिक गया। भूमिहीनों को जमीन नहीं दी जाती है। आज गांव-पंचायत और गांव समाजों की जमीनों पर बड़े-बड़े आदमियों के नाम से भूमि के पट्टे किये जा रहे हैं। अगर जमीन का बंटवारा ढंग से किया गया होता, लोगों को ज्यादा जमीन नहीं मिलती और बगैर मशीन के लगाये हुये कृषि की जाती तो आत्म-निर्भरता बढ़ती और पैदावार बढ़ती, बेकारी कम होती। लेकिन आज मशीनों को खरीद करके बड़े-बड़े भूमि के भागों पर खेती कराई जा रही है। जब तक मशीनों को हटा कर, छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे नहीं चलाये जायेंगे और उसके माल की खपत की योजना नहीं कार्यान्वित की जायगी तब तक तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन सरकार बड़ी-बड़ी मशीनों से चल रही है। अगर पैसे की कमी है तो चीनी मिल और कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करें और फिर विकेन्द्रीकरण करें और मेहनतकश लोगों को छूट दी जाय।

आज हमारे देश में प्लानिंग के लिये, योजना बनाने के लिये ज्यादा से ज्यादा अफसर बढ़ाये जा रहे हैं और वास्तव में काम करने वालों की संख्या घटाई जा रही है। आप जब रूस, अमरीका की दूसरी चीजों की नकल करते हैं तो वहां तो काम करने वालों की संख्या

बढ़ाई जा रही है और अफसरों की संख्या कम की जा रही है, लेकिन हमारे देश और प्रदेश में क्या हो रहा है? जो काम करता है उसको नीचा समझा जाता है और जो काम नहीं करता उसको बड़ा समझा जाता है। दूसरे देशों में मिस्त्री कैसे काम करते हैं? स्वयं उनके हाथ और कपड़े काले रहते हैं और कोयले में रंगे रहते हैं, लेकिन हमारे देश के मिस्त्री और अफसर और अधिकारी जितने ही सफेद-पोश हों उनकी उतनी ही इज्जत है। अफसरों की संख्या बढ़ाई जाय, बिल्डिंगें बढ़ाई जायें, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों और सेक्रेटरियों और डायरेक्टरों के मकान बनाये जायें, पूंजीपतियों की आमदोरफ्त के लिये बड़े-बड़े पुल और सीमेंट की सड़कें बनाई जायं, लेकिन गांव में क्या दशा है? गांव की सड़कें और पुलियां टूट रही हैं, गलियों में कीचड़ भरा हुआ है, और डामर की तरह से कोयले की तरह से सड़ रहा है। आज कोई भी डाक्टर गांव में रहने के लिये तैयार नहीं है, क्योंकि देहातों में अस्पतालों की इमारतें नहीं हैं, रहने का स्थान नहीं है, उनकी आमदोरफ्त का रास्ता नहीं है। हैदरगढ़ क्षेत्र में ग्राम सेविकायें गांव में रहना पसन्द नहीं करतीं। हमारे गांव में आयें, मकान दिया जाय, दूसरे गांव में जायें, मकान दिया जाय, लेकिन पसन्द नहीं करतीं। बी० डी० ओ० साहब की भी यही हालत है। हाजिरी दिखा देते हैं, लेकिन रहते नहीं हैं और गरीबों के साथ बैठना पसन्द नहीं करते।

जितने बाराबंकी में छोटे उद्योग-धन्धे कायम किये गये वहां और मसौली में, एक भी नहीं चल रहा है। बक्से और बाल्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ है। पैसा फर्जी तौर से दिया गया है। आखिर यह योजनायें कैसे चल रही हैं? आज चौखम्भा राज्य बनाने की जरूरत है। गांव पंचायत को योजना और पैसा दे दें और वही योजना बनावें तभी आदमी काम करेंगे। पैसे की बहुत जरूरत है, यह काम तभी सफल होगा। ऊपर से, दिल्ली और लखनऊ से आदेश जाते हैं कि वहां हल बनाया जाय, लेकिन गांव वालों को जरूरत है नहीं। वहां पहले रास्ते बनने चाहिये। योजना ऊपर से लादने से काम नहीं चलने वाला है।

साथ ही स्कूल भी खोले जायें। यहां से अस्पताल की योजना जाती है। ऐसी-ऐसी बातें की जा रही हैं। तो उनको अधिकार दिये जायें। उनकी मातहती में चौकीदार लेखपाल और पंचायत सेक्रेटरी को रखा जाय। आज दशा यह है कि पंचायत सेक्रेटरी प्रधान को कुछ नहीं समझता। अगर आप चाहते हों कि हमारे ग्राम उन्नति करें तो आपको चौखम्भा राज्य बनाना चाहिये। हमारी सोशलिस्ट पार्टी १२ वर्षों से कहती आ रही है कि चौखम्भा राज्य होना चाहिये लेकिन उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज सामन्तों की योजनायें बन रही हैं, कहने के लिये गांवों, हरिजनों और पिछड़ी जातियों की बात की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि गांवों की उन्नति हो तो ऊटी और देहरादून के स्कूलों की जगह पर देहातों में स्कूल खोलिये। हमारे यहां हैदरगढ़ और सुइहा परगने में आजतक कोई स्कूल नहीं खोला गया, वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेक्रेटरी दूसरे ग्रुप का आदमी है....

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने तृतीय पंचवर्षीय योजना जैसे महत्व-पूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर, जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन के विकास के लिये शुद्ध जल, वायु और भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से देश और प्रदेश के लिये विकास की आवश्यकता होती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के महान कर्णधारों ने जिन के हाथ में देश और प्रदेश की सत्ता है, यह अनुभव किया कि देश का विकास किस प्रकार से होगा। मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश में ६९३ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। यह धन सिंचाई, कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, विद्युत् शक्ति, उद्योग, खनिज पदार्थों, ग्रामीण छोटे उद्योग-धन्धे, प्राविधिक शिक्षा, सड़क, परिवहन तथा

[श्री अयोध्याप्रसाद आर्य]

समाज सेवाओं आदि-आदि पर व्यय किया जायगा जिससे हमारे प्रदेश की उन्नति हो सके और हमारे देश में जो विषमता है वह दूर हो सके। मान्यवर, हमारे देश में प्रथम योजना चली और अब दूसरी योजना प्रायः समाप्त होने जा रही है। इसमें जितना पैसा व्यय हुआ उससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता था। इसमें आवश्यकता थी और आज भी है कि देश-वासियों के अन्दर ईमानदारी और सच्चरित्रता आये। बड़े दुख की बात है कि जिनके हाथ में सत्ता है वह इस पर ध्यान नहीं देते। इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के भाइयों का भी कर्त्तव्य होता है और इस आदरणीय सदन में जितने सदस्य हैं और देश के रहने वाले हैं सभी का इसके प्रति कर्तव्य है। देश का विकास केवल सड़कों और विद्युत् आदि से ही नहीं हो जाता, बल्कि मनुष्यों के विचारों में भी विकास का होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य के जीवन में विचारों का विकास नहीं होगा तब तक वास्तव में देश का विकास नहीं हो सकता।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक छोटी-सी बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जनपद देवरिया सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है। उसमें हमारे जिले में वैसे तो कुछ सड़कें बनी हैं, और कुछ विकास के कार्य भी हुए हैं किन्तु अपने क्षेत्र की हालत मैं क्या बतलाऊं, दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से कहिये, भाटपार रानी में सामुदायिक विकास योजना सरकार की ओर से कार्यान्वित हुई है लेकिन बनकटा और भटनी छापा ब्लाक अभी तक उदासीन पड़ा है, सरकार की दृष्टि उधर नहीं गयी है। अगर सरकार के कर्मचारी उधर दृष्टि दें तो हमारा देश बहुत कुछ आगे उन्नति कर सकता है। अगर बुरा न मानें तो मैं कहूं कि कुछ लापरवाही-सी बरती गयी है जिससे यह नुकसान हुआ है। यही कारण है कि हमारे देश के नेताओं की विचारधाराएं होते हुये भी, आज हम आगे बढ़ने की जगह पीछे ही रहे हैं।

देवरिया जनपद में सलेमपुर-मझौली के बीच में छोटी गंडक पर नदावर घाट, जो एक अन्तरप्रान्तीय मार्ग है, यहां एक पुल का होना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैंने गत बजट सेशन के अवसर पर भी प्रकाश डाला था लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसका खास कारण यही है कि सिंचाई विभाग की तरफ से वहां एक अस्थायी पुल का निर्माण हुआ है जिस पर सम्भवतः ८५ हजार रुपया व्यय हुआ है। लेकिन आज क्या है? आज उस पुल को देखने के बाद जिसको बोलने की तमीज नहीं है, वह भी सरकार की आलोचना करता है। उसका कारण यह है कि जो पुल बना हुआ है उसके दोनों तरफ की मिट्टी बरसात के दिनों में बह जाती है। बरसात के दिनों में जब नदी बढ़ जाती है तो ऐसी अवस्था में दोनों तरफ की मिट्टी अलग हो जाती है और सिंचाई विभाग द्वारा जिस पुल का निर्माण हुआ है वह बीच में टापू जैसा दिखाई पड़ता है। नाव पर बैठने वाले यात्री आते हैं और जाते हैं, वे कहा करते हैं कि यह सरकार की योजना है। लेकिन मेरा कहना है कि उसमें सरकार का क्या दोष है? यह तो बनाने वालों का दोष है, वहां के कर्मचारियों का दोष है। इस सम्बन्ध में मैंने थोड़ा-सा संकेत किया था कि यदि वे इस प्रकार की लापरवाही न बरतें तो जिस प्रकार का हमारे नेताओं का विचार है, इसमें सन्देह नहीं कि इससे हमारा देश बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है।

सलेमपुर-मझौली होते हुये एक अन्तरप्रान्तीय सड़क जो बिहार को जाती है, वहां नदावर घाट पर पुल का निर्माण हो जाय तो बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। इसी तरह से भटनी घाट, खैराघाट और सीआही नदी तथा बंकुल सरही पर भी पुल का होना बहुत आवश्यक है। सड़कों का जहां तक सम्बन्ध है, स्वतंत्रता के पश्चात् भी हमारे यहां केवल ३, ४ मील सड़क ही जिला बोर्ड द्वारा पक्की हुई है और उसका खास कारण यह है कि वे लोग कह दिया करते हैं कि आपका क्षेत्र जो है वह चारों तरफ से छोटी गंडक तथा नदी-नालों से घिरा हुआ है। जिसकी वजह से अधिकारी लोग वहां जाने में भय खाते हैं। इस तरह से वहां विकास कार्य होने से वंचित रह जाता है। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूं कि संयोग से हमारे नियोजन के उप-मंत्री महोदय भी इस आदरणीय सदन में इस समय उपस्थित हैं, उनका ध्यान मैं इस क्षेत्र की तरफ

के कुछ आवश्यक मार्गों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। भाटपार रानी से टीकमपार होते हुये सड़क रामपुर मिल तक जाती है, एक सड़क पकड़ी से बंगरा बाजार--जगदीशपुर होते हुये प्रतापपुर फैक्टरी को जाती है, और बंगरा बाजार वाली सड़क से कलकत्ता, बनारस आदि स्थानों से काफी व्यापारी आते हैं। मार्ग ठीक न होने से उन लोगों को यातायात की असुविधा रहती है। एक सड़क फुलवरिया से सोहनपुर-रामपुर, बुजरुग होते हुये बिहार को जाती है, एक सड़क भटनी से करवनिया-भिंगारी तक है, एक सड़क भिंगारी से भजानी छापर होते हुये रामपुर को जाती है। छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये इन सड़कों का पक्की होना बहुत आवश्यक है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के उपरोक्त पुलों और सड़कों को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे। मैं मानता हूं कि हर जगह बड़े-बड़े उद्योग धंधों का जाल नहीं हो सकता लेकिन अगर छोटे-छोटे उद्योग धंधों की तरफ भी सरकार की दृष्टि हो तो मेरे जिले के गांवों में उन छोटे-छोटे धंधों का प्रसार हो सकता है। किन्तु देखा जाता है कि बड़े-बड़े उद्योग धंधों के लिये उद्योगपतियों को तो पैसा मिल जाता है लेकिन गांवों में छोटे उद्योगों के लिये पैसा नहीं मिल पाता है। जिलों के उद्योग अधिकारियों को उधर विशेष ध्यान देना चाहिये।

एक निवेदन सिंचाई के सम्बन्ध में है कि योजनायें तो बड़ी सुन्दर हैं लेकिन यदि थोड़ा-सा ध्यान गांवों की ओर दिया जाय तो बड़ा कल्याण होगा।

*श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना पर ३ दिन से जो विचार-विनिमय चल रहा है उसमें बहुत से माननीय सदस्यों के विचार सुनने को मिले। यों तो महोदय, जहां तक मैं समझ पाया हूं योजना का मतलब सीधा-सादा यह होता है कि किसी देश की जनशक्ति और धन-शक्ति को इस प्रकार सुनियोजित ढंग से काम में लाया जाय जिससे सर्वांगीण उत्थान हो। अपने प्रदेश और देश की योजनाओं का भी यही लक्ष्य था। आगे के लिये योजना बनाते समय पिछली योजनाओं के अनुभवों पर भी गौर करना जरूरी होता है। कहने का मतलब यह है कि योजनाओं का जो क्रम चल रहा है और यदि हम पहली दो योजनाओं के अनुभवों से लाभ नहीं उठाते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करेंगे।

आज तो गलत आंकड़ों के जाल में हमारा देश और प्रदेश फंसा हुआ है। माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत ही विद्वत्तापूर्वक और योग्यता व खूबसूरती के साथ आंकड़ों को गलत साबित करने की कोशिश की है। यह बात सही है कि गलत आंकड़ों पर आधारित कोई भी योजना असफल रहेगी जैसा कि हमारा आज तक का तजुर्बा है। कहा जाता है कि जन-सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन सरकारी कागजात में वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। यह एक चीज में Report of the Team for the Study of Community Projects and National Extension Services से पढ़ता हूं:--There is the desire to inflate figures indicative of the people's contribution to the community works. The extreme case which a Development Commissioner mentioned to us was that of a Block Development Officer who calculated as people's participation the wages which would have been earned by persons present at a meeting of the Co-operative Society had they not attended it."

कहने का मतलब यह है कि कोशिश इस बात की होती है कि फीगर्स को बढ़ा कर रखा जाय। इस इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एक ब्लाक डेवलपमेंट अफ़सर महोदय ने सहकारिता की एक मीटिंग का हिसाब लगाकर कि यदि लोग इसमें भाग लेने नहीं आये होते तो कितनी मजदूरी कमा लेते वह भी जनता के सहयोग में शामिल कर दिया। चकबन्दी में कोई जमीन गांव में सार्वजनिक कामों के लिये छोड़ी जाती है तो उसकी भी कीमत जनता के सहयोग में शामिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

कर ली जाती है। मैं यह निश्चित कह सकता हूं कि जो योजना बनायी जा रही है वह जनता की योजना नहीं है। किसी भी स्तर पर देखिये, जन-सहयोग प्राप्त नहीं होता है। गोविन्दसहाय जी की अध्यक्षता में इवैल्यूएशन कमेटी बनी। उसने भी यही कहा कि केवल २५ फी सदी से २७ फी सदी तक जनता का सहयोग मिला। जिला अन्तरिम परिषदों में भी इस पर बहस हुई और यदि सरकार इसे जनता की योजना कहती है तो उसने एक भी ठोस सुझाव जनप्रतिनिधियों का माना? नहीं माना बल्कि जो प्रारूप जिला के आफिसों से डिवीजन में और डेवलपमेंट कमिश्नर के यहां गये वही इसमें रखे हुये हैं। एक अक्षर भी बदलने के लिये यह सरकार तैयार नहीं है।

जहां प्रगति नहीं हो पाई है, जो पिछड़े हुये इलाके हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान देना होगा पहाड़ का इलाका, बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सैकड़ों बल्कि हजारों वर्ष से दबाये हुये रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से और हर दृष्टि से वे पिछड़े हुये रहे ह। जब तक इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक कोई भी योजना में सामंजस्य नहीं आ सकता है। शुक्र है हमारे दुश्मन चीन को जिसने हमले का दुस्साहस किया। इसका नतीजा यह हुआ कि केन्द्र से लेकर हमारे प्रदेश की सरकार की आंखें पहाड़ी इलाके की ओर गईं और वहां आज करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर किसके हमले का इन्तजार किया जाय? बड़ा जोर-शोर था कि रिहन्द बांध बन रहा है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उजाला हो जायगा लेकिन वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है। सरकार बिजली बेच कर खाये जा रही है। आशा यह थी कि इस बिजली से छोटे उद्योग धंधे पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैलेंगे। सरकार एलान करती है कि फलां प्लान्ट और कारखाना पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि बनारस के ऊपर केन्द्रीयकरण हो रहा है। पूर्वी प्रदेश को इससे सन्तोष नहीं होगा। बनारस में १० कारखाने लगा दीजिये लेकिन इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या हल होने वाली नहीं है। इससे सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकता। पूर्वी भाग में और भी जिले हैं, सब की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

जहां तक प्लानिंग विभाग का सम्बन्ध है, इसके लिये कहा जाता है कि प्लानिंग के हैं तीन काम—नक्शा, मीटिंग और सलाम।

श्री प्रतापसिंह—नक्शा, मीटिंग, चाय और सलाम।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—हां, चाय और कह लीजिये। अगर यही हाल रहा तब तो खुदा ही हाफिज है और क्या हश्र होगा वह तो भविष्य ही दिखावेगा। हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह मंजूर किया है कि हमारे प्रान्त की ७४ परसेन्ट जनता खेती पर आधारित है और उसमें भी विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ८० परसेन्ट जनता खेती पर आधारित है। खेती के ऊपर इतना बड़ा भार है उसको दूर करने के लिये कौन-सी योजना है, यह मैं जानना चाहता हूं।

शिक्षा की तरफ मैं थोड़ा-सा ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत-से माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा इस सिलसिले में की है। लक्ष्य यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रायमरी एजूकेशन ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चों को, ८२ पर सेन्ट बच्चों को दे पाएंगे। पहले यह लक्ष्य था कि सन् ५६ के अन्त तक हम सब को प्रायमरी एजूकेशन दे देंगे, वह बढ़ा कर ६२ हुआ। लेकिन मान्यवर, मुझे मौका नहीं है वरना आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि योजना गलत है। ८२ परसेन्ट आप का लक्ष्य है यह बिलकुल निराधार है। आंकड़े बनाते हैं कि केवल ५२–५३ परसेन्ट ज्यादा से ज्यादा आप शिक्षा दे पाएंगे।

कोआपरेशन की बात की जाती है, सहयोग की बात की जाती है। मैं उन लोगों में से हूं कि जिनका यकीदा है कि मुल्क की तरक्की के लिये कोई भी प्लान बने उसमें सब का समर्थन होना चाहिये। लेकिन वह प्लान मुल्क की तरक्की के लिये होना चाहिये। पहले रूलिंग पार्टी अपने दल में कोआपरेशन लाने की कोशिश करे। आज सारे सूबे में निर्माण के काम पिछले

तीन साल से ठप हैं। बहुत ज्यादा गुटबन्दी रूलिंग पार्टी के अन्दर है। कोई काम नहीं होता है। निर्माण के कार्यों को ठप कर दिया गया है। जिला अधिकारियों से राजनीति का काम लिया जाता है। सत्तारूढ़ गुट को मजबूत करने का प्रयत्न किया जाता है। इस तरह से अधिकारी लोग राजनीति में भाग लेंगे तो इससे भविष्य के लिये भी खतरा है। पहले अपने में कोआपरेशन करें तब हमारा कोआपरेशन मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—आप का समय समाप्त।

(इस समय २ बज कर ३९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मलखानसिंह, पीठासीन हुए।)

***श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारी यह योजना ६०० करोड़ रुपये की है। महोदय, पहली योजना १५३ करोड़ की थी, दूसरी २५३ करोड़ की थी जिसमें २० करोड़ अभी व्यय नहीं हुआ है, और तीसरी योजना ६०० करोड़ की है। नियोजन का अर्थ यह होता है कि प्रदेश का हर जिला ऐसा कर दिया जाय कि एक हिसाब से स्टैंडर्ड जिला हो जाय और हर किस्म का सुधार हो जाय। ऐसे ही सारे प्रदेश स्टैंडर्ड हो जायं जिससे सारा देश एक किस्म का हो जाय और फिर सारा देश ऐसा हो जाय जो दूसरे देशों के मुकाबले में समान हो जाय, यह मैं नियोजन का अर्थ समझता हूं। रुपया काफी हर साल बढ़ाया गया। पहली योजना में कम था, दूसरी में ज्यादा हुआ और तीसरी में ६ अरब रुपया हो गया। रुपये में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं नियोजन की कसौटी पर कसूं तो मेरी समझ में हम उस कसौटी पर सही नहीं उतरते हैं। मिसाल के लिये हमारे जो पिछड़े हुये जिले हैं वह ऐसे कर दिये जायं कि दूसरे जिलों के बराबर हो जायं। पूर्वी जिले जो पिछड़े हैं, प्रथम पंच वर्षीय योजना में रुपया कम था लेकिन वहां नलकूप ज्यादा बने, नहरें ज्यादा बनीं, सड़कें ज्यादा बनीं। जब दूसरी योजना आई तो रुपया ज्यादा मंजूर हुआ, लेकिन सिंचाई के साधन कम किये गये, सड़कें कम बनीं। अब जब मैंने तीसरी योजना को देखा जो ६ अरब की है, लेकिन उससे निराशा हुई। मैं मिसाल दे दूं कि सड़कों के लिये प्रथम योजना में ५,३०,००,००० रु० था। दूसरी योजना में १६,१४,००,००० रु० था। तीसरी योजना में २८,०१,००,००० रुपया है। दूसरी योजना काल में मिसाल के तौर पर कह रहा हूं आजमगढ़ में ६ मील सड़क बनी। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि रुपया तो ६ अरब है लेकिन सड़कों के लिये १७,०१,००,००० रु० व्यय होने वाला है। क्योंकि ११,००,००,००० रु० तो चालू योजनाओं को पूरा करने के लिये दिया गया है। इसको देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि दूसरी योजना में जब हमारे यहां कुल ६ मील सड़क ही बनी, तीसरी योजना में कितनी बनेंगी? अब पता नहीं रुपया कितना होता है लेकिन किस प्रकार से उसका वितरण होता है यह मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं आप के द्वारा उप-मंत्री नियोजन से कहूंगा कि जब रुपया अलाट किया जाय हर मद में तो देखें कि प्रदेश का कोई जिला ऐसा न हो जहां कम रुपया अलाट किया जा रहा है। अनुपात से होना चाहिये। जहां जैसी जरूरत है उसी हिसाब से समान वितरण होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रदेश का भला नहीं होगा।

नियोजन में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो पानी की सुविधा हो और दूसरे यातायात के साधन दुरुस्त हों। जब तक सिंचाई के साधन ठीक नहीं होंगे तब तक खेती की पैदावार अच्छी नहीं होगी और अगर यातायात नहीं होगा तब तक हम कितना ही पैदा क्यों न करें उस को मिट्टी के मोल बेच देंगे और हमेशा पिछड़े रहेंगे। हम उन्नतिशील क्षेत्रों के मुकाबले में कभी अपने को नहीं रख सकेंगे। तो सिंचाई और सड़कों के लिये प्राथमिकता देनी चाहिये और उसमें ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिये। कुछ लोगों ने कहा कि छोटी-छोटी योजनाओं को अधिक कामयाब बनाना चाहिये और बड़ी योजनाओं को नहीं। लेकिन मैं कहूंगा ऐसी बात नहीं है। छोटी योजनायें सिंचाई की हों, ठीक है लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां छोटी सिंचाई की योजनायें कामयाब नहीं हो सकती हैं। ऐसी जगह अगर आप मैसोनरी वेल बनायें तो कामयाब नहीं हो सकते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुक्तिनाथराय]

वहां नलकूप से ही काम चल सकता है। तो आप के पास इतना बड़ा विभाग है, हर क्षेत्र का सर्वे करायें कि कहां मेसोनरी वैल से काम चल सकता है और कहां ट्यूब वेल से काम चल सकता है। और जो चीज जहां कामयाब हो सकती है वही चीज वहां बनायी जाय। अतः यह कहना कि ट्यूबवेल नहीं बनने चाहिये, मेसोनरी वेल ही बनने चाहिये उचित नहीं है। जो चीज जहां कामयाब हो सकती है वही वहां बनायी जाय।

तृतीय योजना में ६ अरब रुपया खर्च होगा। लेकिन पूर्वी जिलों में और बुन्देलखण्ड में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पानी पीने के साधन नहीं हैं। योजना के प्रारूप पर बहस हो रही है, वह चीज बजट के अवसर पर कहने की है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि गाजीपुर जिले में एक बीरपुर गांव है जिसकी ६ हजार की आबादी है। मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि यों तो बहुत ऐसे गांव अब भी हैं जहां पीने के पानी के साधन नहीं हैं, लेकिन इस मौजे को मौका निकाल कर कभी अवश्य देखें कि यह गांव गंगा के किनारे बसा है और उसमें एक भी मीठे पानी का कुआं नहीं है। आज तक वहां के लोग गंगा जी का पानी पीते हैं। ६ हजार की आबादी है और उस गांव में एक भी निजी पानी का कुआं नहीं है। आज तक वे गंगा का गंदा पानी पीते हैं। बरसात के दिन में वह पानी गंदला हो जाता है। ६ अरब खर्च होने पर भी पानी की अगर यह व्यवस्था है तो ऐसे नियोजन से क्या फायदा? तो सरकार को इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिये।

देहात में ब्लाक्स खोले गये हैं। बढ़िया-बढ़िया इमारत आप देखते हैं। इन भवनों का निर्माण आप को बन्द कर देना चाहिये। बी० डी० ओ० किराये के मकान में रहें क्योंकि पैसे की कमी है और उस पैसे को यातायात के साधनों पर, सड़कों पर खर्च कीजिये, सिंचाई के साधनों पर खर्च कीजिये और अन्य कामों में पैसा कम खर्च किया जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २० करोड़ रुपया व्यय नहीं हुआ इसलिये कि इमारतें वगैरह नहीं बन सकीं। प्रदेशीय सरकार भारत सरकार को लिखे कि नियमों में कुछ ऐसा हो कि एक मद का रुपया दूसरे मद में खर्च किया जा सके, तो बचा हुआ जो रुपया है उसे दूसरे उपयोगी कामों में खर्च किया जा सके।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से ६०० करोड़ रुपये से ज्यादा रुपया मांगा है, मैं समझता हूं कि इससे अधिक मांगना चाहिये था। इस योजना को देख कर यह संतोष होता है कि गांव के जरिये ही इसे बनाने की कोशिश की है लेकिन यह उतनी संतोषजनक नहीं है जितनी कि सरकार ने समझ रखा है। जो बी० डी० ओ० हैं या ऊपर के सरकारी लोग हैं उन्हीं के द्वारा नियोजन का कार्य होता है जिससे देहात के लोगों को उतनी लगन तथा दिलचस्पी नहीं होती जितनी कि होना चाहिये।

इस योजना में भी कृषि को प्रधानता दी है। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि अन्न का उत्पादन बढ़े लेकिन दूसरी तरफ जिन बातों से किसान भयभीत रहता है उन्हीं को आप करते हैं। बात यह है कि आप चाहते हैं कि सहकारी खेती हो और जब आपने देखा कि किसान सहकारी खेती के माफिक नहीं है तो आपने संशोधन किया कि अपनी मर्जी से जो सहकारी खेती में शामिल हो। लेकिन अभी-अभी आपकी जो राष्ट्रीय सहकारी समिति है उसने दिल्ली में यह नीति घोषित की है कि सहकारी खेती से ही अन्न का उत्पादन बढ़ सकता है और उसी पर दस साल काम करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को एक नीति तय करनी चाहिये। जो बीच में आप कभी कुछ और कभी कुछ कहते हैं इससे जनता भयतीत होती है। जो आपने सेवा समितियां बनायी हैं उनसे किसान भयभीत होगा। वह यह समझेगा कि यह सहकारिता की पहली सीढ़ी है और इस वजह से उनसे लाभ नहीं उठा पायेगा। जब तक आप किसानों को यह न साबित कर दें कि सहकारी खेती मुफीद है तब तक आप उस पर जोर न दीजिये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा देहात में और खास कर बुन्देलखंड में जो यातायात की कमी के कारण विकास रुका हुआ है उस ओर सरकार ध्यान दे। यदि यातायात का प्रबन्ध सरकार ठीक कर दे तो गांवों में सारी चीजें जा सकती हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां कोई सड़क ही नहीं है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। हम श्रमदान करके सड़क बनाते हैं लेकिन सरकार उसको पक्की ही नहीं कराती है। नतीजा यह होता है कि वह सारा श्रमदान बेकार हो जाता है क्योंकि पानी बरसने के बाद मिट्टी बह जाती है। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि जो सड़क श्रमदान द्वारा बनायी जाय उसको अवश्य पक्का कराया जाय। इसके लिये अगर सरकार जिले-जिले में सड़क कूटने वाली मशीन दे दे तो अधिक काम हो सकता है। सरकार तमाम रुपया विकास खंडों के दफ्तरों को बनाने में खर्च कर रही है। हमारे जालौन जिले में रामपुरा विकास खंड नया खोला गया। वहां के कर्मचारियों और केन्द्र के दफ्तर के लिये सरकार १ लाख १८ हजार रुपया खर्च करने जा रही है। मैंने सरकार को यह सुझाव दिया था कि उसके लिये स्थानीय इमारतों को क्यों न इस्तेमाल किया जाय बजाय इसके कि नयी इमारतें आप बनवाइये। नयी इमारतें बनवाने के बदले आप स्थानीय इमारतों को या तो किराये पर ले लिया करें या उनको खरीद लिया करें और जो रुपया बचे उसे उसी क्षेत्र में अन्य कामों पर, सड़कों आदि पर खर्च कर दिया करें। ऐसा करने से काफी काम आगे बढ़ सकेगा।

सरकार कहती है कि अल्प बचत योजना में लोग रुपया दें। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है कि इस योजना के अन्तर्गत जो रुपया आप लेंगे वह उनके ऊपर खर्च होगा। इसका एक उदाहरण यह है कि हमारे जिले में बंगरा से रामपुरा तक लोगों ने श्रमदान से सड़क बनायी और ५३ हजार रुपया चंदा करके जमा किया लेकिन आज तक वह सड़क पक्की नहीं हुई। तो लोगों को इत्मीनान नहीं होता कि आप उनके ऊपर रुपया खर्च करेंगे। अगर सरकार को अल्प बचत योजना बढ़ानी है तो आधा नहीं तो कम से कम एक-तिहाई रुपया उस क्षेत्र में जरूर खर्च करे। बहुत-सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको जिले की संस्थायें नहीं बना सकती हैं, गांव सभायें नहीं बना सकतीं। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि वह इस पर ध्यान दे।

श्रीमन्, उद्योग-धंधे, स्कूल और ट्रेनिंग सेन्टर्स आदि जो भी खोले जाते हैं वह शहरों में ही खोले जाते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि हम देहातों का सुधार करेंगे। लेकिन जितने काम किये जाते हैं वह शहरों में या टाउन एरियाओं में रह जाते हैं और गांवों में कोई काम नहीं किया जाता है। आप इसलिये कोई चीज देहातों में नहीं खोलना चाहते हैं कि आपके कर्मचारियों को असुविधा होगी। उनको कच्चे मकानों में रहना होगा, वहां कच्ची सड़कें होंगी। मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जब आप कोई योजना चलाना चाहते हैं तो आपको कर्मचारियों से कहना चाहिये कि जहां हम भेजेंगे वहां तुमको जाना पड़ेगा। उद्योग-धंधे, स्कूल तथा ट्रेनिंग सेन्टर आदि देहातों में ही खोलना चाहिये जिससे वहां के लोग समझें कि यह हमारी ही योजना है। अगर आप देहातों के लिये काम करेंगे तभी आपकी योजना सफल होगी अन्यथा आप योजनायें बनाते जाइये और वह हमेशा असफल ही रहेंगी। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि आपका उद्देश्य जब तक मजबूत और साफ नहीं होगा तबतक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं।

श्रीमती सत्यवती देवी रावल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं कि आपने इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद विवाद में मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण में प्रदेश के गरीब होने तथा जनता के प्रति सहानुभूति के जो शब्द थे उनसे विदित होता है कि हम सब अपने उत्तर-दायित्व को भली-भांति समझते हैं। इसमें दो रायें नहीं हैं और जरा भी संशय नहीं है कि इस प्रगतिशील संसार में किसी योजना के आधार पर ही चलना पड़ेगा, तो जहां तक योजना के बनने की बात है इसकी आवश्यकता किसी से छिपी हुई नहीं है। इस योजना से स्पष्ट मालूम होता है कि इस प्रदेश की वास्तविक हालत हमारे सामने रखी गई है और आशा है कि जो सुझाव सदन के सामने रखे जायंगे उन पर माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

[श्रीमती सत्यवती देवी रावल]

निस्सन्देह प्रदेश में नई सड़कें बनीं, नये अस्पताल बने, नये स्कूल बने और बालकों तथा बालिकाओं के लिये पाठशालायें खुलीं, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि जिस प्रगति से हम आगे बढ़ना चाहते थे उतना नहीं बढ़ पाये हैं। इसका कारण कुछ भी हो लेकिन इस योजना से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय नहीं बढ़ी है और वहीं की वहीं रही है, इससे जीवन का स्तर ऊंचा होने की झलक कहीं नजर नहीं आती है।

मान्यवर, मैं तो इससे केवल यही अनुमान लगाती हूं कि हमें अपने प्रदेश की गरीब जनता के कार्य करने के साधनों की ओर ध्यान देना होगा। उन साधनों को उन तक पहुंचाने वालों में भी सादगी, ईमानदारी तथा लगन की ज्वाला का होना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को भली-भांति मालूम है कि घर में आटा, दाल, चावल आदि सब सामग्री मौजूद है परन्तु आग के बिना और करने वाले के बिना खाना तैयार नहीं होता। केवल लहर और लगन की कमी है। मान्यवर, हमारी योजना में कमी कहां है, वह मैं अपने जिले का एक छोटा-सा उदाहरण देकर बताना चाहती हूं। श्रीमन्, अस्पतालों को ही लीजिये। नये-नये अस्पताल बनते जा रहे हैं, परन्तु वह बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। सिकन्दराबाद में जो अस्पताल है उसकी ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। गत वर्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सिकन्दराबाद गये थे। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ अस्वस्थ होने के कारण उसकी दीनहीन दशा को न देखसके। सर्वप्रथम, अस्पताल की दीवारों पर पलस्तर की कमी के कारण खंडहर होता जा रहा है, फर्श टूटे पड़े है, फर्नीचर और बेड्स की भारी कमी है। इस पर भी दशा यह है कि इंजेक्शन, दवाइयों आदि की अत्यन्त कमी है। साधनहीन अस्पतालों में बेचारे डाक्टर क्या करें? ऐसी दशा में डाक्टर वहां रह कर अपनी योग्यता का क्या परिचय दें, तथा वहां की जनता की सेवा कैसे कर सकें? मान्यवर, जब बजट में बिल पास होते हैं, तो हमें यह आशा होती है कि न मालूम इस वर्ष ही पुराने अस्पतालों का सुधार हो जाये किन्तु श्रीमन्, इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुराने अस्पतालों को सुधारने तथा मरम्मत आदि के लिये कोई धनराशि नहीं रखी गयी है। नहीं मालूम ऐसा क्यों? मुझे आशा है कि मंत्री जी हृदयविहीन नहीं हैं बल्कि बड़े उदार हृदय हैं, किन्तु वह सारी उदारता शहरों के बड़े अस्पतालों में ही लग जाती है। मेरा नम्र निवेदन है कि मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और हमारे जैसे पिछड़े हुए सिकन्दराबाद इलाके के साथ यह सौतेली मां का व्यवहार न रखेंगे।

मान्यवर, कल सदन के माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बुलन्दशहर जिले में सड़कों का निर्माण अत्यधिक बताया था। उनके कथनानुसार मैं एक भाग्यशाली जिले की रहने वाली हूं। परन्तु भाग्य का वह हिस्सा मेरे दादरी क्षेत्र में नहीं आ रहा है। दादरी क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां यमुना, हिंडन की बाढ़ का प्रकोप प्रति वर्ष कई-कई बार आता रहता है। बरसात में वहां की जनता पानी में तैरती हुई, वृक्षों पर कई-कई दिन बसर कर अपने खंडहर हुए मकानों में जा पाती है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां की सड़कों तथा पुलों और पुलियों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। बिलासपुर से कासना वाली सड़क पर गिरधरपुर के पास एक पुलिया है जिसका स्टेटमेंट बन चुका है और पास भी हो चुका है किन्तु अभी तक यह तय नहीं हुआ कि किस मद से रुपया दिया जायगा। इसी प्रकार अनूपशहर तहसील में डिबाई से कर्णवास, रामघाट से डिबाई, दानपुर से धर्मपुर, बैलोन से जरगां आदि सड़कों का निर्माण होना अत्यन्त आवश्यक है।

अब मान्यवर, कुछ थोड़ा-सा मैं कन्या पाठशाला पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। शिक्षा क्षेत्र में चन्द बड़े-बड़े शहरों को छोड़ कर जैसे सारा उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उसी तरह से मेरा इलाका भी है। इस वर्ष कुल १,७०० बालिकाओं ने सारे उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा दी है। मान्यवर, जब विभागों से पूछा जाता है कि क्या-क्या विशेष सुविधा बालिकाओं की शिक्षा के लिए आप करने जा रहे हैं तो संतोष-

जनक उत्तर दे दिया जाता है कि नार्मल ट्रेनिंग स्कूल भी खुले हुए हैं और खोलेंगे भी। यह तो ठीक है कि प्रशिक्षण पाने के बाद ही अधिक अध्यापक, अध्यापिकायें मिल सकेंगी किन्तु मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि चल प्रशिक्षण केन्द्र थोड़े-थोड़े समय के लिए हर क्षेत्र में चला दिये जायं जिससे वहाँ की पढ़ी-लिखी बहन-बेटियां प्रशिक्षण पाकर स्थानीय पाठशालाओं को ऊंचा उठा लें। दादरी जैसे क्षेत्र में जहां कई-कई महीनों तक बालिकाओं की पाठशालायें खुलने पर भी अध्यापिकायें नहीं पहुंचायी जातीं हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक और सुझाव है कि इस सदन की माननीया सदस्याओं में से कुछ की एक कमेटी बना दी जाय जो बहनों की समस्याओं पर गौर करके अपनी सरकार को उचित सुझाव दे सके....

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने अवसर प्रदान करके बड़ी मेहरबानी की। मैं भी इस मसले पर कुछ गुजारिश करना चाहता था, वह अरमान पूरा हुआ। अब मैं इस हाउस में क्या बतलाऊं कि बिना पार्टी के कहीं गुजर नहीं और मुझ जैसा आदमी किसी पार्टी में रह नहीं पाता। विरोधी पार्टी के लोग तो सारी शिकायत सरकार की करते हैं कि सब खराब है, और कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। जबकि वाकया यह है कि उसमें खराबी भी है और खूबी भी। जरूरत इस बात की है कि अच्छाई को एप्रिशियेट किया जाय तथा खराबी जो हो उसको बताया जाय। साथ ही साथ बुराई को दूर करने का रास्ता भी बतलाया जाय, इसकी आवश्यकता है। अब मुझे चन्द मिनटों में बोलना है। लेकिन हुजूरवाला, मैं कई बार बोल चुका हाउस में और मुझे फख्र है और नाज है कि सदन हमारी बात को सुनता है। लेकिन सरकार उस पर कुछ काम नहीं करती है। अतः काम न होने की वजह से बोलने का जी नहीं चाहता। क्या फायदा बोलने से जब काम न हो। लेकिन अगर न बोलूं तो हमारे वोटर्स कहेंगे कि वहां गए, बोले क्यों नहीं। काम होने न होने से तुमसे मतलब नहीं तुम्हारा फर्ज है कि अपनी बात कहो क्योंकि —कर्मण्येवाधिकारस्ते—मा फलेषु कदाचन्।

अर्थात् भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि काम करने के तुम अधिकारी हो न कि फल के। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, इस प्लानिंग पर बोलने से पहले मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके यह लाउड स्पीकर यहां का ठीक करा दिया जाय। यहां लेक्चर होते हैं, सब लोग सुन नहीं पाते। ये डिफेक्टिव हैं। या यह जो नया लगाया गया है इसी को बनवा दिया जाय। कुछ हजार या लाख रुपये की बचत की वजह से सदन की कार्यवाही सब लोग सुन न पायें तो प्लानिंग कहां से होगी? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको ठीक करवाया जाय या किसी-किसी जगह ऐसा होता है कि इसको पाकेट में लटका दिया जाता है, तो यह यहां पर रखा रहे, पाकेट में लटका दिया जाय, स्पीकर्स बोलें तो सबको सुनाई पड़े। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि इसका प्रबन्ध करने की कृपा करे।

मैं यह नहीं कहता कि काम नहीं हुआ। बड़ी मेहनत से काम किया हमारे कर्मचारियों ने, बड़ी तरक्की हुई—सड़कें बनीं, नहरें बनीं, स्कूल, अस्पताल सब बने। लेकिन जितना पैसा खर्च हुआ उस हिसाब से नहीं बने। जैसे कई अरब रुपया खर्च कर दिया जाय तो बहुत से स्कूल, अस्पताल, सड़कें इत्यादि बन जायेंगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि जितना पैसा खर्च हुआ उतने का काम हुआ या नहीं? इससे यह सदन में समझता हूं कि सहमत होगा कि जितना पैसा खर्च हुआ उतना काम नहीं हुआ। प्रश्न यह है कि क्या किया जाय कि जितना पैसा खर्च हो उतना काम भी हो, इस पर विचार करना होगा। इसके बारे में शिकायत की गई है, लेकिन रास्ता नहीं बतलाया गया।

श्री गोविन्द सहाय जी ने फरमाया था कि समाजवादी विचार का प्रचार होना चाहिए। मेंटेलिटी समाजवाद की नहीं है। उन्होंने तो यह भी कह डाला कि जुडिशियरी हमारी खराब

[श्री सीताराम शुक्ल]

है, न्याय विभाग कमजोर है, जजेज के कैपिटलिस्टिक विचार और व्यूज हैं। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारे जजेज जो हैं उन पर सब का विश्वास है। विरोधी भी उनका विश्वास करते हैं। वह हाई कोर्ट में अपनी फरियाद करने के लिए जाते हैं। श्री सहाय जी समाजवाद के बारे में तो कहते हैं लेकिन समाजवाद की परिभाषा एक्सप्लेन नहीं करते कि समाजवाद कैसे अच्छा है। वह समाजवाद बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी चीज है किन्तु प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ कर उसके नेता आचार्य कृपलानी उससे अलग हो रहे हैं। श्री प्रफुल्लचन्द्र घोष भी उससे अलग होते जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की प्राइवेट बातों को, नाम लेकर यहां पर कहना ठीक नहीं होगा किन्तु इतना कहने में हानि नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर ने आकर ह मारे एक बहुत बड़े दोस्त से कहा कि "स्वतंत्र पार्टी का सिद्धान्त और तरीका बिलकुल ठीक हैं और मैं सहमत हूं, अपनी पार्टी एकदम बदल दूं तो यह बहुत शिकायत की बात होगी लेकिन धीरे-धीरे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी बातें मनवा ले जाऊं", मेरी गुजारिश यह है कि समाजवाद और साम्यवाद के आने से मसला हल नहीं होगा। समाजवाद आ जाय और सब को खाना, कपड़ा और मकान मिल जाय तो इससे काम नहीं चलेगा। जब तक धार्मिक प्रवृत्ति नहीं आयेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। हम देखते हैं कि बहुत से लक्षपति चार सौ बीस में सजा पाते और अनेक करोड़पति खुदकशी करके मर जाते हैं। मैं गांवों को जानता हूं जो दिन में काम करते हैं और रात भर जागते हैं, सबको सब से डर है कि कहीं उनकी थाली चोरी न चली जाय। सब से बड़ी आवश्यकता है धर्म की। लोगों में धार्मिकता आनी चाहिये किन्तु साम्प्रदायिकता नहीं, क्योंकि धर्म और सम्प्रदाय में बहुत अन्तर है, उदाहरणार्थ :

धृतिः, क्षमा , दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः
धीःविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम् ।

धैर्य धारण करना, क्षमा, दम, चोरी न करना, शुद्ध रहना और इन्द्रियों को वश में करके रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना, यह धर्म के लक्षण हैं। इस प्रकार का जो हमारा धर्म है उसकी किसी भी धर्म में मुखालफत नहीं है इसका प्रचार हमको करना चाहिये। यह प्रचार तभी होगा जबकि हम अपने चरित्र को ठीक कर लें, बिना अच्छी तरह जाने चरित्र सर्टिफिकेट किसी को न दें। किन्तु आज तो किसी एम०एल०ए० के पास कोई आदमी पहुंच गया तो उसको बिना जाने ही प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है। सब से बड़ा चरित्र का उत्थान करने का तरीका यह है कि बड़े-बड़े विद्वानों और चरित्र वालों के सदाचार पर धार्मिक और तर्कपूर्ण उपदेश सुने जायं, तब जाकर देश का चरित्र ठीक होगा और तभी हमारे यहां राम राज्य आयेगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, प्लानिंग एक ऐसा विषय है जिस पर बड़े संयम और बिना गुस्से और बिना सेन्टीमेन्ट के बात करनी चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद मैं उसी भावना से प्रेरित हूं। सबसे पहले मैं शुरू में ही अपने इस सदन के नेता और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह धन्यवाद इसलिये देता हूं कि उन्होंने एक सत्य की स्वीकारोक्ति की। उसके लिये यह सदन मालूम नहीं कितने दिनों से और सारा प्रदेश इस बात को मनवाना चाहता था कि यह प्रदेश इस स्वतंत्रता के युग में, प्लानिंग के युग में पीछे जा रहा है लेकिन इसको मानने से इन्कार अधिकारी लोग किया करते थे। इसको पिछली पार्लियामेंट के मेम्बरों की सभा में उन्होंने मंजूर करके एक बड़ा काम किया है। इस बड़े काम के लिये वह बधाई के पात्र हैं। इसलिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत खुले दिल से।

श्रीमन्, यह योजना जो हमारे सामने है, अमीरों को अमीर बनाने वाली और गरीबों को ज्यादा गरीब बनाने वाली है। इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिये। यह योजना उद्देश्य-हीन है और गरीबों को प्रेरणा देने वाली नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह योजना गरीबों को रोटी देने वाली नहीं है। यह योजना अपने देश में भीख मांगना बन्द कराने वाली नहीं है। यह योजना मुकदमेबाजी बन्द कराने वाली नहीं है, यह योजना आपसी झगड़े खत्म कराने वाली नहीं है, यह योजना देश के दुर्बल लोगों को उठाने वाली नहीं है। यह खूबियां इस योजना की हैं। इस योजना से धनी लोग और धनी होंगे और शोषण और बढ़ेगा। हां, यह बात जरूर है कि इस योजना के गर्भ से एक बात पैदा होगी और वह यह कि प्रजातांत्रिक पद्धतियों में लोगों को अविश्वास उत्पन्न होगा और भगवान जाने उसका परिणाम क्या होगा। जब प्रजातांत्रिक पद्धतियों में लोगों को क्रोध पैदा होगा तो ईश्वर ही जाने कि उसका परिणाम क्या होगा, उससे देश का उद्धार होगा या वह देश को किस तरफ ले जायगी, इसको मैं कहना अशुभ समझता हूं और कहना नहीं चाहता।

किस आधार पर मैं ऐसा कहता हूं, श्रीमन्, उसे भी देखें। हमारी आमदनी निश्चित रूप से सारे भारतवर्ष के मुकाबले में घटी है और यह भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस समय योजना का कार्य सारे देश में प्रारम्भ हुआ था उस समय हमारी आय प्रति व्यक्ति ज्यादा थी। सारे भारत की स्टेट्स में प्रति व्यक्ति आय हमारी ज्यादा थी और आज सारे स्टेट्स से हम पीछे हैं। हमारे सारे प्रयत्नों के बाद हमारी यह हालत है। किसी की ईमानदारी में मैं शुबहा नहीं करना चाहता। सभी ने ईमानदारी से प्रयत्न किया है, लेकिन इन सारे प्रयत्नों के बाद और कई अरब रुपया खर्च करने के बाद, सारे टैक्सों को लादने के बाद, श्रमदान से जनता जो कुछ कर सकती थी वह करने के बाद और सरकारी हुकुम के अनुसार काम करने के बाद हमें यह दिखायी पड़ा कि हम पीछे गये। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगले पांच सालों में पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं होगी, काम करने में कोई तब्दीली नहीं होगी। बहुत ही होशियारी के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस योजना के दो हिस्सों में से एक हिस्से पर कोई रोशनी नहीं डाली। इस योजना का क्या उद्देश्य है, योजना पूरी कर हम कहां पहुंचना चाहते हैं, योजना किस लिये है इस पर एक हरूफ भी उन्होंने नहीं बतलाया। विषमता को देश से मिटाना, लोगों को रोटी देना, बतलाया। आजादी के साथ रहने की स्थिति पैदा करना आदि के बारे में जो उन्होंने कहा वह नगण्य है। उन्होंने केंद्र से ६ अरब की मांग की है और मैं जानता हूं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट केंद्र से जो कुछ मांगेगी वह बहुत तहजीब के साथ मांगेगी। नेता विरोधी दल ने उसका जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सीट लखनऊ में है और इसलिये वह दिल्ली की सरकार से बहुत तहजीब के साथ बातचीत करेगी। आज भी वह ६ अरब की मांग करती है और जब करती है कि जब वह देखती है कि हम सबसे पीछे चले गये हैं। अब दिल्ली के दरबार में उस पर क्या विचार होगा, यह कहना संभव नहीं है। मैं यह भी जानता हूं मेरी आवाज की कोई कद्र नहीं होगी, किन्तु फिर भी मैं दो एक बातों को कह देना जरूरी समझता हूं। हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है, और वह इंडस्ट्री क्या है? वह खेती है, उसमें यह सरकार कैपिटल लगाने के लिये तैयार नहीं है। अगर वह उसमें कैपिटल लगाती भी है, तो वह बहुत ही थोड़ी। इसी उद्योग की उपेक्षा की जा रही है। यह सरकार उस सुरई गाय की तरह उन किसानों को दुहना तो चाहती है लेकिन उसको खिलाना कुछ नहीं चाहती। वह दूध तो दुहना चाहती है, पर खिलाना नहीं चाहती।

श्रीमन्, सन् १९५०–५१ में एक ग्रामीण की आमदनी २१० रुपये थी और सन् १९५८–५९ में वह १९३ रुपये ही रह गयी। यानी १७ रुपये एक व्यक्ति की आय कम हो गयी। तो फिर इस प्लानिंग से क्या फायदा हुआ? आज यह सदन जानना चाहेगा कि इस तीसरी योजना से क्या भीख मांगना बंद हो सकेगा या नहीं? क्या मजदूरों की मजदूरी बढ़ सकेगी या नहीं? जिस प्रकार से आपके आफिसरों के वेतन में वृद्धि हुई है उस प्रकार से उस किसान की आय में भी वृद्धि होगी या नहीं? जो यहां पर ढाई एकड़ वाले ६७ फीसदी किसान हैं, १० एकड़ से कम के किसान ९४ फीसदी हैं, क्या सरकार उनकी व्यवस्था करेगी? क्या उनको जूट की कीमत ठीक दर से दिलाने की कोशिश करेगी? क्या उनको

[श्री गेंदासिंह]

अपने अनाज की कीमत, अपने गन्ने की कीमत ठीक हिसाब से मिल पायेगी? क्या उसको अपने जरूरत की चीजें भी ठीक दामों पर मिल सकेंगी? इसका कहीं कोई जिक्र इस तीसरी योजना में है?

आज सरकार का जो ढंग है, जो रवैया है और जिसे हमने पिछले १० वर्षों में देखा है उसे किसान भी समझता है और हम भी समझते हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि सरकार प्राइस इन्डैक्स को देखती है या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले सालों में फूड आर्टिकिल्स की कीमत बढ़ी है या घटा है? किसानों का बेचने वाली चीजों की कीमत जहां गिरी है, वहां पर उसके खरीदने वाली चीजों की कीमत बढ़ी है और बराबर बढ़ती चली जा रही है। एक-एक महीने में दो-दो प्वाइंट तक कीमत चढ़ी है।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं, पर यह बात उन तक अवश्य पहुंचनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोआर्डिनेशन का जिक्र किया कि कोआर्डिनेशन नहीं है। श्रीमन्, कोआर्डिनेशन पहले नीचे के लोगों में करने से पहले अगर मंत्री मंडल में हो जाता तो बेहतर होता। जो आदमी गेहूं और धान की फसलों को न पहचानता हो, वह एग्रीकल्चर का डिप्टी मिनिस्टर है, जो गेहूं और धान की फसल को पहचानता हो उसको शहर का काम दिया गया हो, अगर किसी से यह पूछा जाय कि भाई तुम रूस गये, वहां जाकर तुमने क्या सीखा तो वह आधे घंटे तक इधर-उधर की बातें ही करके अपनी बात बनाता रहे, और कोई ठोस बात न बता पाये तो क्या यह सब कोआर्डिनेशन है?

श्रीमन्, हम तो एक ही बात जानना चाहते हैं कि भूखे को रोटी मिलेगी या नहीं इन ५ वर्षों में इस पर बैठकर कभी विचार किया गया या नहीं? ये जो नौजवान हम रोज निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटी और कालेजेज से उनकी रोटी के लिये कोई बन्दोबस्त कर पाये या नहीं? यह बात सही नहीं है कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों को रोजगार देने चले थे, लेकिन उनको नहीं दे पाये? यह बीमारी अगली पंचवर्षीय योजना तक खत्म होने वाली है या नहीं, आज स्पष्ट सरकार को करना चाहिये और बताना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यह बीमारी आगे और बढ़ने वाली है। श्रीमन्, बेरोजगारी, बेकारी, भीख मांगना यह सब बढ़ेगा, रोटी की कमी बढ़ेगी, शोषण बढ़ेगा, चोरी बढ़ेगी, मुकदमेबाजी बढ़ेगी और सरकार की दखलअन्दाजी बढ़ेगी। मैं पालीवाल जी के शब्दों का समर्थन नहीं करना चाहता, मैं उनका टूथ ऐंड नेल विरोधी हूं। मैं देश को सुव्यवस्थित योजना के अनुसार चलाना चाहता हूं। अगर सही योजना हो सके तो मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सिपाही हूं, उसमें सहयोग देना चाहता हूं। लेकिन अगर भीख मांगने का काम बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, गरीबी बढ़ाओ, इसमें सहयोग देने से मुझे संकोच होता है। सरकार को बड़ा विचित्र मौका मिला है, अगर वह इससे लाभ न उठा सके तो कम से कम डेमोक्रेसी का जनाजा तो न निकाले।

***श्री दाताराम चौधरी** (जिला सहारनपुर)----अधिष्ठाता, महोदय, आज तीसरी पंचसाला प्लान के ऊपर जो विचार हो रहा है, कुछ माननीय सदस्यों ने इसका किसी रूप में विरोध किया। मैं समझता हूं कि प्लान के जरिये कोई भी काम हो वह ठीक ही रहता है। चाहे कोई घर का प्लान बनाये या मुल्क का, किसी किस्म का काम हो वह प्लान के जरिये से ही ठीक ढंग से हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्लान को चलाने वाले ठीक होने चाहिये, उनके दिल और दिमाग ठीक तरह से काम करने वाले होने चाहिये, वरना वह नाकामयाब हो जायगा चाहे वह कैसा ही अच्छा प्लान हो। मिसाल के तौर पर नियोजन विभाग की एक बात बतलाना चाहता हूं। अभी २ अक्तूबर को शायद हमारे प्रान्त में ३६ या ४६ विकास खंड खुलने वाले हैं और कुछ पहले भी हुआ है इसमें कोई दो रायें नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। क्योंकि जब लाखों रुपया खर्च होता है तो उसका कुछ न कुछ फायदा भी होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को मान लिया है कि जितना पया हमने खर्च किया है उतना फायदा नहीं हुआ। मिसाल के लिये विकास खंडों में एक जीप दी हुई है। हालांकि कहा यह जाता है कि साहब, यह तो कुछ फायदे के लिये है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका बहुत दुरुपयोग होता है और हाउस में करीब-करीब सभी आदमियों ने, माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र उठाया कि विकास खंडों में ये जीप रात को सिनेमा देखने में काम आती हैं, उनसे गांव को कोई भलाई नहीं होती है।

दूसरी बात यह कहनी है कि बहुत सा पया उसमें ऐसा बर्बाद होता है कि कोई देखने वाला नहीं है। मैं माननीय विरोधी दल के नेता से सहमत हूं कि एक मिनिस्टर इसके लिये अलग होना चाहिये और वह ऐसा हो कि आपस की गुटबन्दी से अलग हो। यह नहीं कि एक मिनिस्टर हो गया और गुटबन्दी में पड़ा हुआ है। कम से कम कोई आदमी ऐसा तो हो कि वह देखरेख ठीक ढंग से कर सके।

अधिष्ठाता महोदय, विकास खंडों में कुछ रुपया नर्सरी के लिये दिया जाता है कि मुल्क में बागों की तरक्की हो।

मैं समझता हूं कि वह रुपया ज्यादा बर्बाद होता है, उसका बटवारा हो जाता है। मैं माननीय उप नियोजन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि लाखों रुपया जो दिया जाता है उसको बन्द कर दें ताकि वह किसी दूसरे काम में इस्तेमाल हो सके। आज हालत यह है कि बागों के नाम पर कुछ लोगों को रुपया दे दिया जाता है और उसका बंटवारा हो जाता है। मान्यवर, आज मैं यह सोच रहा था कि हमारी बहस को न तो कोई सुनने वाला है और न लिखने वाला है लेकिन आदमी को अपने दिल की भड़ास तो निकाल ही देना चाहिये।

श्रीमान् जी, दूसरी बात मुझे शिक्षा के बारे में कहनी है। शिक्षा के लिये इस प्लान में काफी रुपया रखा गया है और मैं समझता हूं कि तालीम का जितना भी प्रचार हो उतना ही अच्छा है। अब तो लोगों में इतनी जागृति आ गई है कि वह स्वयं अपनी जमीन स्कूलों के लिये दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं। आज कल इस प्रकार के सैकड़ों हाई स्कूल खुल रहे हैं जिनको सरकार की तरफ से एक पैसे की भी इमदाद नहीं दी जा रही है। इस संबंध में हमें यह देखना है कि जितने हमारे स्कूल हैं क्या उनका पूरा सदुपयोग हो रहा है? आज बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें मास्टर तो हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। बहुत से स्कूल एक एक मील के फासले पर हैं, उनका पूरी तौर से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हमें यह देखना है कि आज जो लड़के कालेजों और विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं वह क्या इस देश के अच्छे नागरिक बन रहे हैं या हमारे देश के लिये दुर्भाग्य साबित हो रहे हैं? मैं समझता हूं जिस तरह का ढांचा चल रहा है उसमें अगर सुधार नहीं किया गया तो मुल्क के लिये खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए तालीम के मसले पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये। अगर सी प्रकार से देश में तालीम चलती रही और बेरोजगारी बढ़ती रही तो उसका क्या नतीजा होगा? अभी कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि लखनऊ के किसी एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से १२०० पये इस बात के लिये कि शिक्षा मंत्री से उसकी रिश्तेदारी है, वह उसका दाखिला मेडिकल कालेज में करा देगा। उसपर मुकदमा चल रहा है और सेशन सुपुर्द हो रहा है। इस प्रकार की तरक्की दी जा रही है, इससे क्या मुल्क की तरक्की होगी? मुल्क गड्ढे में जायगा।

एक बात मुझे यह कहनी है कि आजकल शराब का प्रचार ज्यादा हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि इसका ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पिछले चार पांच सालों से मैं बजट भाषणों को पढ़ रहा हूं, कितने ही लाख रुपयों की सालाना आमदनी इससे हो रही है। इसलिये शराब का तो नियोजन हो ही रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शराब की आमदनी बढ़ रही है और पहले जो दूकानें मुहल्लों में अलग हुआ करती थीं अब सरे बाजार खोली जा रही हैं और सिनेमाओं में मुगले आजम की तस्वीर की तरह से शराब का प्रचार हो रहा है और नयी-नयी तस्वीरें शराब की निकाली जा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—(श्री सारस्वत से) आपके लिये ५ मिनट ही हैं।

*श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—मान्यवर, सदन के सामने जो योजना का प्रारूप रखा गया है उसके संबंध में मुझे कुछ मुख्य बातों के संबंध में निवेदन करना है। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि प्रदेश की आमदनी अगर प्रदेश में खर्च की जाय तब प्रदेश का उत्थान हो सकता है। हमारे जिले में १८७ लाख रुपये की आमदनी सरकार को केवल तम्बाकू की एक्साइज ड्यूटी से होती है। इसी अनुपात से अगर हमारे जिले में नियोजन का कार्य प्रारम्भ किया जाय तो जिले के बहुत बड़े रकबे में नियोजन हो सकता है।

विद्युत के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि विद्युत का बंटवारा ऐसे ढंग पर किया जाय जिसमें प्राथमिकता काश्तकारों को मिले और उसके बाद किसी दूसरे काम के लिये प्राथमिकता दी जाय। अगर काश्तकारी के काम के लिये विद्युत दी जाती है तो मेरा विश्वास है कि इससे बहुत कुछ अन्न की समस्या हल हो सकती है और हमारे देश तथा प्रदेश की भुखमरी का सवाल बहुत कुछ हल हो सकता है।

मुझे शिक्षा के संबंध में केवल इतना ही कहना है कि हमारे यहां शिक्षा बहुत महंगी तथा कीमती है। उसके संबंध में विशेष रूप से ध्यान दिया जाय कि शिक्षा सस्ती हो जिससे वह जनप्रिय हो सके और हर व्यक्ति उस शिक्षा से पूरा-पूरा लाभ उठा सके।

गत दो योजना के काल में जूट, लोहा, वनस्पति, कागज, खनिज, सीमेंट आदि के उद्योग धंधे हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पर खुले हैं और उनसे हमारे प्रदेश को बहुत कुछ लाभ भी हुआ है। लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे देश और प्रदेश में शराब के कारखाने भी इन दो योजना काल में खुले हैं। यह शराब का कारखाना प्रदेश के खयाल से, चाहे औद्योगिक दृष्टि से गौरव की बात हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस महात्मा गांधी की छत्रछाया में बैठकर हम इस सदन में अनेकों प्रस्ताव पास करते हैं, और अनेकों कार्यक्रम की योजना बनाते हैं तथा रामराज्य की स्थापना की बात करते हैं, मैं यह अनुभव करता हूं कि यह शराब का कारखाना खुलना हमारे प्रदेश के लिये एक कलंक की बात है। एक तरफ तो शराबबन्दी के नारे लगते हैं और दूसरी तरफ उसके लिये अन्धाधुन्ध व्यय हो और कारखाना खोला जाय तो इससे हमारे प्रदेश का सर कोई ऊंचा नहीं हो सकता है।

स्वास्थ्य के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी आपकी कठिनाई को अनुभव किया कि डाक्टरों की कमी है, दाइयों की कमी है, नर्सों तथा कम्पाउन्डरों की कमी है इसलिये तत्काल उनके लिये शिक्षालय खोले जायं और उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने की चेष्टा की जाय। इस संबंध में मुझे एक बात और कहनी है कि यह देखा जाता है कि ज्यादातर इस बात के लिये ध्यान दिया जाता है कि एलोपैथिक इलाज की ही व्यवस्था की जाय। मेरा कहना यह है कि इसके अलावा, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक सिस्टम को भी महत्व दिया जाय। अगर हमारे प्रदेश के गांवों में भी इसकी व्यवस्था की जाय तो उससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है। आज यह देखने में आता है कि हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो देहाती क्षेत्र का है उसमें दवाइयों की इतनी कमी है कि बच्चे दवाइयों के बगैर परेशान होते हैं और हमारे प्रदेश के बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बगैर दवाई के मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक को भी स्थान दिया जाना चाहिये।

अब अन्त में एक बात मैं आपके सामने कह देना उचित समझता हूं जो मेरे जिले से संबंधित है। मेरे जिले में गंगा और रामगंगा पर पुल का बनना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दृष्टि से नहीं कि यह एक जिले की बात है, बल्कि हमारा जिला फर्रुखाबाद जहां सैनिक शिक्षा केंद्र है, सैनिक शिक्षा केंद्र देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ये पुल बन जायेंगे तो आप विश्वास रखें कि हमारे देश की सीमा जो नैपाल से चीन तक जाती है, फर्रुखाबाद होकर जाने वाली सड़क को नेशनल हाई वे बना दिया जाय तो उससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है। मेरा विश्वास है कि पुलों और सड़कों के निर्माण होने से बाढ़ के रोकने में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। हमारे जिले में छिबरामऊ से महमूदाबाद तथा छिबरामऊ से फर्रुखाबाद क्षेत्र वाली सड़क बन जायगी तो उससे हमारा बहुत कुछ लाभ हो सकता है और हमारा जिला बहुत कुछ बाढ़ से भी बच सकता है।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि उद्योगों की तरफ अगर ध्यान दिया जाय तथा छोटे-बड़े उद्योग खोले जायं तो उससे बेकारी काफी दूर हो सकती है। बेकारी दिनों दिन बढ़ती जाती है, इसको हमारे सभी साथी अनुभव करते हैं। यदि कहीं एक स्थान खाली होता है तो उसके लिये सैकड़ों हजारों की तादाद में शिक्षित बेकारों के प्रार्थना-पत्र आ जाते हैं। उसको रोकने के लिये इस योजना में हमें कोई महत्वपूर्ण स्थान और उत्साह नहीं मिला कि इस ओर भी ध्यान दिया जाय। इसके अलावा जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहां का विशेष ध्यान रखा जाय। लेकिन जिन जिलों में हमारे मंत्री या उपमंत्री रहते हैं उन स्थानों को प्राथमिकता न दी जाय।

*श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज तीसरा दिन है कि इस तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस हो रही है। मैं उम्मीद करती हूं कि शायद यह योजना सफल बने, लेकिन जितनी भी योजनायें अभी तक सरकार ने बनाई हैं उनमें से कोई भी जैसी बनी है वैसी पूरी नहीं उतरी। बहुत पहले से सरकार का यह विचार रहा है कि किसान की हालत अच्छी हो और खेती की उन्नति हो, लेकिन आज तक किसानों को कोई फायदा नहीं है। देहातों में देखती हूं कि आज क्या हाल है। किसान मेहनत से और परेशानी से गल्ला पैदा करता है। बच्चे, औरतें और आदमी सब जुटे रहते हैं तब गल्ला पैदा होता है। लेकिन मान्यवर, आज बुन्देलखंड, पर्वतीय इलाके और पूर्वी जिले दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो कहा जाता था कि हमारे गरीब बच्चे, भाई, बहिन, सब खुशहाल होंगे, लेकिन आज उनकी हालत देखकर दुःख होता है। देहातों में जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिये मकान बनाने को जगह नहीं है। सरकार खेती की उन्नति की बात करती है लेकिन जो मेहनत कर सकते हैं उन किसान भाइयों और हरिजन भाइयों के पास एक बिस्वा जमीन नहीं है। क्या मैं आशा करूं कि उन गरीब हरिजन भाइयों को रहने के लिये मकान बनाने को और खेती करने को जमीन प्राप्त होगी?

मैं अपने जिले की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहती हूं, जहां कि हर एक सदस्य और सारी सरकार गई और बहुत सी बातें कहीं कि इस जिले को अच्छा बनायेंगे। श्रीमन्, एक सड़क है केवल हमीरपुर के अन्दर। दो छोटी सड़कें—उरई से राठ और मौदहा से राठ बनाई गई हैं लेकिन मीलों चलना पड़ता है। जहां इमलिया गांव है वहां बड़ा खराब रास्ता है, लारी नहीं चलती है, उधर मुहाने तक लारी जाती है और आगे जाने का कोई इंतजाम नहीं है। तो क्या इस ओर ध्यान देकर तीसरी पंचवर्षीय योजना में जनता को आराम देने का प्रयत्न किया जायगा?

सरकार को समानता का व्यवहार करना चाहिये। लेकिन मैं देखती हूं कि जहां के लोग कुछ कहते हैं वहां तो कुछ हो जाता है, लेकिन जहां के लोग चुप रहते हैं वहां कुछ नहीं किया जाता। पिछले साल जब ओलावृष्टि हुई तो मैंने यहां पर प्रश्न किया था। वहां से रिपोर्ट मंगाई गई जिसमें १४ आने का नुकसान आंका गया था, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक पैसे की छूट नहीं दी गई। चौथा महीना है जब तपसा गांव में आग लगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पास और माननीय हुकुमसिंह जी के पास गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ५ हजार पया तकावी किसको मिली? जो काश्तकारों के पास खेती है उस खेती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती राजेन्द्रकुमारी]

को देखकर। कितने ही परिवारों के लोग ऐसे हैं जो खाने और कपड़े के लिये मुंहताज हैं। वहां पर खपरैल छाई जाती है। बरसात के दिनों में वह मकान भी गिर रहे हैं। पता नहीं वह पेड़ के नीचे बसते हैं या कहां रहते हैं? सरकार को तो समान दृष्टि रखनी चाहिये। हमारे किसान भाई और हरिजन भाई तकलीफ में हैं। सरकार का पहला कर्त्तव्य यह होना चाहिये कि देहातों का सुधार करे। शहरों में तो कुछ न कुछ सरकार करती है, लेकिन देहात का जैसा सुधार करना चाहिये वैसा नहीं कर रही है। क्या मैं आशा करूं कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में देहातों का खयाल किया जायगा, किसान भाई और हरिजन भाइयों का खयाल किया जायगा? मान्यवर, सरकार को खयाल रखना चाहिये कि सरकार तथा हम सब गरीब जनता के भेजे हुए हैं। उनका अगर खयाल न करें, खबर न लें तो जनता बहुत ही दुखी और अफसोस करती है।

*श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अधिष्ठाता, महोदय हम तीसरी योजना पर विचार कर रहे हैं अतः उस पर विचार करने से पहले पहली दो योजनाओं में क्या कमियां रही हैं, क्या अनुभव हुए हैं उनको ले कर ही तृतीय योजना पर विचार करना होगा तभी हमारी योजना कामयाब हो सकती है, तभी उसका एक व्यावहारिक रूप हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी द्वितीय योजना में बहुत सी कमियां रही हैं जिसकी वजह से २० करोड़ रुपया खर्च नहीं हो सका है। उन कमियों में से मेरी समझ में एक तो यह है कि केन्द्रीय सरकार से जो ग्रान्ट मिलनी थी वह समय से नहीं मिल सकीं? और दूसरे यह कि विभागीय तौर पर जो यहां से स्वीकृति होती है उनमें भी देरी हुई। इसीलिये पूरा रुपया खर्च नहीं किया जा सका। इन सब चीजों को देखते हुए तृतीय योजना को बनाना चाहिये जिससे कि हम यह समझें कि जो खामियां और कमियां पिछली योजनाओं में रही हैं वे दूर हो सकें।

मैं मानता हूं कि हमारी जो पिछली योजनायें हैं उनमें बावजूद कमियों के फिर भी हम कुछ आगे बढ़े हैं। यह जरूर है कि साधनों की कमी थी और हमारे पास इतना पैसा नहीं था, साधन नहीं थे जिससे हम उसको पूर्णतः कामयाब कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ आगे बढ़े, जनता का जीवन स्तर उठा है। कुछ बड़ी-बड़ी योजनायें बनी हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में प्लानिंग ठीक तरह से नहीं हो पायी। कृषि के लिये वहां पर जो योजनायें रखी गईं वह अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो सकीं। मैंने अपने जिले में देखा जहां सिंचाई तथा अन्य विकास के कार्यों की जरूरत है वहां वह योजना नहीं की गई बल्कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां नहरें बनायीं लेकिन अभी तक पानी नहीं आता, सिंचाई नहीं होती जब कि ८,९ साल उनको बने हुए हो गये हैं। इसलिये पर्वतीय क्षेत्र में रुपया बेकार खर्च हुआ।

उत्तराखंड डिवीजन में जो नई व्यवस्था कायम हुई है, कर्मचारियों का जो तांता लगा हुआ है, मैं नहीं समझ सकता वह योजना कहां तक कामयाब होगी। जो अच्छे अधिकारी यहां से भेजे गये हैं उनका तबादला शीघ्र ही क्यों किया जा रहा है? जितना रुपया खर्च किया जा रहा है मुख्य मंत्री जी, इस दिशा में—जो नया प्रयोग शासन व्यवस्था का हो रहा है, उस पर विचार करें तो वहां पर व्यवस्था में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि कर्मचारियों का जो ज्यादा झमेला है जो वहां पर लालफीताशाही है उसे कम किया जा सकता है। गांव में हर ब्लाक में इतने अधिकारी जाते हैं कि टी० ए०, डी० ए० में बड़ा भारी खर्च होता है। मैंने दौरा किया तो मालूम हुआ कि बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० तथा एस० डी० एम० सभी को घोड़ा चाहिये। तो जैसा इलाका है उसके लिये वैसा व्यावहारिक हल चाहिये और वहां पर उसी तरह से सही व्यवस्था होना चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं माननीय मुख्य मंत्री का कि उन्होंने कम से कम इस आवश्यक सदन के सामने एक सच्ची तस्वीर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखने की कोशिश की और इसके अलावा अगर और भी कोई ईमानदारी से रखता तो दूसरी तस्वीर हो भी नहीं सकती थी। लेकिन क्या यह कहना यथेष्ट होगा--कि हमने योजना चलाई मगर दुख की बात है कि हम सफल नहीं हो सके—किसी भी क्षेत्र में ? लीजिये चाहे शिक्षा में लीजिये, चाहे उद्योग में लीजिये, चाहे बचत की बात करिये या बेरोजगारी की बात करिये, हर चीज में सारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। यह बात सरकार की तरफ से स्वीकार की गयी है। लेकिन एक चीज देखनी होगी कि आगे के लिये क्या यह चीज हमारे लिये गाइडेंस होगी ?

इस पुस्तिका में यह कहा गया है कि नियोजन कोई अलग चीज नहीं होती। एक के बाद दूसरा सिलसिला जारी रहता है। कोई ५, १० साल का नियोजन नहीं होता। ३०,४० और ५० साल का सक्सेसिवली नियोजन होता है। लेकिन क्या पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजना से हम कोई सबक ले सके ? पहली पंचवर्षीय योजना में यह हो सकता था कि यह नयी चीज थी व हम अनभिज्ञ थे पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के लिये केवल क्षमा मांगना यथेष्ट नहीं है। हमारे प्रदेश की हालत यह है कि साढ़े ३ अरब के करीब हमें १-४-६० तक कर्ज हो चुका है और जो टैक्सेशन है वह इन्तिहा दर्जे तक पहुंच चुका है। जो बजट पहले २६ करोड़ का होता था वह १३३ करोड़ का इस वर्ष हमने पास किया, फिर अभी ४ करोड़ का पास किया और अब भी सप्लीमेंटरी आयेगा और १० करोड़ के करीब पास करना होगा। नतीजा यह निकलता है कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। नतीजा यह हुआ कि नियोजन पर प्रदेश व देश में किसी को विश्वास नहीं रह गया है।

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

में याद दिलाऊं कि १९३७ में जब पापुलर मिनिस्ट्री आई तो रूरल डेवलपमेंट नाम की एक संस्था खोली गयी। उस पर ज्यादा रुपया खर्च नहीं हुआ था लेकिन जिस लगन से लोगों ने तब साथ दिया वह चीज आज दिखाई नहीं देती। पहली पंचवर्षीय योजना बनी तो कुछ श्रमदान से काम हुआ लेकिन दूसरी में आप देखें क्या काम हुआ ? गोविन्द सहाय जी ने अपनी रिपोर्ट में माना है " ज्यों-ज्यों सयम बीतता जा रहा है सामुदायिक निर्माण कार्य की प्रगति में शिथिलता आती जा रही है और उसमें कुछ ऐसे दोष उत्पन्न होने लगे हैं कि यदि उनका निवारण न किया गया तो वे समूचे निर्माण-कार्य की प्रगति में बाधक हो सकते हैं।" आगे इस रिपोर्ट में श्रमशक्ति तथा उसके मूल्यांकन पर कहा है "श्रम एवं अंशदान की प्रणाली पूर्णरूपेण समाज की बढ़ती हुई सम्पन्नता पर निर्भर है। लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं उनका विचार करते ही समिति के लिये यह मानना कठिन है कि लोगों की खुशहाली बढ़ रही है और जितना अंशदान वे पहले करते थे उससे अब ज्यादा करेंगे।" यानी एक काशन दिया गया है कि श्रमदान के लिये लोगों में आस्था कम होती जा रही है। उस आस्था को लाने के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हमें एक बड़ी साहसिक योजना बनानी पड़ेगी। जहां माननीय मुख्य मंत्री जी साहस की बात करते हैं हम उनके साथ हैं। दूसरी योजना बनाते वक्त भी साहस से काम लिया गया था और साहस के साथ हमने टैक्स भी दिया था लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। हमारी प्लानिंग में सब से पहली खराबी यह है कि वह एक पालिटिक्स की बात बन गयी है। जिस पार्टी के हाथ में सत्ता होती है वह एलेक्शन है वह एलेक्शन के टाइम पर कुछ प्राम्सिेज करती है कि हम रिटर्न हो गये तो तुम्हारे लिये यह कर देंगे, वह कर देंगे। आज हम बैंकरप्सी के दरवाजे पर खड़े हुये हैं। हमने तमाम देश प्लानिंग के नाम पर गिरवी रख दिया है और कहा है कि एक काल्पनिक स्वर्ग आगे मिलेगा लेकिन ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं स्वर्ग का द्वार कहीं नजर नहीं आता। इसलिये सरकार एक बोल्ड स्टेप ले और प्लानिंग को पालिटिक्स से अलग करे और उसके लिये जब तक coalition Government नहीं बनती तब तक पालिटिक्स से प्लानिंग अलैहदा नहीं होगी। आचार्य कृपलानी ने पार्लियामेंट में बहुत सही बात कही थी कि अगर वाकई नेशनल इमर्जेन्सी यहां पर है तो मिली-जुली सरकार बननी चाहिये और उस हालत में सभी लोग देश के उत्थान की बात करेंगे। फिर यह नहीं होगा कि एलेक्शन के वक्त कह दिया कि तुम्हारे यहां स्कूल बनवा देंगे या तुम्हारे यहां अस्पताल खुलवा देंगे।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

सेल्फ–जनरेटिंग एकोनामी की बात हमारे प्लान में कही गयी है लेकिन जब देश में बचत न हो, व्यक्ति की आय घटती जाय इस सब के अभाव में ऐसा कहना केवल भ्रम मात्र होगा। इसके लिये जीवन स्तर को ऊपर उठाना नितान्त आवश्यक है लेकिन यह होगा तभी जब ईमानदार अधिकारी हों ।

प्राइसेज के लेविल को मेन्टेन करने के लिये प्राइस कंट्रोल का कुछ इशारा केन्द्रीय सरकार की तरफ से दिया गया था। लेकिन प्राइस कंट्रोल का हमारा कड़ुवा अनुभव यह है कि बिना ईमानदार अधिकारी के न कंट्रोल कभी सफल हुआ है और न सफल होगा। अनडेवलप्ड कंट्रीज की प्लानिंग हमारी प्लानिंग की तरह नहीं होनी चाहिये। हमारे प्लान में भी १०१ करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेन्ज आयेगा तब प्लान चल पायेगा। लेकिन अगर कल को देने वाला नहीं देता है तो क्या होगा ? नतीजा यह होगा कि हमारा प्लान असफल हो जायगा। इसलिये सिद्धान्त यह होना चाहिये कि बाहर से सहायता मिलने वाली भी हो फिर भी जो हम अपने से कर सकें उसी पर अपनी प्लानिंग करनी चाहिये। फिर हमारे यहां २ प्रति शत आबादी की वृद्धि हो रही है, उसको भी दृष्टिगोचर करना पड़ेगा।

इसके अलावा हम लोग और विशेष कर यह सरकार, नारों पर बहुत चलती है। सोशलिज्म का हमने नारा लगा दिया और उसके बाद आंख मूंद कर उसके पीछे चलने लगे। श्रीमन्, तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह कहा गया है कि कैपिटल फार्मेशन नहीं हो रहा है, लोग इंवेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका एक कारण तो यह है कि लोगों के पास बचत नहीं हो रही है और इसके अलावा दूसरा कारण यह भी है कि जिनके पास पैसा है उनके खिलाफ आये रोज सरकार द्वारा चाहे उनकी उसे जरूरत न भी हो, कुछ बातें कही जाती हैं। श्रीमन्, मैं बड़े पूंजीपतियों का कोई हिमायती नहीं हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा के लिये कैपिटल फारमेशन की अत्यंत आवश्यकता है। एक प्रकार का अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया है। हमारी मांग है कि पब्लिक सेक्टर को और ऐक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है बल्कि उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो उसके कनसर्न चल रहे हैं उनमें जितनी कैपिटल लगी हुई है उस हिसाब से कितना लाभ होता है और लगे रुपये का कितना ब्याज मिल जाता है। मेरा खयाल तो यह है कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह मुनाफे में चलती है, इसमें मुझे शक है कि वह उसमें लगे रुपये के ब्याज को देखकर मुनाफे में चलती है या नहीं। हो सकता है कि लखनऊ में जो प्रिसीशन इंस्ट्रुमेंट फैक्टरी है वह मुनाफे में चलती हो वरना बरेली की टरपैन्टाइन फैक्टरी नुकसान में चल रही है। इसको रा-मैटीरियल बड़े सस्ते दामों पर मिल जाता है। अगर आजकल रा-मैटीरियल ही खाली बाजार रेट से बेचा जाय तो ६० लाख रुपये का सालाना लाभ हो सकता है और यह फैक्टरी केवल डेढ़ दो लाख से कुछ ज्यादा रुपये का ही प्रति वर्ष लाभ दिखाती है जब कि इसमें ७१ लाख रुपया लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम समाजवाद के नारे को रखें, हर चीज के राष्ट्रीयकरण की बात करें वह ठीक नहीं है। जहां हमारे देश का हित हो उसमें भी हमें डरना नहीं चाहिये ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदन से कहना चाहता हूं कि होना यह चाहिये था कि हमारी सरकार को प्रथम पंच वर्षीय योजना से सबक लेना चाहिये था जो नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, हमारे यहां कानून में सरलता आनी चाहिये। यह चीज भी योजना के प्रारूप में आनी चाहिये थी। देश को जैसी जरूरत हो उसके अनुसार हमारे यहां कानून बनने चाहिये। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमें रुपया चाहिये। डायरेक्ट टैक्सेशन से रुपया नहीं आ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेज पर ही हमें निर्भर रहना पड़ेगा और सेल्सटैक्स और ऐक्साइज से ही हमें रुपया मिल सकता है। लेकिन उससे कितना रुपया मिलेगा। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि टैक्सेज लगाने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि टैक्सेज के

इवेजन को रोकने की जरूरत है। जैसे श्रीमन्, खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया, अब ६ जगह टैक्स लगने के बाद अनाज कंज्यूमर को मिल पाता है। यह टैक्स सरकारी खजाने में नहीं जाता है। इसलिये जरूरत है कि टैक्सेज का इवेजन रोका जाय।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे २० मिनट मिलने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप पार्टी के नेता की हैसियत से बोल रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जी हां। अभी मेरे दस मिनट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। पांच मिनट, १५ मिनट आपके हो गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, यह जरूरी है कि हमें टैक्सेज के इवेजन को रोकना चाहिये। उद्योग-धंधों के सम्बन्ध में जो हमारी नीति है वह भी गलत है। हमें श्रीमन्, इस प्लान में ३० लाख एडीशनल नौकरियां चाहिये। यह मौडरेट एस्टीमेट है। अब यह कहां से आयंगी? किसी भी देश में वाणिज्य में ज्यादा आदमी घुसे होते हैं लेकिन हमारे यहां बहुत कम हैं और खेती में बिलकुल गुंजायश नहीं है। करीब ३० प्रतिशत अन्डर इम्पलाइड हैं। यह चीज तभी ठीक हो सकती है कि हम या तो और जमीन तोड़ें या घरेलू उद्योग धंधों से यह ठीक हो सकती है। तीसरी योजना केन्द्रीय सरकार इसको मानती है कि :—

"As a part of the programme of the Third Plan it is proposed to work out systematically how the production in large enterprises can be decentralized so that a fair proportion of the production can be taken up by smaller enterprises or even on a family basis."

बड़े एन्टरप्राइजेज को हमें तोड़ना पड़ेगा। जैसे कत्था है, लीसा है। ऐसे उद्योगों को लघु उद्योगों की सूरत पर खोलना चाहिये, जैसे कोटद्वारा और मुनि की रेती में जनता ने खोले हैं। पर बरेली की टरपेंटाइन कम्पनी का विकास कराया गया। उससे न तो आदमी को इम्प्लायमेंट मिलता है, न उससे ज्यादा फायदा जनता को होता है। हमारे यहां अनएम्प्लायमेंट और अंडर एम्प्लायमेंट है। तो सहकारी खेती की बात करके इसमें कितना नुकसान होता है। इससे कितना आदमी अपरूट होते ह, यह ट्रांजीटरी पीरियड है। इससे भी माना गया है—

"In the transitional stage, it is necessary to maintain and indeed to promote labour intensive methods of production to the fullest extent so long as this does not lead to a smaller aggregate production in the economy."

यह सिद्धांत तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना गया है कि लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम होना चाहिये लेकिन नारों में आकर सरकार कहती है कि सहकारी खेती होनी चाहिये जिससे थोड़े आदमी काम पर रहें और बाकी सब बेकार हो जायेंगे।

इस योजना में कहा गया है कि गांवों में इंसेंटिव क्रिएट करना चाहिये। लेकिन कानून इसके बरअक्स बनाते हैं। कुछ मेम्बर नाराज हो जायेंगे, इसलिये एम० एल० एज० और एम० पी० जिला परिषद् व क्षेत्र समिति के सदस्य रहेंगे, ऐसा हमने कानून बनाया। इससे वहां की लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकती। हम कहें कुछ और करें कुछ। चुने हुए प्रेसीडेंट को निकाला जा सकेगा तो लोकल लीडरशिप कैसे बन सकती है? इसी प्रकार न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत को एक करना बहुत जरूरी है। सामुदायिक योजनाओं सम्बन्धी भारत सरकार की सातवीं इवैलुएशन कमेटी की रिपोर्ट जो निकली है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि गांव का कोई आदमी बिना न्याय के अधिकार के पंच को पंच नहीं समझता।

पिछड़े इलाके की थोड़ी सी बात कही गयी है। हर साल प्रदेश में बाढ़ बहुत आती है। सैलाब आने से बड़ी तकलीफ हो जाती है। जरूरत यह है कि हिमालय से गंगा, यमुना,

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

गंडक, घाघरा आदि नदियां जो निकलती हैं, उनके उद्गम स्थानों से नीचे पर जगह जगह डैम बनाये जायं ताकि बाढ़ का पानी रुक जाय, वरना वर्तमान व्यवस्थानुसार ऐसे फ्लड कंट्रोल नहीं होगा। पहाड़ों के बीच अरबों क्युबिक फीट पानी रोका जा सकता है, उससे प्रदेश में सिचाई होगी। रिहन्द में हमने डैम बनाया, लेकिन उसका पानी बिहार में काम आयेगा, अपने प्रदेश को नहीं मिलेगा। मगर कुमाऊं के पहाड़ों में अगर डैम बनाये जायं तो उससे सारे प्रान्त की सिंचाई होगी और बिजली भी पैदा की जा सकेगी।

अन्त में थोड़ी सी एक बात यह अर्ज कर दूं, पिछड़े इलाके के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दूं। अनुपूरक बजट में कहा गया है—

"प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय आयोजनाओं में सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने के बावजूद ये क्षेत्र दीर्घकाल से पिछड़े हुए रहे हैं। कई कारणों से इसी क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं की जा सकी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि वहां पर समुचित साधनों की कमी है किन्तु एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी जिससे इस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास करना और जनता की सुविधा के लिए प्रशासन व्यवस्था को और प्रकृष्ट बनाना नितांत आवश्यक हो गया। अतः यह निश्चय किया गया कि इस क्षेत्र में तीन जिले सृजित किये जायं"। कुमायूं व उत्तराखंड का सारा पर्वतीय प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इसलिए केवल तीन नये जिलों का विकास न करके सभी जिलों का एक साथ विकास करना चाहिए। कुमायूं डिवीजन भी उत्तराखंड की तरह ही गरीब और पिछड़ा है।

केन्द्रीय सरकार ने सारा प्लान बनाया लेकिन सुरक्षा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं रक्खा। डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए प्लान होना चाहिए, चाहे बाकी प्लान रह जाय। अगर देश है तो सब कुछ है। डिफेंस की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। अब्राहम लिंकन ने कहा था—

"keep your powder dry and have faith in God."

आज देश में पंचमांगी इतने हो गये हैं, जिससे देश को बहुत खतरा है। हमने बड़े-बड़े डैम बनाये और एक भाई ने जाकर उनमें सुरंग लगा दी, तो सारा काम नष्ट हो जायगा। चाहे सगा भाई ही क्यों न हो, अगर उस पर अविश्वास हो तो उस पर भी कड़ी नजर रखी जाय। यह भी प्लान का एक विशेष अंग होना चाहिए। प्रान्तीय प्लान में डिफेंस इन्डस्ट्रीज की सिफारिश केन्द्र से की जानी चाहिये।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, जब आज से दो दिन पहले इस विषय पर वादविवाद आरम्भ हुआ तो कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की थी कि जितना साहित्य मिलना चाहिए था उतना वितरित नहीं किया गया। यों तो मेरा ऐसा खयाल था कि हमने अपनी तरफ से अध्ययन और विचार के लिए काफी सामग्री प्रस्तुत कर दी। फिर भी उस शिकायत को सुनने के बाद मैं भी कुछ थोड़ा-सा चिन्तित हुआ था। मन में मुझे ऐसा लगता था कि सम्भव है हमसे ऐसी गलती हो गई हो कि अध्ययन के लिए जितनी सामग्री चाहिए उतनी हम माननीय सदस्यों के सामने न रख सके हों। लेकिन कई स्पीचों को सुनने के बाद मेरी यह चिन्ता तो दूर हो गई। मैंने देखा कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने जो कुछ थोड़ा-बहुत हमने साहित्य उपस्थित किया था उससे नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा से काम लिया। उन्होंने इस थोड़े से साहित्य को भी अध्ययन करने की जरूरत नहीं समझी। इतने छोटे काम के लिए परिश्रम करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा और ठीक है उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। अगर हमको इस बात का जिक्र करना था कि हमारे जिले में रेल की लाइन फलां-फलां जगह होनी चाहिए थी, नहीं है, फलां फलां जगह सड़क होनी चाहिए थी, नहीं है, इतने स्कूल होने चाहिए थे, नहीं हैं, इतने कुएं होने चाहिए थे, नहीं हैं तो इन बातों के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी किताब के पढ़ने की जरूरत नहीं। हर माननीय सदस्य अपने जिले से अपनी कांस्टीटुएंसी से परिचित है, वहां जाता रहता है, वहां से लोग आते रहते हैं, अपनी तकलीफ बयान करते रहते हैं। इस किताब में यह भला क्या मिलेगा? यह जरूर है कि मुझको ऐसा लगा, मैं समझता हूं कि ऐसा कहने में मैं कोई विशेष गुस्ताखी नहीं करता कि कई माननीय सदस्य यह भूल गए कि हम इस वक्त किस मौके पर विचार विमर्श कर रहे हैं।

बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो कही गईं, बड़ी अच्छी बातें हैं, बड़ी ही उपयोगी बातें—ऐसी बातें जिनकी जानकारी हमको करानी चाहिए थी, गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए था उन बातों को। वह बातें ऐसी हैं कि यदि बजट पेश होता और उस पर जनरल डिस्कशन, सामान्य वादविवाद हो रहा होता तो बिलकुल ही प्रासंगिक होतीं, या अभी जैसे कुछ दिन पहले राज्यपाल का सम्बोधन हुआ था और राज्यपाल के सम्बोधन पर विवाद जो तीन या चार दिन चला था, उस मौके पर वह बातें बिलकुल ही उपयुक्त थीं और ऐसे मौके पर बिलकुल ही उपयुक्त होती हैं। लेकिन इस वक्त एक विशेष मौके पर हम लोग मिले थे। सारे देश में पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है, बनी है, हमारे यहां भी बनी। जैसी कुछ हमारी अक्ल है हमने बनाई। २१ तारीख से दिल्ली में उस पर विचार होना है। हमने इस बहस में सदन से यह निवेदन किया था कि हमको वहां दिल्ली में प्लानिंग कमीशन के सामने अपना यह प्लान रखना है। जो कुछ हमने तस्वीर बनायी है प्रदेश की, जो तखमीना हमने बनाया है, वह आपके सामने है। हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है? आपकी तरफ से हम क्या कहें कि हमने जो प्लान बनाया है वह ठीक है या नहीं ठीक है? इससे बड़ा प्लान होना चाहिए, इससे छोटा प्लान हो, इतना ही प्लान हो, हमको यह बताइए ताकि हम वहां जायं तो आपकी आवाज हमारे साथ हो और आपकी तरफ से हम वहां पर बोल सकें। इस मामले में अधिकांश स्पीचों से मदद नहीं मिली। अपने-अपने जिले की तकलीफें लोगों ने बयान कीं। जरूर वे ठीक होंगी लेकिन यदि अपनी स्पीच के अन्त में वे एक जुमला और कह देते कि हमने अपने-अपने जिलों की बातें तो कही हैं किन्तु इन सब बातों के देखते हुये हम यह समझते हैं कि प्लान में इतना रुपया और बढ़ा देना चाहिये, इतना रुपया और जोड़ देना चाहिये ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो जायं तो हमारा काम चल जाता। कोई यह कह देता कि जो कुछ हमने किया.....

श्री अध्यक्ष—यह बात तो सब ही कबूल कर लेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझको इसमें सन्देह है, इस पर मैं आगे चलकर निवेदन करूंगा। इतना कोई कह देता कि जो कुछ हमने किया है उसमें कोई काम हम नहीं कर सके और हमारे फलां-फलां जिलों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके लिहाजा तुम्हारा यह प्लान बनाना बेकार है तो हम आगे प्लान न करते या उसको और अच्छा करते। इतना कोई कह देता कि प्लान ठीक है तब भी हमारा काम चल जाता लेकिन इस प्रकार के एक वाक्य के भी न होने से माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, इस विषय में हम उनकी तरफ से वहां क्या कहें।

अब एक माननीय सदस्य की ऐसी स्पीच हुई जिससे मुझको ऐसा लगा कि शायद वह प्लान को छोटा करना चाहते हैं। साफ उन्होंने नहीं कहा। मेरा मतलब शिवप्रसाद जी नागर की स्पीच से है। उन्होंने यह कहा कि साहब ६०० करोड़ की प्लान की बात आप कहते हैं और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को उसकी आबादी के अनुपात से रुपया मिलना चाहिये तो इस बात के कहने का तभी अधिकार होगा जब कि आप सब जिलों को इस तरह से रुपया बांट दें। उन्होंने ५४ जिलों का हिसाब लगाया कि हर जिले को ११ करोड़ रुपया वितरित कर दिया जाय तो तभी ६०० करोड़ की बात वहां पर की जा सकती है और नहीं तो नहीं की जा सकती है। वह ११ करोड़ की बात जिलों के लिये करते समय इस बात को भूल गये कि जिलों के ऊपर एक प्रदेश भी होता है, उस चीज को वह भूल गये। यह खयाल उनको नहीं रहा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जहां तक सारे देश के प्लान की बात है, जहां १०।। हजार करोड़ सारे देश में प्लान के लिये है उसमें से प्रदेशों के लिये ३६०० हजार करोड़ है और देश के लिये वह ७ हजार करोड़ रह जाता ह तो आपका यह कहना ह कि उसमें ६०० करोड़ की मांग आप तभी करिये इस प्रदेश के नाम पर जब कि आप ५४ जिलों को ११ करोड़ के हिसाब से बांट दें। अगर उस ७ हजार करोड़ में से भी वह मांग करते अपने इस प्रदेश के लिये तब तो कुछ बात समझ में आती मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह यह गलती कर गये और यह कह दिया कि ११ करोड़ हर जिले को बांट दीजिये। इस प्रकार से वह कहते तो कुछ बात समझ में आती। एक बात एक माननीय सदस्य की समझ में आई कि ६०० करोड़ रुपये मांगने का अधिकार हमको नहीं है। और बाकी लोगों ने हमको बताना उचित नहीं समझा कि वहां जाकर हम उनकी तरफ से क्या कहें।

एक बात जो जिलों के सम्बन्ध की है, उसकी और बातों में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि वे बातें बहुत सी सामने आती रहती हैं। वह कहते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं लेकिन उसके सम्बन्ध में एक सवाल उठाया गया शहर और देहात का कि देहातों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है और शहरों के लिये सब कुछ किया जा रहा है। मेरी समझ में यदि इस प्लान को एक बार पढ़ लिया गया होता और इसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको देख लिया गया होता तो मेरा खयाल है कि इस शिकायत के करने का मौका नहीं मिलता। पहली बात यह है कि शहर और देहात का सवाल उठाना गलत है। शहर कैसे बनते हैं। अभी हमारे प्रदेश में देखते देखते ५, ६ वर्षों के अन्दर २, ३ शहर बन गये। मैं समझता हूं अभी ३, ४ वर्षों के अन्दर इस तीसरे प्लान में २, ३ शहर और बन जायंगे। अभी बरेली में सिन्थेटिक रबर की फैक्टरी खुलने वाली है। १६ करोड़ की वह फैक्टरी है।

बहुत से आदमियों को एम्प्लायमेंट मिलेगा। उससे करोड़ों रुपये का सामान बाहर से आना बन्द हो जायगा। वह फैक्ट्री देहात में खुलने वाली है, बरेली म्यूनिसिपैलिटी में नहीं है, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी बस्ती बसने वाली है और दो वर्ष में वह जगह एक अच्छा शहर-सा हो जायगी। मोदीनगर एक शहर बन गया, साहू केमिकल की फैक्ट्री जहां खुली है वहां भी एक शहर बन गया। जहां भी एक बड़ी फैक्ट्री लग जाती है वहीं शहर बन जाता है। इसके अलावा बच्छ देहात में भी, घोर देहात में भी अगर हम कोई बड़ा कारखाना खोल दें या यूनिवर्सिटी खोल दें तो वहां शहर हो जायगा। यूनिवर्सिटी खुलने पर वहां कुछ अध्यापक होंगे, वे मकानों में रहेंगे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूकानें खुलेंगी, पढ़ने वाले लड़के रहेंगे और इस तरह से वह जगह भी एक शहर बन जायगा। और शहर बनते कैसे हैं? इसलिये शहर और देहात की बात उठाना अनुचित है और दूसरे अगर इस प्लान को आप देखें तो ६९३ करोड़ रुपयों में बहुत-सी मदें ऐसी हैं कि जिनका शहर से कोई संबंध नहीं है। मैं मोटे तौर पर देखता हूं तो कृषि के लिये ९७ करोड़ है, पशु-पालन के लिये ८ करोड़, फिशरीज के लिये १ करोड़, कोआपरेशन के लिये १५ करोड़, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिये ५२ करोड़, सिंचाई के लिये ७३ करोड़, ड्रेनेज के लिये १० करोड़, सड़कों के लिये ३७ करोड़ रखा गया है और यह सब जोड़ कर आता है २९५ करोड़। यानी कुल का ४५ प्रतिशत ऐसा है कि जो केवल देहातों के लिये है। यह कोई कह सकता है कि आप इस पैसे को ठिकाने से, ठीक से खर्च नहीं करते, अगर यह कोई शिकायत करेगा तो हम मानने के लिये तैयार हो सकते हैं कि हम से गलती हो सकती है, लेकिन इसमें देहात का खयाल नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह ४५ प्रतिशत केवल देहात के लिये ही है। अब खर्च गलत हो, सही हो, हम खर्च न कर पायें, यह दूसरी बातें हैं और इसके अलावा जो रुपया रह गया है उसमें केवल एक अरबन हाउसिंग के, जिसमें हम कर्ज दे कर लोगों को मकान बनाने की सुविधा देते हैं, उसे छोड़ कर किसी मद के लिये यह कहना मुश्किल होगा कि यह केवल शहर के लिये ही है। मसलन बिजली है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पावर होनी चाहिये।

मैंने भी इसका जिक्र किया था और अगर हमारे यहां पावर बढ़ती है तो हम छोटे उद्योग धंधे को बढ़ा सकते हैं। आज कल के जमाने में बहुत कम उद्योग ऐसे हैं कि जो बिना पावर के चल सकते हैं और जिन के लिये हम को अच्छा मार्केट मिल सकता है। देहात और शहर के लोगों के टेस्ट में कुछ ऐसा बदलाव आ गया है कि अगर उनके टेस्ट की चीज तैयार करना है तो उसमें पावर की मदद जरूरी है। हम चाहते हैं कि गांव गांव में बिजली दी जाय और पूर्वी जिलों में हम कई जगहों पर देने का इरादा भी कर रहे हैं और शायद दे सकेंगे, केवल रोशनी के लिये ही नहीं, वह तो है ही, उद्योगों के लिये भी देना चाहते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके ताकि गांव के लोगों को कठिनाई न हो और वहां उद्योग पनप सकें, लेकिन यह कहना कठिन है कि वह देहात के लिये ही होगा अथवा शहर के लिये ही होगा, वह तो दोनों के लिये है।

एजूकेशन है। यूनिवर्सिटियां केवल शहरों में ही दिखलायी पड़ती हैं, लेकिन यह भी किसी ने हिसाब लगाया है कि उनमें देहातों से आने वाले कितने लड़के पढ़ते हैं? इस कमरे में भी ऐसे लोग हैं कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और देहात के रहने वाले हैं। कितनी ही यूनिवर्सिटियों में गांव के लड़के हैं और काफी तादाद में हैं। तो शहरों में इसी तरह से इंटर कालेजेज हैं, स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं और उनमें इस तरह का टुकड़ा करना कि कितने लड़के देहात के हैं और कितने शहर के, मुश्किल है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि भले ही वह कालेज हो, स्कूल हो अथवा यूनिवर्सिटी हो, अगर शहर में भी हो तो भी फायदा उठाने वालों में काफी अच्छी तादाद देहात के लोगों की होती है और इसलिये शहर और देहात के बीच टुकड़ा करना एक व्यर्थ की चीज है। देहात के रहने वाले ग्रेजुएट होते हैं, एल-एल०बी० होते हैं और वकालत करने शहर में आते हैं और इस तरह से शहर की आबादी बढ़ती है। इसलिये यह बात गलत है कि हमने देहात के लोगों के लिये कुछ खयाल नहीं किया और दूसरी बात यह है कि हमको इस सवाल को उठाना चाहिये भी नहीं।

अब पालीवाल जी ने जिन बातों का जिक्र किया, जो कुछ उन्होंने कहा, उसका जिक्र न करना और उस संबंध में कुछ न कहना अनुचित होगा। उनकी मर्यादा के विरुद्ध होगा अगर उनकी बातों का जिक्र न किया जाय। वे इस समय यहां नहीं हैं। एक सज्जन ने और भी कुछ बातें कहीं, जिन्होंने सिद्धांत को समझा ही नहीं। मैं तो भगवान से यही मनाता हूं कि वे कभी उसको न समझें और उसको कभी न मानें।

पालीवाल जी की बातों को सुनकर मुझे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी की बातों को सुनकर। वे अगर यह कहते कि प्लान छोटी है या बड़ी है तो कुछ ठीक होता लेकिन उन्होंने तो यही कहा कि प्लान बनाना ही डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। वे तो प्लान बनाना ही नहीं चाहते। अगर वे यह कहते कि उस प्लान में अमुक-अमुक प्रकार की कमियां हैं, तो वह कुछ मानने की चीज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने इस तरह की तो कोई बात कही नहीं, यह कहा कि प्लानिंग करना डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। उनकी यह बात तो, जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा उनकी भी समझ में नहीं आयी और मेरी समझ में नहीं आयी। दो एक किताबें मैंने भी डेमोक्रेसी की पढ़ी होंगी और आपने भी। यह किस प्लान में है? आखिर प्लानिंग कमीशन होता है .....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—विचित्र भाई कह रहे हैं कि दोनों बातें कांट्रेडिक्टरी हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पालीवाल ही पुराने भाई काफी हैं, विचित्र भाई की क्या जरूरत है? मुझे मालूम होता है कि प्रजा समाजवादी दल के लोग नहीं समझ सके हैं, अच्छा हो कि त्रिलोकीसिंह जी उनको ठीक तरह से समझा दें। प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है इंग्लैन्ड को तो जरूरत नहीं पड़ी। जो देश संपन्न हैं उनको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे रूस है, बड़े-बड़े संपन्न देशों के सामने उसका मुकाबला पड़ा और हमारी भी सूरत ऐसी ही है। रूस ने कोई अच्छा काम किया और उसकी हम नकल न करें तो यह पागलपन की

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

बात है। हमारा तो पुराना आदर्श है कि "शत्रोरपिगुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि" जिस देश का प्लान बहुत बड़ा है और साधन थोड़े तो उसको ऐसा करना पड़ता है कि अगर वह सब आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा न कर सके तो उसे हाथ खींचना पड़ता है, कुछ चीजों को पीछे डालना पड़ता है और कुछ चीजों को प्राथमिकता देनी होती है। यही प्लान का मतलब है और जो भी पिछड़ा हुआ देश होगा और वह सौभाग्य से या दुर्भाग्य से स्वतन्त्र हो जायगा और वह बड़ा देश भी है, बड़े देशों की कोटि में आ गया तो उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। चाहे प्लान का रूप कुछ भी हो, पंचवर्षीय रहे, त्रिवर्षीय रहे, दस वर्षीय रहे, लेकिन उसको कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका काम चल नहीं सकता।

अब यह कहना कि यह डिमोक्रेसी के विरुद्ध है, यह भी समझ में नहीं आया। कहा गया कि साल ब साल बजट आता है। अगर हम ६–६ महीने बाद लावें तो यह किस पोथी में लिखा हुआ है कि हम ऐसा नहीं कर सकते? हम दो-दो साल बाद भी बनायें तो कहीं उसके लिये मुनादी नहीं है, यह तो सुविधा की बात है, आसानी की बात होती है। ५ वर्ष के माने यह होते हैं जैसा त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, एक तस्वीर हम अपने सामने रखे होते हैं पूरी आवश्यकताओं की सूची की। फिर भी इस देश में मुख्य-मुख्य ये जरूरतें हैं, इन जरूरतों को हम ५ वर्ष के अन्दर कम करने की कोशिश करेंगे। एक वर्ष बहुत कम है। १० वर्ष, २५ वर्ष की बात बनायी जाय तो दूर की बात होती है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है कि हम कितने साल की प्लान बनायें।

पालीवाल जी ने कहा कि मैं ज्योतिषी हूं और मैं किसी तरह से जान जाऊंगा, और परिवर्तन नहीं होगा। न तो मेरे ज्योतिषी होने से और न किसी और साहब की किसी बात से देश की बातें बदला करती हैं। साल भर के अन्दर, ५ वर्ष के अन्दर अगर कोई युद्ध छिड़ जाय तो प्लान बदल जायंगे। कई चीजों को प्लान में से छोड़ना होगा। कोई काम चाहे रुक जाय, लेकिन अगर देश के ऊपर कोई खतरा आवेगा तो फिर सारा काम उधर लग जायगा, सारा रुपया-पैसा उधर लग जायगा। जाहिर बात है जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि जो प्लान को बना सकता है वह बदल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो लोग पालीवाल जी की पार्टी में हैं वह इस सिद्धांत को न समझेंगे और न स्वीकार करेंगे।

यहां पर ब्योरे की बातों की तरफ मैं नहीं जाना चाहता जिनका जिक्र हुआ लेकिन सिद्धांत रूप की दो बातें हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा। एक तो माननीय पालीवाल जी की और एक श्री अवस्थी जी ने कही है। पालीवाल जी ने कहा कि सरकार जो बजट बनाती है उसमें शुरू में तो कुछ आमदनी दिखलाई जाती है और साल के बीच में गड़बड़ कर के अन्त में दिखला दिया जाता है कि इतने लाख रुपये की बचत कर ली। पालीवाल जी हमारे वित्तमंत्री रह चुके हैं। वह किस प्रकार से बजट बनाया करते थे वह तो वही जानें, जो वह कहते हैं अपने काम को ठीक ही कहते हैं लेकिन हम यह कहते हैं कि अगर उनका यह खयाल हो कि जिस प्रकार से वह बजट बनाया करते थे उसी प्रकार से यह प्लान भी बनाया गया है तो यह बात गलत है। हमने जो आमदनी आंकी है वह हम जहां तक समझते हैं ठीक है और इसी प्रकार जो खर्चे का हमने तखमीना किया––हो सकता है हमारी बुद्धि में कोई गलती हो,––उसमें कोई तिकड़म की बात नहीं है, जो बात हमें उचित और ठीक मालूम हुई वही हमने लिखा है, उसमें किसी प्रकार की जालसाजी या फ्राड करने की कोशिश नहीं की गई है।

माननीय अवस्थी जी ने और बातों के साथ-साथ कुछ शिक्षा की नीति का जिक्र किया। अगर ब्योरे की बातें होतीं तो मैं उनका जिक्र नहीं करता। माननीय अवस्थी जी शिक्षक रहे हैं और मैं भी इसी पेशे में अपने बाल पका चुका हूं। और किसी विषय की बाबत चाहे मुझे कोई जानकारी हो या न हो लेकिन इस बात में मुझे दावा है कि शिक्षा की बातों को थोड़ा बहुत न समझता

हूं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों से शिक्षा का प्रबन्ध करते बनता नहीं और वह लड़कों से कहती हैं कि तुमको पढ़ने नहीं देंगे और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा चलेगा नहीं, लड़के शिक्षा संस्थाओं के दरवाजे तोड़ कर उसमें घुसेंगे। मैं समझता हूं कि हम लोग जो शिक्षक हैं उनको ऐसा तोड़-फोड़ की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिये लेकिन एक चीज है जो उनके सामने आई होगी, मेरे सामने भी आई है और दूसरे माननीय सदस्यों के सामने भी आई होगी कि जो लड़के पढ़ने जाते हैं--मैं अमीर घरों के लड़कों की बात नहीं कहता--जो गरीब घरों के लड़के होते हैं उनकी बाबत मैं कहता हूं। जब मैं खुद स्टूडेन्ट था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलने वाला था तो मुझे एक उर्दू की मैगजीन "ओल्ड ब्वाय" देखने को मिली जिसमें एक साहब ने जिक्र किया था कि महमूद गजनवी ने हिन्दुस्तान पर १७ बार आक्रमण किया लेकिन अपने दोस्त का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इन्टरमीडिएट इम्तहान पर २१ बार हमला किया, तो मैं ऐसे पुरुषार्थी लोगों का जिक्र नहीं करता, ऐसे गरीब लड़कों का जिक्र करता हूं जिनकी पढ़ाई उनकी जीविका का द्वार होती है। आप देखें कि कितने ही ऐसे लड़के होते हैं जो कितनी मुसीबत से हाई स्कूल पास करते हैं, उनकी जीविका का प्रश्न उसी वक्त हल होना चाहिये लेकिन वह क्या करें कोई बात समझ में नहीं आती। फिर वह लड़के इन्टरमीडिएट में पढ़ने जाते हैं। इसलिये वह पढ़ने नहीं जाते कि उनके मां बाप को पढ़ाने का शौक हो बल्कि इसलिये जाते हैं कि उनको कोई काम समझ में नहीं आता। वह बाप मां को तबाह करते हैं और किसी तरह से उधार-खाते से इन्टरमीडिएट पास होते हैं, उस समय भी उनकी जीविका का प्रश्न हल नहीं होता इसलिये यूनिवर्सिटी में बी० ए० पढ़ने के लिये जाते हैं। कितने ही लड़के इसलिये नहीं जाते कि उनके पढ़ने का शौक है। अगर पढ़ने का शौक हो तो उनका स्वागत करना चाहिये लेकिन ज्यादातर लड़कों की जीविका का सवाल हल नहीं हो पाता इसलिये आगे को पढ़ाई में पया खर्च करते हैं। यूनिवर्सिटी में भी वह पैसा और दिमाग खर्च करते हैं लेकिन फिर भी उनकी जीविका का प्रश्न हल नहीं होता। आज से बहुत पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक सैडलर कमीशन बैठा था उसने अपनी एक रिपोर्ट दी। किन्हीं कारणों से बंगाल ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन उस वक्त हमारे यहां श्री चिन्तामणि शिक्षा मन्त्री थे उन्होंने उस रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। उसका सारार्थ यह था कि इन्टरमीडिएट को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया जाय। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय इन्टरमीडिएट यूनिवर्सिटी में था। लिहाजा सेडरल कमीशन के मुताबिक इन्टरमीडिएट को यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया गया। यह रखा गया कि आम तौर से उन लड़कों को जिन्हें किसी विशेष लाइन में जाना हो, जिन्हें विद्या का व्यसन हो उनको छोड़ कर आम तौर से कोई लड़का इन्टरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी में न जाय, यही उसका ध्येय था। ऐसी ही व्यवस्था दुनिया के सारे देशों में है। चाहे सर्विस में जाना हो, क्लार्क ही नहीं, और भी सर्विसेज हैं, चाहे किसी तरह के व्यवसाय में जाना हो, इन्टरमीडिएट की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि उसे आगे बी० ए० की तरफ देखने की जरूरत न पड़े। सिवाय उन लड़कों के जिनको विद्या से खास रुचि है या जो किसी खास लक्ष्य से आगे पढ़ना चाहते हैं। वह चीज बहुत सफल नहीं हुई। इन्टरमीडिएट से काम नहीं चल रहा है। लेकिन सारे देश में आज फिर से यह कहा जा रहा है कि सेकेन्डरी एजूकेशन को फिर से एक अच्छा रूप देना चाहिये। जब नरेन्द्रदेव कमेटी हमारे यहां बैठाई गई थी, कांग्रेस की पहली मिनिस्ट्री में, मुझे ही उसके बैठाने का सौभाग्य प्राप्त था, उसकी रिपोर्ट में भी यही है कि इन्टरमीडिएट का एक ऐसा कोर्स होना चाहिये कि जिससे कई रास्ते खुल जावें। आज भी वही चीज सारे देश में मानी जा रही है ताकि इन्टरमीडिएट के आगे लड़कों को जाने की जरूरत ही न हो। चाहे प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो, या केन्द्र में किसी और ने कहा हो या हमने कहा हो, किसी का यह मतलब नहीं है कि पढ़ाई का दरवाजा बन्द कर दिया जाय और जो लड़के पढ़ना चाहें उनको न पढ़ने दिया जाय। जो बेचारे आगे नहीं जा सकते हैं और यहीं पर कुछ करना चाहते हैं, तो यही हमारा मंशा है कि हमारी शिक्षा ऐसी हो कि इंटरमीएट पास लड़का किसी लाइन में निकल सके। अगर हमसे ऐसा करते बना तो मैं समझता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है कि किसी लड़के को तोड़फोड़ करके विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नहीं होगी। मैं यह विश्वास मोतीलाल जी को दिलाना चाहता हूं। चाहे इसका कुछ रूप अवस्थी जी को हमारे प्लान में दिखाई दिया हो या नहीं, लेकिन ऐसी हमारी कोशिश है। इतना ही इसका मतलब है, और कोई मतलब नहीं है।

माननीय झारखंडे राय जी ने अपनी स्पीच में कई सिद्धान्तों की बातें उठाईं। मैं मौजूद तो नहीं था लेकिन अगर मुझे रिपोर्ट सही मिली है तो मसलन उन्होंने कहा कि जो हम मिक्स्ड इकोनामी की बात करते हैं तो वह किसी तरह से सम्भव नहीं है। या तो शुद्ध कैपिटलिज्म की बात हो, वह जैसी भी चीज हो वह सफल हो सकती है, या शुद्ध कम्युनिज्म की बात हो और प्राइवेट कैपिटल हो ही नहीं, जैसा कि रूस में समझा जाता है कि है, वह चीज भी हो सकती है। लेकिन यह कि स्टेट एंटरप्राइज के साथ प्राइवेट कैपिटल भी रहे, उनका ऐसा खयाल है, यह संभव नहीं है और सफल नहीं हो सकता है। हम एक प्रयोग कर रहे हैं। रूस ने भी कम्युनिज्म का प्रयोग किया था। उसे उससे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया था। कौन जानता था कि उनका प्रयोग सफल होगा?

श्री झारखंडेराय—मैंने कहा था कि मिक्स्ड इकोनामी से आबजेक्टिव ठीक नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अच्छा हुआ बात साफ हो गई। जब हमने अहिंसा के जरिये स्वराज्य हासिल करने की कोशिश की थी तो किसने दुनिया में पहले इसे देखा था? नया प्रयोग था, सफल हुआ। इसी तरीके से हम मिक्स्ड इकोनामी की बात करते हैं। मैं नहीं समझता कि यह चीज सफल नहीं हो सकती है। यही सही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी हालत में भी प्राइवेट कैपिटल के हाथ में नहीं रहने देना चाहिये। मिसाल के तौर पर, माइनिंग है, इसे प्राइवेट हाथों में नहीं रहने देना चाहिये। जमीन के अन्दर सोना है, मिट्टी का तेल है और न जाने क्या-क्या चीजें हैं? मैं एक प्राइवेट आदमी हूं। अगर मेरे हाथ में ये रहेंगी तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सारी चीजें जमीन के अन्दर से निकाल कर पैसा बना कर अपनी जेब में रख लूं। मेरे सामने कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होगा। वे चीजें देश में रहेंगी, देश का कल्याण आगे चल कर उनसे होगा, इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। भले ही वे चीजें एग्जास्ट हो जावें लेकिन अधिक से अधिक पैसा और जल्दी से जल्दी मैं अपनी जेब में रखना चाहूंगा। यह चीज खाली भारतवर्ष में ही नहीं है, और देशों में भी है। ऐसी चीजें प्राइवेट हाथों में देना देश के लिये अच्छा नहीं है और उदाहरण देने में अधिक समय लग जायगा, इसलिये अधिक उदाहरण न देते हुये हथियार की इंडस्ट्री का जिक्र करूंगा। हथियार बनाने की इंडस्ट्री ऐसी है जिसे प्राइवेट हाथों में नहीं होना चाहिये। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे हथियार बनाने वाले कारखाने थे, उन्होंने हथियारों से काफी पैसा कमाया था, उन्होंने काफी हथियार बना रखे थे, अब लड़ाई बन्द होने के बाद उसका क्या करें? वह कोई खाने की चीज तो है नहीं। जब उन्हों ने देखा कि इसमें हमारा बहुत काफी पैसा लगा हुआ है तो उन्होंने अनेक देशों में बलवा और लड़ाई शुरू करवा दी ताकि उनका हथियार बिके। जैसा कि बर्नार्ड शा के एक ड्रामा मेजर बर्बरा में एक शायद मिस्टर अंडरशाफ्ट ने कहा है कि हमें तो हथियार बेचने से मतलब है, हम दोनों पक्ष के हाथ हथियार बेचते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कौन पक्ष सही है और कौन पक्ष गलत है। हम तो पैसा लेकर दोनों के हाथ हथियार बेचते हैं। अगर कोई ईश्वर है और उसकी कृपा जिसके ऊपर होगी वह जीत जायगा और जिसके ऊपर उसकी कृपा नहीं होगी वह हार जायगा। लेकिन हमें किसी की हार और जीत से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का मामला प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं जाना चाहिये और कोई इंडस्ट्री ऐसी हो, कोई व्यापार ऐसा हो जिसे पब्लिक सेक्टर में लाना जरूरी न हो और वह अगर प्राइवेट सेक्टर में भी रहता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है बशर्ते कि इसका प्रबन्ध कर लिया जाय और इस बात को देख लिया जाय कि यह किसी का शोषण नहीं करता है या एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के हाथ से, एक वर्ग का दूसरे वर्ग

के हाथ से शोषण नहीं होता है। इस प्रकार का प्रबन्ध करना सहल भी है, असम्भव नहीं है। तो उनको प्राइवेट हाथों में रहने देने में कोई हर्ज की बात नहीं है। अब मैं यह नहीं कह सकता कि आगे चल कर हजार दो हजार वर्ष बाद क्या होगा लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उस लक्ष्य को बनाने में कोई हर्ज की बात नहीं है।

जहां तक इस प्लान की बात है, हमने सब चीजों को बदलने की कोशिश की है। आज कल की परिस्थिति के अनुसार मिक्स्ड इकोनामी की दृष्टि से ही प्लान बना है और उसी दृष्टि से हमें इस प्लान को देखना है।

अन्त में मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी के भाषण का जिक्र करना चाहता हूं। मैं उनको सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझको इस मौके पर विरोधी पक्ष के नेता से ऐसी ही आशा थी जैसा मैंने पहले कह था कि हमारे बीच में अनेक प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, और रहेंगे लेकिन जहां तक प्रदेश को उन्नत करने की बात है, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है, उस मामले में कोई मतभेद नहीं हो सकता और न होना चाहिये। इस मामले में हम सब को एक ही आवाज में बोलना चाहिये और मैं निःसंकोच रूप से माननीय त्रिलोकी सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। उनके भाषण से मुझे भी इस प्रदेश के प्लान के सम्बन्ध में बात करने में निश्चय ही ताकत मिलेगी और मैं इस बात को कह सकता हूं कि चाहे हमारे हजारों मतभेद हों लेकिन उत्तर प्रदेश के इस मामले में हम एक हैं, और एक तरह से बोलते हैं। उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया, कुछ प्रोसीजरल बातें हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है, मैं देखूंगा। उन्होंने एक चीज का जिक्र किया कि हमने जो लिखा है कि औसत ३० सेर गल्ला खर्च होगा, मैं भी ज़रा एक बार दिक्कत में पड़ गया। मैंने दरियाफ्त कराया तो ऐसा मालूम होता है कि आंकड़े में एकाध लफ्ज की कुछ गलती हो गयी है जरूर। उसमें सिरियल्स ऐंड पल्सेज मिला कर ३० सेर का औसत लिखा है। मैंने दरियाफ्त किया तो खास तौर से गेहूं और चावल के औसत की बात है। जापानी मेथड से दस सेर होता है और पुराने ढंग से २५, ३० सेर औसत होता है। गेहूं का औसत पूर्वी जिलों में ४० सेर का होता है और यों २५, ३० सेर का होता है। हमारे सीड स्टोर में विशेष रूप से इस तरह से होता है। यह जरूर है कि भाषा में कुछ गलती रह गयी है। उसको ठीक कर लिया जायगा।

एक चीज का उन्होंने जिक्र किया कि छोटी इंडस्ट्रीज के लिये इसमें कुल २५ करोड़ रुपया रखा है, बिलकुल ठीक है। डाक्टर जवाहर लाल जी ने हेल्थ के सम्बन्ध में कहा कि हमने केवल ५० करोड़ रुपया रखा है, यह भी सही है। हम खुद इससे सन्तुष्ट नहीं हैं लेकिन हमने तो यह देखा कि सारे देश के लिये ३,६०० करोड़ में से कुल १५० करोड़ छोटी इंडस्ट्रीज के लिये रखा गया है, उसका छठा हिस्सा २५ करोड़ मैंने अपने यहां के लिये रख दिया। हमने २५ करोड़ पया रखा तो है लेकिन २५ करोड़ से कम ही मिलेगा। वैसे ही हेल्थ के नाम पर ३०० करोड़ लिखा हुआ है, हमने उसका १/६ यानी ५० करोड़ लिख दिया। आखिर में ५० करोड़ रहने की भी संभावना नहीं है क्योंकि ३०० करोड़ सेन्ट्रल और स्टेट सेक्टर दोनों का है। कितना स्टेट सेक्टर में आए और कितना हमको मिले यह हम नहीं कह सकते। हेल्थ के लिये जो रखा है वह कम है। हम बार-बार लड़ते रहे हैं। यह दिक्कत किसी दूसरी स्टेट वालों की समझ में नहीं आ सकती है, प्लानिंग कमीशन वालों की समझ में नहीं आ सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश की एक विशेष प्राब्लम है। इतने बड़ी सिटीज और स्टेट्स में नहीं हैं। एक लाख से ऊपर की आबादी को सिटी कहते हैं। पिछले सेंसस के जमाने से अब तक और बढ़ गये। हमारे यहां १४–१५ सिटीज हैं। एक लाख की आबादी बिखरी हुई हो तो पब्लिक हेल्थ की इतनी प्राब्लम नहीं होती है जितनी कि एक जग होने से हो जाती है। बड़ा बेढब सवाल हो जाता है। बीमारी फैल सकती थी। जो हमारे यहां पब्लिक हेल्थ की प्राब्लम है वह और कहीं नहीं है। इतना बड़ा बंगाल है, एक कलकत्ता है वहां। बम्बई है, अहमदाबाद निकल गया, सिर्फ बम्बई और शोलापुर रह गया। बहरहाल यह कम जरूर है। यह

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

देखते हुए कि प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाना है, देहात के लोगों को खेती से हटाकर इंडस्ट्रीज में लगाना है, यह जरूरी है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हों। परन्तु २५ करोड़ से अधिक नहीं रख सकते, मजबूरी है क्योंकि टोटल एमाउन्ट से बाहर कहां से मिलेगा।

एक चीज का जिक्र माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने प्रायमरी एजूकेशन के सिलसिले में किया। हम उसको बेसिक कहते हैं, दरअसल बेसिक नहीं कहना चाहिये। जहां तक सिद्धान्त की बात है, हम मानते हैं। सोलह आने उनका कहना सही है। बेसिक एजूकेशन जिस रूप में महात्मा जी ने रखी थी, थोड़े-से परिवर्तन के साथ हमने उत्तर प्रदेश में उसको स्वीकार किया था। जिस रूप में वर्धा से चली उस रूप में हमने नहीं स्वीकार किया यहां पर। उसमें यह था कि लड़कों के श्रम से काफी खर्च निकाला जाय। हमने पहले ही कह दिया था कि हम यह नहीं करेंगे। हमने शिक्षा में आर्ट को विशेष स्थान दिया। महात्मा जी के सामने ये चीजें आ गई थीं। जिस रूप में हमने स्वीकार किया था उस रूप में भी चलाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिये विशेष प्रकार के टीचर्स चाहिये। वह बहुत कम हैं, इसमें संदेह नहीं है। प्रायमरी एजूकेशन जैसी भी है वह किसी न किसी प्रकार की फैलनी चाहिये। पब्लिक का प्रेसर है। जितना प्रेसर है उसका परिणाम यह हुआ कि सिद्धान्त रूप से जिस को बेसिक एजूकेशन कहेंगे उसको लक्ष्य मानकर हमने नाम जोड़ रखा है, व्यवहार में उसका वह रूप नहीं हो सका है। प्रायमरी एजूकेशन से जिस दिन सैचुरेशन हो जाय उस दिन शायद हम क्वांटिटी की जगह क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकें। मैं समझता हूं और बातों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कई बातें ऐसी कहीं जो कि विचारणीय हैं और हम सहमत भी हैं उनसे।

यह कहा गया कि हमने रिसोर्सेज के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहा। हमारे एक मित्र ने, शायद सबसे पहले जो स्पीच हुई भगवतीसिंह विशारद जी की, उन्होंने कहा कि वायदा कर दिया जाय कि टैक्सेज नहीं बढ़ाएंगे। उनकी बात का उत्तर माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने दे दिया। यह हो नहीं सकता, अगर कहें तो वह धोखा देना होगा। कहा गया कि स्कूल होने चाहिये, अस्पताल होने चाहिये, सड़कें होनी चाहिये लेकिन होंगी कैसे? यह गलत बात कहना होगा कि किसी और तरीके से हो सकता है। कह दिया गया कि किफायत की जाय। करोड़, दो करोड़ की बचत हो जाएगी उससे। १० करोड़ की हो जाएगी पांच साल में। गोविन्द सिंह बिष्ट जी ने कहा कि टैक्स इवेजन को रोका जाय। मान लीजिये कि किसी से ९ करोड़ की आमदनी होती है, तो इवेजन करोड़, २ करोड़ का होता होगा। यहां पर जो करोड़ों रुपये की बात है वह गैप इससे नहीं पूरा होने वाला है, धोखा देना होगा जनता को। माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, हम जानते हैं हमारी जनता गरीब है, मैं खुद गरीब खानदान में पैदा हुआ गरीब हूं, समझता हूं गरीबी क्या चीज है। लेकिन गरीब होते हुए हमको अमीर बनायेगा कौन? अगर हम यह सोचें कि हमेशा इसी अवस्था में रहना है, हमेशा प्रदेश पीछे रहेगा जैसा कि अब है तब तो बात दूसरी है और जो हमसे ऊंचे हैं वह ऊपर उठेंगे और हम नीचे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम यह तय कर लें कि हमको अपने बीच से गरीबी को निकालना है, केन्द्र हमारी मदद करेगा, खैरात के रूप में नहीं बल्कि हमारा हक है, पर आखिरकार इस प्रदेश की कमी को हमको ही पूरा करना है, यहां की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हिम्मत के साथ करना होगा। अगर जनता नहीं चाहती तो उसको दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिये। लेकिन जो कोई जिम्मेदारी की जगह हो उसको डरना नहीं चाहिये, हिम्मत के साथ आगे आना चाहिये और सच बात कहनी चाहिये और मुझे आशा है हम इस काम को कर ले जायेंगे। मैं निराश नहीं होता, कल भी मैंने कहा था। हममें हिम्मत अगर है, उत्साह है, विश्वास है, अपने प्रदेश के भविष्य पर, एक दूसरे पर विश्वास है तो हम अपने ही सहयोग से, बाहर से सहायता मिले या न मिले, प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें मुझे तनिक भी संदेह

नहीं है। बाहर से मदद मिले या न मिले अगर हममें विश्वास है, आशा है तो अपने प्रदेश को आगे बढ़ा लेंगे। इसी आशा में मैंने इसको शुरू किया था और मुझे खुशी है कि माननीय सदन ने हमारे प्लान का ऑन दी होल समर्थन किया। इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और बृहस्पतिवार, ६ अक्तूबर, १९६० को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५४ मिनट पर, गुरुवार, ६ अक्तूबर, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१७ सितम्बर, १९६०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७५ पर)

Conference of State Ministers of Agriculture held on 26th and 27th August, 1960, in Vigyan Bhavan, New Delhi

AGENDA

Items for discussion

1. Consideration of the highlights of the Draft Third Five-Year Plan concerning Agriculture.

2. Intensive Agriculture District Programme.

3. Corporation for promotion of the production of Hybrid Maize in the country.

4. Ravine Reclamation.

5. Progressive mechanization of agriculture and supply of better agricultural implements.

6. Progress of agricultural production.

7. Supply of Fertilizers to the Foreign Exchange Earning and Foreign Exchange Saving Crops—Policy relating to.

8. Regulation of movement of Chemical Fertilizers from one State to another.

9. Supply of Nitrogenous Fertilizers.

10. Construction of Central Godown for storing fertilizers.

11. Increase in the rate of subsidy for Irrigation Schemes from 25 per cent to 50 per cent.

12. Plant Protection.

13. (i) Review of Progress in Sugarcane Development Schemes and suggestions for the Third Plan.

(ii) Financial assistance for the Sugarcane Development—Road Development in the Sugar Factory Areas on 50 : 50 basis.

14. Problem of Jute Seed Multiplication and Distribution.

15. Agricultural Quota for Iron and Steel.

16. Foreign Exchange for import of Tractor, Power Drills, Sprayers, etc.

17. Sanction and implementation of Research Schemes.

18. Establishment of Rural Universities in the country.

19. Potato Cultivation in India, its importance and proposals for increasing its production.

20. Establishment of State Veterinary Councils.

21. Minor Irrigation.

22. Soil Testing Service.

23. Consideration of the suggestion made by Ministers of Agriculture that 80 per cent of the V. L. W.s should be earmarked exclusively for agricultural work.

24. Progress of the *Kharif* Campaign and Programme of *Rabi* Campaign.

25. Recommendations of the Annual Conference on Community Development held at Srinagar.

26 Preparation of Village Production Plans.

27. Supply and Service through Co-operatives.

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १७४ एल० ए०—१९६०–८४५ ।